बाइस्टैण्डर के व्यवहार को समझना: महिलाओं के विरुद्ध हिंसा खत्म करने के लिए कदम

एक अनुसंधान अध्ययन

Breakthrough

Act. End Violence Against Women.

ब्रेकथ्रू (Breakthrough) के बारे में

ब्रेकथ्रू (Breakthrough) महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा और भेदभाव को अस्वीकार्य बनाने के लिए काम करता है। अपने आसपास की दुनिया को अधिक समानतापूर्ण बनाने के लिए हम किशोरों और युवाओंए उनके परिवारों और समुदायों के साथ काम करते हुए, तथा मीडिया अभियानों, कलाओं और लोकप्रिय संस्कृति का उपयोग करते हुए, जेंडर संबंधी मानदंडों को नया रूप देते हैं।

Table of contents

ब्रेकथ्रू (Breakthrough) के बारे में 2
आभार 5
अनुसंधान टीम 6
संक्षिप्त शब्दों की सूची 7
1. परिचय 8
1.1. प्रमुख शब्दावली 9
1.2. पृष्ठभूमि 10
साहित्यिक समीक्षा 12
2. पद्धति 17
2.1. अनुसंधान के प्रश्न 18
2.2. अनुसंधान की विधियां 18
2.2.1. सैम्पल तय करने का तरीका 18
2.2.1.1. उद्देश्यपूर्ण सैम्पल निर्धारण 19
2.3. गुणात्मक डाटा संकलन 20
2.4. नैतिकता और सहमति 20
2.5. डाटा विश्लेषण 22
2.5.1. वर्णनात्मक विश्लेषण 22
2.6. रिमोट डाटा संकलन की सीमाएं 23
2.7. मात्रात्मक डाटा संकलन 24
3. प्रमुख निष्कर्ष 25
3.1. निष्कर्षों का अवलोकन 25
3.2. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रकार 26
3.3. हिंसा के स्थल (साइटें) 28
3.4. हस्तक्षेप के प्रकार (कैसे) 30
3.4.1. आवाज़ उठाना 30
3.4.2. सर्वाइवर्स से सीट बदलना 31
3.4.3. बाद में संपर्क करने के लिए अपना मोबाइल नंबर देना 32
3.4.4. सर्वाइवर को मेडिकल मदद के लिए ले जाना 32
3.4.5. सर्वाइवर को सुरक्षित रूप से उसके घर तक छोड़ने के लिए साथ में जाना 32
3.4.6. हिंसा का सहारा लेना या पितृसत्तात्मक कथन का उपयोग करना। 33
3.4.7. लंबे समय की रणनीतियां: सामुदायिक एकजुटता 33
3.4.8. लंबे समय की रणनीतियां: संस्थागत प्रणालियां विकसित करना 34
3.5. महिला और पुरूष बाइस्टैण्डर्स: तरीकों में भिन्नता 35
3.6. महिलाओं की चुप्पी को समझना 37

3.7. परिवार और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा 42
3.7.1. आरंभिक जेंडर आधारित भेदभाव और दोहराव 43
3.8. घरेलू हिंसा 47
3.8.1. वे फिर भी संबंध क्यों नहीं तोड़तीं: 51
3.9. बाल यौन शोषण 53
3.10. हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरणाएं (क्यों) 56
3.10.1. नैतिक तत्व: सही काम करना 56
3.10.2. महिलाओं का आघोश 57
3.10.3. जेंडर आधारित भेदभाव को समझना 58
3.10.4. सकारात्मक रोल मॉडल 61
4.1. सक्षम बनाने वाले माहौल को विकसित करना 63
4. खामियों को उजागर करना : क्या किया जाना चाहिए 63
4.2. परिवारों में यौन शिक्षा और जेंडर संवेदीकरण को बढ़ावा देना 67
5. चिंतन: घटनाएं बनाम रोज की ज़िंदगी 70
5.1. लड़कियां केवल आनंद से रहना चाहती हैं: महिलाओं की सुरक्षा के मसले का 'संरक्षण' से 'आनंद' की ओर बदलाव 71
5.2. अंत में: बाइस्टैण्डर के हस्तक्षेप की रिफ्रेमिंग 72
5.2.1. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे में समझ 72
5.2.2. हस्तक्षेप की वजहें 73
संदर्भ सूची 75
परिशिष्ट 1 80
मात्रात्मक सर्वेक्षण के परिणाम 80
सार्वजनिक स्थान 80
सार्वजनिक परिवहन 81
आवाज़ उठाना और इसके विभिन्न पहलू 81
हस्तक्षेप के कारण: 84
परिशिष्ट 2 86
परिशिष्ट 3 89
परिशिष्ट 4 92

आभार

यह रिपोर्ट तैयार करना हमारे लिए काफी भावनात्मक अनुभव रहा है – उन सूचनाओं के मामले में भी, जो हमारे सामने थी, और उस हिंसा की व्यापकता और विभिन्नता के मामले में भी, जिसका महिलाएं रोज ही सामना करती हैं। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में प्रचलित धारणाओं और आधिकारिक नियमों से आगे बढ़ते हुए, हमारे इंटरव्यू करने वाल़ों ने यह कठोर सच्चाई उजागर की कि किस तरह से प्रायः महिलाओं के सबसे निकट के व्यक्ति ही उनको अपना शिकार बनाते हैं और सबसे ज्यादा हिंसा करते हैं। रोजमर्रा की इस पुरूष प्रधानता और स्त्री–द्वेष के शारीरिक और मानसिक प्रभाव अत्यधिक दिखाई दिए। हम अपने प्रतिभागियों की उन कहानियों से भावनात्मक स्तर पर अत्यधिक प्रभावित हुए, जो हम पर भरोसा करके उन्होंने सुनाईं, और जिसके लिए हम उनके कृतज्ञतापूर्वक आभारी हैं।

अनुसंधान, वास्तव में एक सामूहिक कार्य होता है। इसे कई लोगों के सामूहिक प्रयास के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। इस प्रोजेक्ट के लिए फंड की व्यवस्था Uber और IKEA फाउंडेशन द्वारा की गई। उनके सहयोग के बिना यह अध्ययन सार्थक नहीं हो सकता था।

हम मुम्बई, कोलकाता और हैदराबाद में हमारे बेहतरीन सहयोगी भागीदारों–क्रमशः हैबिटेट एंड लाइवलीहुड वेलफेयर एसोसिएशन, रंगीन खिड़की, और माय चॉयसेज फाउंडेशन के आभारी हैं। महामारी के इस कठिन दौर में उन्होंने इन शहरों में संभावित प्रतिभागियों की पहचान और इंटरव्यूकी व्यवस्थाएं करके डाटा संकलन का हमारा काम सरल बनाया।

ब्रेकथ्रू (Breakthrough) में प्रोग्राम और मीडिया टीमों ने हमारे साथ सहयोग बनाकर काम किया - इंटरव्यू की व्यवस्था करना, लॉजिस्टिक्स का बंदोबस्त करना, आदि. हम उस सारी मदद के लिए आभारी हैं जो उन्होंने उदारतापूर्वक की। उनकी लगातार मौजूदगी ने हमें रिपोर्ट पर बेहतर विचार करने और बेहतर कार्य करने में मदद की। हम हमारे इंटरव्यू रिकार्डिंग को सुनकर लिखने वालों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने प्रतिलेखन का बेहतरीन काम किया।

ब्रेकथ्रू (Breakthrough) का बड़ा परिवार साहस का स्रोत रहा है। उत्सुकता और उत्साह के साथ रिपोर्ट के निष्कर्षों के बारे में पूछने से लेकर पूरे कार्यक्रम में हर चरण पर विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने तक, उन्होंने शानदार कार्य किया है। हम ऑफिस में हमारे स्टॉफ को खासतौर से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें अनेक कप चाय और बिस्किट के साथ प्रोत्साहन भी प्रदान किया। इससे हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सके।

बदलाव का सपना और उम्मीद, इस अध्ययन की मूल भावना है. आप किस नज़रिए से बदलाव को देखते हैं, और आप इसे कैसे साकार कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब पाने के लिए, हमें एहसास हुआ कि सबसे पहले लोगों और उनके संदर्भों को समझना ज़रूरी है, ताकि यह समझा जा सके कि लोग उस प्रकार से क्यों सोचते या व्यवहार करते हैं। हमने अपने प्रतिभागियों से समय में पीछे जाते हुए, अतीत पर विचार करने को कहा, जहां उनके मौजूदा व्यक्तित्व को आकार देने वाले संकेत मिल सकें। महिलाएं हमेशा से ही जिम्मेदारियों और प्रतिरोध, परिवार और स्वतंत्रताय धर्म और आकांक्षाओं के दुविधा भरे रास्तों में उलझी रही हैं, और इसलिए यह उनके लिए आसान काम नहीं था, और फिर भी उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा है। हमें उम्मीद है कि ये असंभव लगने वाली दुविधाएं एक दिन बीते जमाने की बात हो जाएंगी, और यह रिपोर्ट उसी दिशा में एक कदम है।

अनुसंधान टीम

श्रेया झा विकास संबंधी समाजशास्त्री, और सामाजिक विकास की अभ्यासकर्ता (प्रैक्टिशनर) हैं। समावेशी मानसिक स्वास्थ्य के बुनियादी प्रशिक्षण ने उनको व्यक्तियों के वस्तुनिष्ठ अनुभवों के माध्यम से सामाजिक पहचानों का परीक्षण करने के लिए प्रेरित किया। उनके हाल के अनुसंधान. वैश्विक दक्षिण में सुचा, जीवन, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के जीवन पर डॉक्टोरल रिसर्च–में तार्किकता के क्रम हैं, सामाजिक और व्यक्तिगत प्रक्रियाओं के बीच व उनमें, तथा व्यक्तियों के निकट और दूर के संबंधों पर फोकस किया गया है। वह कल्याणकारी कार्यों के क्रियान्वयन और मूल्यांकन के बारे में एनजीओ (NGO) को परामर्श देती है। उन्होंने पहले ब्रेकथ्रू (Breakthrough) की अनुसंधान और मूल्यांकन टीम में काम किया है। उन्होंने बाथ यूनिवर्सिटी, यू.के. से विकास समाजशास्त्र में पीएचडी की है।

श्रेया ने अनुसंधान के दोनों चरणों का पर्यवेक्षण किया, पहले चरण के दौरान संकलन और विश्लेषण का नेतृत्व किया और इस रिपोर्ट का सह–लेखन किया।

मंजूषा मधु एक शोधकर्ता और पत्रकार हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आधुनिक इतिहास में पीएचडी, तथा सेंटर फॉर विमेन्स डेवेलपमेन्ट स्टडीज और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली से विमेन्स एंड जेंडर स्टडीज में एमफिल किया है। उन्होंने अपने शोधकार्य में 20वीं शताब्दी के दौर में मलयालम प्रिंटिंग/पब्लिशिंग की उत्पत्ति, विकास, और यथार्थ इतिहास, सामाजिक–राजनैतिक परिवर्तन से इसके संभावित सहसंबंधों, और क्षेत्र में जेंडर संबंधी रिश्तों को नया स्वरूप प्रदान करने में इसकी मूल भूमिका का परीक्षण किया है। उन्होंने एक पत्रकार के रूप में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है और द इंडियन एक्सप्रेस तथा द संडे गार्जियन में काम किया है। उन्होंने जेंडरए कला और सिनेमा सहित अनेक विषयों पर लेखन किया है।

मंजूषा ने अनुसंधान के दूसरे चरण में डाटा संकलन और डाटा विश्लेषण का नेतृत्व किया है और इस रिपोर्ट का सह–लेखन किया है।

पूर्णिमा झा मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत एक सामाजिक विकास पेशेवर हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीतिशास्त्र में अंडरग्रेजुएट डिग्री और पूर्वी एशियाई अध्ययन में मास्टर डिग्री ली है। वह दो वर्षों से ब्रेकथ्रू (Breakthrough) में अनुसंधान और मूल्यांकन टीम का अंग रही है।

पूर्णिमा ने इस अनुसंधान के प्रथम चरण में डाटा संकलन का समन्वय और इसमें भागीदारी की, और रिपोर्ट लिखे जाने के दौरान विश्लेषण और अनुसंधान सहायता का योगदान दिया।

ऋचा सिंह ने विमेन्स स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली है। वह पिछले पांच वर्षों से ब्रेकथ्रू (Breakthrough) में काम कर रही है। ब्रेकथ्रू (Breakthrough) में मीडिया टीम के सदस्य के रूप में, लेखन और अनुसंधान में अपनी रूचि के साथ उन्होंने कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल सहभागिता पर केंद्रित भूमिकाएं निभाई हैं।

ऋचा ने डाटा संकलन के दोनों चरणों में भाग लिया, और इस अनुसंधान के दूसरे चरण का समन्वय किया।

प्रांजलि दास एक सामाजिक विकास पेशेवर हैं, जिन्होंने जेंडर और विकास में पोस्टग्रेजुएट की डिग्री ली है। उन्होंने प्रोग्राम डिलीवरी और मूल्यांकन के कार्य किए हैं, और ब्रेकथ्रू (Breakthrough) में उन्होंने अनुसंधान और मूल्यांकन टीम के साथ काम किया है। वह इस समय ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में मानवशास्त्र (एंथ्रोपोलॉजी) में पीएचडी कर रही है।

प्रांजलि ने अनुसंधान सहायता प्रदान की और इस अनुसंधान के प्रथम चरण में डाटा विश्लेषण में योगदान किया है।

संक्षिप्त शब्दों की सूची

DV	घरेलू हिंसा
EM	बाल विवाह
CSA	बाल यौन शोषण
IPV	निजी पार्टनर द्वारा हिंसा
SH	यौन उत्पीड़न
VAW	महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

1. परिचय

जेंडर-आधारित हिंसा और इसके बहुत सारे स्वरूप, कई दशकों से नारीवाद और अधिकारों से संबंधित मुद्दे बने रहे हैं। अब यह विश्वस्तर पर महिलाओं के आंदोलनों का एक प्रमुख आधार बन गया है और प्रमुख सार्वजनिक अभियान इस हिंसा से संबंधित पहलुओं पर कार्य कर रहे हैं। भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामले, 1970 के दशक से- खासकर 1980 के दशक के बलात्कार विरोधी अभियान की शुरूआत के बाद से महिला आंदोलनों के प्रमुख घटक बने रहे है।[1]

एक उभरते भारत का सपना टूट जाने और आपातकाल (1975-77) के कारण राज्य द्वारा हिंसक ज्यादतियां किए जाने के कारण इन दशकों में महिलाओं का एक नई ऊर्जा से भरपूर आंदोलन फूट पड़ा, जिसने परंपरा और आधुनिकता के सरलतावादी विचारों को कटघरे में खड़ा किया, और जेंडर असमानता के मुद्दों और जेंडर आधारित शोषणों के प्रचलित स्वरूपों के मामलों को जोरशोर से उठाया। आज़ादी के बाद महिलाओं के आंदोलन (नों) का क्रमवार ब्यौरा पेश करने वाली नंदिता शाह और नंदिता गांधी ने संकेत किया है कि हालांकि यह आंदोलन ''महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से भी संबंधित था, यद्यपि सती प्रथा और विधवाओं का शोषण, उनके विवाह, के पुराने मुद्दों से सरोकार नहीं था, बल्कि तलाक, गुजारा भत्ता और बच्चों की अभिरक्षा के लिए कानूनी सुधारों की मांग की गई थी, और अधिक कानूनों की मांग नहीं थी बल्कि मौजूदा कानूनों में संशोधन करने और उन्हें ठीक से लागू करने की बात थी, इसमें महज शैक्षिक सुविधाओं के प्रसार के बजाय शिक्षा पर जोर था, और लिंग भेद व रूढ़िवादी पाठ्यपुस्तकों का विरोध किया गया था, समानता के मामले में न केवल समान अधिकारों की, बल्कि कार्य करने के लिए, तथा समान वेतन के साथ समान अवसरों की मांग थी।''[2]

वर्तमान महामारी ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मुद्दे को एक बार फिर से जीवंत कर दिया है, और पूरी दुनिया में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों में उछाल दर्ज किया गया है, जिसे UN और अन्य संस्थाओं ने छिपी हुई महामारी ('Shadow Pandemic') का नाम दिया है।[3] असंख्य रिपोर्टें[4] और भारत में विस्तृत अध्ययन, पहले से ही पुरूष प्रधान समाज में गहरी असुरक्षाओं के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जहां महिलाएं और बच्चे इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, संस्था ने मार्च–सितम्बर 2020 के दौरान घरेलू हिंसा के कुल 13,000 मामले दर्ज किए, और लॉकडाउन चरम पर होने के दौरान जुलाई 2020 में ये आंकड़े सबसे अधिक रहे।[5]

इस अध्ययन को इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया है। इस अनुसंधान से ऐसी उम्मीद है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं के प्रति बाइस्टैण्डर के नज़रियों और उनकी कार्यवाहियों के औचित्य को समझने में मदद मिलेगी, चाहे उन्होंने हस्तक्षेप करने और घटना की रोकथाम करने के लिए कोई कार्यवाही की हो, या चुप रह जाने का विकल्प चुना हो। इस प्रक्रिया में हमने उन बड़ी शक्तियों को भी समझने का प्रयास किया है जो बाइस्टैण्डर और सर्वाइवर दोनों के व्यवहारों और प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करती हैं।

1 Patel, Vibhuti. 1998. "Campaigns against Gender Violence (1977-1993)". In Violence against Women: Women against Violence edited by Shirin Kudchedkar and Sabiha Al-Issa, P.198-207. Delhi: Pencraft International.
2 John, Mary E. 2008. "Introduction." In Women's Studies in India: A Reader, 1-19. New Delhi: Penguin Books India
3 https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
4 https://www.thehindu.com/data/data-domestic-violence-complaints-at-a-10-year-high-during-covid-19-lockdown/article31885001.ece https://www.outlookindia.com/website/story/india-news-rise-in-domestic-violence-across-all-strata-of-society-in-the-coronaviruslockdown-period/350249
5 https://www.thehindubusinessline.com/data-stories/data-focus/abuse-of-women-at-home-rose-during-lockdown/article33060560.ece

1.1. प्रमुख शब्दावली

यह अध्ययन, उन शब्दों की कुछ निश्चित अवधारणात्मक समझ द्वारा सूचित है, जिनका इस दस्तावेज में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। जेंडर संबंधी अधिकारों और समानता के मुद्दों पर कार्य करने वाले हितधारक, इन शब्दों की जटिलता, तथा भारत में और विश्वस्तर पर महिलाओं के आंदोलन के संबंध में इन विचारों की उत्पत्ति से परिचित हैं।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा (VAW) एक व्यापक शब्द है, और हमने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त किए जाने की घोषणा, जिसे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में अपनाया गया, में दी गई व्यावहारिक परिभाषा का प्रयोग किया है। इसमें इसे ''सार्वजनिक या निजी जीवन में जेंडर आधारित हिंसा का कोई कार्य, जिसका परिणाम या संभावित परिणाम महिलाओं के शारीरिक, यौन, या मानसिक हानि या कष्ट के रूप में हो, जिसमें ऐसे कार्य किए जाने की धमकियां, शोषण करना या मनमाने तरीके से आज़ादी से वंचित करना शामिल है, कहा गया है। इसमें ''परिवार में होने वाली शारीरिक, यौन और मानसिक हिंसा को शामिल किया गया है, जैसे कि मारपीट करना, घर में महिला सदस्यों का यौन शोषण करना, दहेज संबंधित हिंसा, वैवाहिक बलात्कार, महिलाओं का खतना और महिलाओं के लिए अन्य नुकसानदेह प्रथाएं, जीवनसाथी के अलावा अन्य सदस्यों द्वारा हिंसा और उत्पीड़न से संबंधित हिंसा; कार्यस्थल पर, शैक्षिक संस्थानों में और अन्य कहीं भी बलात्कार, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और डराने–धमकाने सहित सामान्य समुदाय में होने वाली शारीरिक, यौन और मानसिक हिंसा; महिलाओं की ट्रैफिकिंग और कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन; और कहीं भी राज्य द्वारा की गई या या माफ की गई शारीरिक, यौन और मानसिक हिंसा आदि शामिल है।''[6] इस प्रकार से, इस अनुसंधान में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में घरेलू हिंसा (घरेलू हिंसा) – ऐसी हिंसा जो कि परिवार और घर के अंदर होती है, जिसमें अन्य के अलावा निजी पार्टनर द्वारा हिंसा (निजी पार्टनर द्वारा हिंसा); तथा शैक्षिक संस्थानों, कार्य स्थलों और सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न माहौल में यौन उत्पीड़न (यौन उत्पीड़न), स्पष्ट रूप से अवांछित यौन हरकतों, यौन प्रस्ताव, हेतु अनुरोध; दहेज हिंसा अर्थात दहेज की मांग करते हुए महिलाओं से की गई हिंसा और ऑनर किलिंग अर्थात महिलाओं को समाज और परिवार के सम्मान के नाम पर मार देना या अपंग बना देना आदि शामिल हैं।

बाइस्टैण्डर का अर्थ किसी सर्वाइवर के आसपास मौजूद ऐसे व्यक्ति से है जहां किसी महिला के विरुद्ध हिंसा का कोई कार्य हुआ हो, और उस मामले में कार्यवाही की कोई संभावना या क्षमता हो।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कार्य को तत्काल रोकने के लिए बाइस्टैण्डर द्वारा किया गया कोई सकारात्मक अ–हिंसक कार्य (sans morally prescriptive codes) **हस्तक्षेप** कहलाता है।

हमारे अध्ययन के प्रयोजन से **सार्वजनिक स्थान** में महिलाओं के आवागमन वाली सभी जगहें शामिल हैं, जैसे कि सार्वजनिक सड़कें, रेलगाड़ियां, बसें, टैक्सियां, निजी स्वामित्व वाले मॉल आदि भी। कोई भी स्थान जो घर के दायरे से बाहर हो, वह सार्वजनिक स्थान माना गया है। हालाँकि, स्थानों की जटिलता और निजी व सार्वजनिक स्थानों के गलत विभाजन की पड़ताल इस रिपोर्ट में की गई है।

[6] https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.21_declaration%20elimination%20vaw.pdf

1.2. पृष्ठभूमि

यह रिपोर्ट महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं के दौरान बाइस्टैण्डर द्वारा हस्तक्षेपों के संबंध में ब्रेकथ्रू (Breakthrough) द्वारा किए गए अनुसंधान को प्रस्तुत करती है। इस अनुसंधान का आधार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम करने के लिए ब्रेकथ्रू (Breakthrough) के मिशन से जुड़ा है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाना जिसका एक महत्त्वपूर्ण अंग है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होते देखने पर हस्तक्षेप करने के लिए, चाहे यह किसी होने वाली या हो रही घटना की रोकथाम के लिए किया जाए या उस व्यक्ति की सहायता के लिए, जिसके साथ हिंसा की गई हो, लोगों को प्रोत्साहित करना, इस मुद्दे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्रेकथ्रू (Breakthrough) के कार्य का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। फरवरी–मार्च 2020 में ब्रेकथ्रू (Breakthrough) ने एक अभियान शुरू करने की योजना बनाई, जिसका ध्येय बाइस्टैण्डर्स को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होते देखने पर हिंसक घटनाओं की रोकथाम हेतु हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित करना था।

लंबे समय से ऐसा माना जाता रहा है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के समाधान में बाइस्टैण्डर्स की भूमिका पर अतिरिक्त फोकस करने की ज़रूरत है। इस सोच का आधार यह है कि जिस व्यक्ति के साथ हिंसा की जा रही होती है, वह कदाचित ही उत्पीड़नकर्ता को हिंसा करने से रोकने की स्थिति में होता है। ज्यादातर आम मामलों में, हिंसा करने वाला व्यक्ति लगभग ऐसी स्थिति में होता है कि हिंसा का शिकार बनाए जा रहे व्यक्ति की तुलना में उस हिंसक व्यक्ति के पास रिलेशनशिप में अधिक सत्ता होती है। इससे प्रायः हिंसा का सर्वाइवर, हिंसा की वास्तविक घटना के समय असहाय हो जाता है। हालांकि ऐसा घरेलू हिंसा के मामलों में देखा जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन सहित सार्वजनिक स्थानों पर भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की होने वाली घटनाओं में एक समान पैटर्न दिखाई पड़ता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि हिंसा के सर्वाइवर द्वारा घटना को लेकर एतराज जताने (शोरगुल मचाने) पर भी बहुत कम ही बाइस्टैण्डर्स, शोषणों को रोकने या घटना के बाद सर्वाइवर की मदद करने के लिए आगे आते हैं। इससे पता चलता है कि ज्यादातर बाइस्टैण्डर्स महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं होते देखने पर चुप रहते हैं और किसी तरह का हस्तक्षेप करने से बचना चाहते हैं।

इस अनिच्छा का क्या कारण है, और जब बाइस्टैण्डर्स किसी प्रकार से सक्रिय हस्तक्षेप कर बैठते हैं, तो उस सहभागिता के लिए कौन से कारण ज़िम्मेदार होते हैं? ये दोनों मुद्दे बाइस्टैण्डर हस्तक्षेप अभियान के डिज़ाइन में बुनियादी रूप से महत्त्वपूर्ण थे।

इस अभियान के प्रमुख भागीदारों में 19-25 वर्ष आयु समूह वाले युवा शामिल हैं, क्योंकि यह ऐसी प्रमुख जनसंख्यात्मक श्रेणी है, जिसके साथ ब्रेकथ्रू (Breakthrough) काम करता है। अभियान में इस समूह की आवाज़ उठाने के लिए, उन छिपी हुई वजहों और मुद्दों को समझना ज़रूरी माना गया, जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का कोई मामला सामने आने पर इस आयु समूह के युवाओं को कार्यवाही या हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित या हतोत्साहित करते हैं। इसलिए यह अनुसंधानदृ जिसे बाइस्टैण्डर के हस्तक्षेप का अनुसंधान कहा गया है, बाइस्टैण्डर हस्तक्षेप अभियान को सूचित करने के ध्येय के साथ तैयार किया गया।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होते देखने पर हस्तक्षेप करने के लिए, चाहे यह किसी होने वाली या हो रही घटना की रोकथाम के लिए किया जाए या उस व्यक्ति की सहायता के लिए, जिसके साथ हिंसा की गई हो, लोगों को प्रोत्साहित करना, इस मुद्दे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्रेकथ्रू (Breakthrough) के कार्य का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।

इस अनुसंधान में इस आयु समूह के संदर्भ में इन दो बुनियादी प्रश्नों की पड़ताल की गई। इसके अलावा, ऐसा माना गया था कि ये प्रश्न महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे में व्यापक चर्चाओं में शामिल किए जाने चाहिए। यह महत्त्वपूर्ण माना गया क्योंकि हस्तक्षेप करने या न करने के फैसले, व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार – और इसलिए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की अपनी समझ के अनुसार लेता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की व्यापक बहस में प्रासंगिक माने जाने वाले महत्त्वपूर्ण मुद्दे ये भी हैं कि लिंग और आयु के संदर्भ में कौन, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं के दौरान आत्मविश्वास के साथ हस्तक्षेप करने में सक्षम होता है। अनुसंधान के डिजाइन में इन मुद्दों का भी ध्यान रखा गया।

बाइस्टैण्डर हस्तक्षेप अनुसंधान के लक्ष्य निम्न हैं:

- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे में बाइस्टैण्डर की समझ की पड़ताल करना, अर्थात विभिन्न कार्यवाहियां और घटनाएं, जिनको वह हिंसा के तौर पर समझते और मानते हैं, और इसलिए उन पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत महसूस करते हैं।
- उन वजहों की पड़ताल करना, जो बाइस्टैण्डर्स को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की कोई घटना देखने पर हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं या हस्तक्षेप करने से रोकती हैं।
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटना में हस्तक्षेप के लिए, बाइस्टैण्डर की कार्यवाहियों के प्रभावों की पड़ताल करना।

अनुसंधान के डिज़ाइन में इन सभी मुद्दों का ध्यान रखा गया, जिनके बारे में पद्धति वाले अनुभाग में विस्तार से बताया गया है।

साहित्यिक समीक्षा

महिलाओं के आंदोलन में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की थीम लगातार जुड़ी रहने के कारण से इस दिशा में काफी अकादमिक साहित्यिक कार्य किया गया है। विभिन्न विषयों के विद्वानों ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हुए इस पर ध्यान केंद्रित किया है कि किस तरह से परिवार, समुदाय और राष्ट्र/राज्य जैसी संस्थाओं ने भारत में जेंडरिंग को निर्धारित किया है। (Kannabiran 1996; Vaid, 1998; Karlekar 2001; Rajan 1999; John 2008; Butalia 2002)। 90 के दशक में जाति और यौनिकता (सेक्सुअलिटी) के सवालों पर हुई बहसों ने 'महिला' और 'परिवार' की लगभग एक जैसी दिखने वाली श्रेणियों की अवधारणाओं को उजागर कर दिया। इस अनुभाग में, उन सैद्धांतिक रूपरेखाओं को संक्षेप में बताया गया है, जिन पर इस अध्ययन में विचार किया गया है।

विद्वानों द्वारा परिवार को सामाजिक संगठन की एक बुनियादी इकाई माना गया है। (Shah, 1968, 1973; Bharat और Desai, 1991; Das 1993; Deshpande 94; Uberoi 2000)। यहीं से जेंडर समाजीकरण के शुरूआती सबक रफ्तार पकड़ते हैं और दैनिक कार्य जिसमें हम अपने जेंडर का अभिनय करते हैं, भी यहीं संपन्न किए जाते हैं। इतिहास, कानून, और समाजशास्त्र/सामाजिक मानवशास्त्र विषयों में विशेषरूप से इस संस्था को जेंडर के नज़रियों से देखा गया है। 1980 के दशक में विमेन्स स्टडीज के नए प्रकारों में महिलाओ और उनके अधिकारों के पृथक अध्ययन और विश्लेषण के लिए उन्हें परिवार से अलग करके देखा गया। (Jain और Rajput, 2003; John 2008)। परिवार की संरचनाओं की बहुलता और जटिलता को रेखांकित किया गया है (Kolenda 1967), और विद्वानों ने आधिकारिक और लोकप्रिय बहसों में विशेषाधिकार की सोच को हेट्रोनोमेटिव और परिवार की मध्यवर्गीय सोच कहा है। बीते वर्षों में किए गए अकादमिक प्रयासों से संकेत मिलता है कि संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार की दिशा में बदलाव पर फोकस करने से पारिवारिक संगठन के व्यापक स्वरूप किस तरह हाशिए पर पहुंच गए हैं, जिनमें भारत के मातृसत्तात्मक और जनजातीय समुदायों के परिवार भी शामिल हैं। (Bailey, 1960; Uberoi 2000)

इन विद्वानों ने सामूहिक रूप से यह दिखाया है कि महिलाओं का जीवन किस तरह से नातेदारी और अंतर्विवाह के भावात्मक रिश्तों से आकार लेता है, जो परिवार और समुदाय में उनका दर्जा तय करते हैं। (V Geetha, 2007)। स्त्रीत्व की पहचान बनाने को भेदभाव और हिंसा के शारीरिक और गैर–आक्रामक स्वरूपों का दैनिक रूप से सामना करने अनिवार्य रूप से जोड़कर देखा गया है–जिसका महिलाएं बड़े होते जाने के साथ अपने जीवन में सामना करती हैं। इस जीवनचक्र वाले तरीके ने महिलाओं की पहचान और जेंडरिंग की रचना का मूल्यांकन और परीक्षण करने और इसके साथ जाति, वर्ग और क्षेत्रीय विभिन्नताओं के समामेलन पर स्थित नातेदारी के व्यापक नेटवर्कों द्वारा निभाई जाने वाली बड़ी भूमिकाओं को मान्यता देते हुए एक अखंड तरीका अपनाने के लिए प्रेरित किया। (Karlekar, 1998)

परिवार और घर के अध्ययनों ने इनमें प्रचलित पारंपरिक पदानुक्रमों की भी छानबीन की है, जो संसाधनों और जिम्मेदारियों के आवंटन के मामले में भूमिकाएं निभाते हैं। हालांकि 'परिवार' और 'घर' इन दोनों शब्दों को प्रायः पारस्परिक रूप से उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन ये एक ही संस्था नहीं हैं, और अलबत्ता भिन्न अवधारणाओं का आपसी रूप से जुड़ा होना प्रदर्शित करते हैं। ''घर को प्रायः निवास या वासस्थल के संदर्भ में कहा जाता है और परिवार को मानवीय रिश्तों के अधिक घनिष्ठ स्वरूपों में समझा जाता है।'' (Jain और Banerjee,1985; Shah 1973, 1988; Sharma 1989). घर के आर्थिक विस्तार का विचार, इस बारे में एक अधिक स्पष्ट नज़रिया देता है कि किस तरह से यथार्थ वास्तविकताएं, जेंडर संबंधी असमानताओं को निर्धारित करती हैं। घर का आंतरिक विश्लेषण हमें यह बताता है कि किस तरह से खासतौर से महिलाएं, घरेलू कर्तव्यों का भारी बोझ उठाने के दौरान पदानुक्रम में सबसे नीचे की ओर धकेल दी जाती हैं। (Jain और Banerjee, 1985). घर की महिलाओं को प्रायः वरिष्ठ महिलाओं (जो प्रायः घर के मुखिया की पत्नी और पति की मां होती है), उनके अपने पति, और घर के पुरूष मुखिया की 'तिहरी सत्ता' के अधीन रहना पड़ता है। (Palriwala,1993) खाने–पीने की विशेष प्रकार की चीज़ों जैसे कि दूध, घी, मिठाई आदि के मामले में छेड़छाड़ और भेदभाव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और महिलाओं को अगर ये चीज़ें दी भी जाती हैं

तो प्रायः इनकी मात्रा बहुत कम रखी जाती है। हालाँकि, घरेलू परिश्रम के मामले में महिलाओं के कंधों पर ज़िम्मेदारी बहुत ज्यादा रखी जाती है। अलगाव के ये पैटर्न, बचपन से ही सिखाए गए, ''नातेदारी की स्थिति, खासतौर से सपिंड व्यवस्था, घरेलू आय और कार्य में योगदान, और सामाजिक संबंधों की ठोस सामग्री'' वाले मूल्यों से शासित होते हैं जो ''घर के अंदर उपभोग तक पहुंच के निर्धारकों'' के रूप में कार्य करते हैं। (Palriwala,1993)

नारीवादी अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि विशेषकर सीमांत जातियों और समुदायों में जेंडर असमानता निर्धारित करने वाली घर की यथार्थ वास्तविकता को देखते हुए, परिवार की कार्यात्मक अवधारणाओं के बजाय, जैसा कि अन्य विषयों में समझा गया है, घर को बारीकी से देखने की आवश्यकता है। (Krishnaraj 1990; Agarwal 1994; Banerjee 1997). ''ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों में, चाहे वे अनुसूचित जातियों के हों या नहीं, निर्धनता और बेरोजगारी की स्थितियां इतनी गंभीर हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रवासों की दिशा में बहुत ज्यादा जोर है, और इससे भी परिवार विघटित हुए हैं। इसके अलावा, जिन घरों में महिलाएं मुखिया हैं, वहां इसके आर्थिक प्रभाव भी हैं, जहां महिलाएं रोटी–रोजी कमाती हैं और पालन–पोषण करती हैं। इसलिए परिवार, इन वर्गों और जातियों के लिए कोई महत्त्वपूर्ण आधार नहीं है। ' (Jain और Banerjee 1985) विद्वानों का तर्क है कि आर्थिक परिवारए विशेषकर निर्धनों में, का विधिवत अध्ययन नहीं किया गया है। बढ़ती निर्धनता से असीमित रूप से प्रभावित, असमानता की गहरी पैठ वाले संसार में, जहां संसाधनों की बढ़ती कमी, पदानुक्रम आधारित संबंधों को लगातार नए सिरे से निर्धारित करने की ज़रूरत उत्पन्न करती है, वहां जेंडर, नए सिरे से तालमेल बिठाने के लिए एक बुनियादी धुरी बन जाता है।

परिवार और घर के स्थान, जेंडर की संरचना और ऐतिहासिक कारणों से महिलाओं के साथ किए जाने वाले सहवर्ती व्यवहार की खोजबीन हेतु अध्ययन के महत्त्वपूर्ण स्थान बन जाते हैं। भारत में उपनिवेशी शासन की शुरूआत से, महिलाओं की स्थिति को भारतीय समाज की 'प्रगतिशीलता' मापने का एक आदर्श पैमाना माना गया। (Sangari और Vaid, 1989; Forbes 2005)

महिलाओं से जुड़े सवाल, भारत में 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों में केंद्रीय स्थान पर थे, और बाद के वर्षों में बहसों में, उपनिवेश के अधीन लोगों की 'परंपरा' को नया स्वरूप प्रदान करते हुए और नई कल्पनाओं के साथ 'महिलाओं' को इन बहसों के केंद्र में रखा गया। जेंडर का अध्ययन करने वाले विद्वानों, खासतौर से लता मणि और मृणालिनी सिन्हा ने इस पर सफलतापूर्वक जोर दिया और सिद्ध किया कि किस तरह से 'महिलाओं और उनकी स्थितियों से जुड़े प्रश्न' महिलाओं से कहीं अधिक व्यापक हैं। (Mani, 1987; Sinha 2006) खासतौर से उपनिवेश विरोधी संघर्ष के संदर्भ में महिलाओं के संगठनों में परिवारए नातेदारी, और सामुदायिक संबंधों और सम्मान को ऐतिहासिक रूप से नए स्वरूप दिए गए। इस प्रक्रिया में, राष्ट्रवादी विचारों और साम्राज्यवाद–विरोधी आंदोलनों को मज़बूत बनाने के लिए परंपरा, आधुनिकता, प्रथाओं के विचार गढ़े गए। (Mohanty 1984; Chakravarti 1989; Chakrabarty, 1995; Arunima 1995; Bhattacharya 1996; Sinha 2000; Kodoth 2001; Sarkar 2001; Pandian 2002; Sarkar और Sarkar 2008) भारतमाता की शक्तिशाली अवधारणा–जो राष्ट्र की माता की छवि से मिली हुई थी, ने दिखाया कि किस तरह से महिलाओं के सम्मान और पवित्रता को राष्ट्र और समाज के नवनिर्माण के प्रयासों में गूंथा गया था। (Sinha, 2006) 1927 में कैथरीन मेयो के मदर इंडिया के विवादित प्रकाशन के अपने चर्चित विश्लेषण में सिन्हा ने बारीकी से इसका ब्यौरा दिया है कि किस तरह से पुस्तक की अपार सफलता और उससे उत्पन्न होने वाली बहसें, भारत में सामाजिक और राजनैतिक आपसी संबंधों की फिर से छानबीन के लिए एक बेजोड़ प्रेरक साबित हुईं, जहां सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में महिलाओं का प्रभाव बढ़ा जो पुरूषों का क्षेत्र माना जाता था।

घरेलूपन और विवाह संबंधी अवधारणाओं के भी ऐतिहासिक आधार हैं। (Nair 1994; Arunima 1995; Kodoth, 2001; Ghosh 2004, Sarkar 2008) जहां उपनिवेशकालीन भारत में बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर बात की, और महिलाओं की शिक्षा और पुनर्विवाह के सवालों पर खासतौर से अपना ध्यान केंद्रित किया। सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा को उन्हें बेहतर और अधिक ज़िम्मेदार माताएं और पत्नियां बनाने के लिए ज़रूरी बताया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में, लड़कियों और लड़कों के विवाह की सही आयु तय करने के लिए लगातार बहसों ने विवाह की संस्था की ओर सुधारकों और महिला कार्यकर्ताओं का ध्यान समान रूप से खींचा। (Sarkar 1993, 2000) विवाह को एक अनुबंध मानने के कल्पित विचार और इससे संबंधित वैवाहिक धारणाओं पर इन पेजों में लगातार और प्रखरता से बहस की गई है। इसके साथ ही, भारतीय महिलाओं को सीता या सावित्री आदि

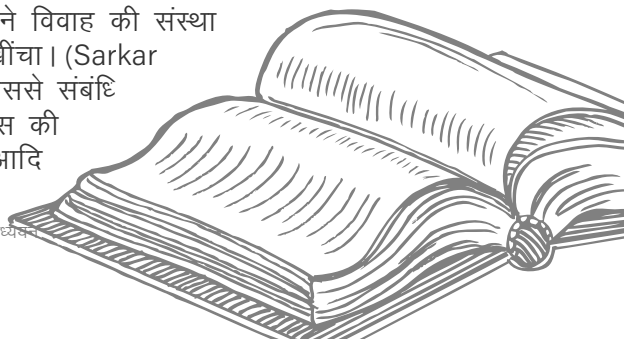

पौराणिक चरित्रों के समान मानने की सोच ने महिलाओं का 'शुद्धता' और 'आदर्श' के तय मानकों में बंधा रहना निश्चित किया। (Rajan 1998; Devika 2005)

बीते वर्षों में, महिला और नारीत्व की मानक परिभाषाएं तय करने वाले मॉडलों पर जेंडर संबंधी सिद्धांतवादियों द्वारा प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। यह शायद कानून और सक्रियतावाद के संदर्भ में सबसे बेहतर परिलक्षित होता है। 1970 और 80 के दशकों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की कई सारी अत्यन्त क्रूर घटनाएं घटित हुईं, मथुरा में एक युवा आदिवासी लड़की और हैदराबाद में एक युवा मुस्लिम लड़की का हिरासत में बलात्कार, 1987 में 18 वर्षीया रूप कंवर के सती होने की घटना, और दहेज संबंधी मौतें, जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विरोध में सार्वजनिक अभियानों के केंद्र बनी रहीं। कंवर के सती होने की घटना ने एक असाधारण समस्या को उजागर किया जो भारतीय नारीवाद से जुड़ी बहसों और महिलाओं के वर्तमान आंदोलनों में शामिल है– महिलाओं के प्राधिकार का जटिल प्रश्न। (Vaid और Sangari 1991; Loomba 1993; Phadke 2003; Dyahadroy 2009; Chaudhuri 2012; Rao 2015) जहां रमीजा बी और मथुरा बलात्कार मामलों ने राज्य के कार्यकर्ताओं, जैसे कि पुलिस की जवाबदेही और लापरवाही के मुद्दे को उजागर किया, वहीं यह भी प्रकट किया गया कि किस तरह से इन महिलाओं के विशेष परिवेश– आदिवासी और मुस्लिम– इस मुद्दे को गंभीर बनाते हैं। 80 के दशक में मंडल संबंधित और एड्स की बीमारी से संबंधित जाति और सेक्सुअलिटी की राजनीति पर बहसों ने 'महिलाओं' का एकसमान श्रेणीकरण छिन्न–भिन्न कर दिया और सेक्स की जैविक श्रेणी को जेंडर से बदला जाना सुगम बनाया। (John और Nair,1998; Menon 2009).

कानून और कानूनी शास्त्र एक अन्य क्षेत्र है जहां नारीवादी सोच को जेंडर संबंधी न्याय में शामिल किया गया है, (Agnes 1992; Kannabiran 2009), कानूनी रूपरेखाओं में महत्त्वपूर्ण फेरबदल के लिए 1970 के दशक के आखिर से लगातार नारीवादी सहभागिता के साथ (Kumar 1993; Sen, 2010) चार विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं द्वारा 1979 में, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए एक पत्र के बाद, जिसमें 1972 के मथुरा बलात्कार मामले को व्यापक रूप से सही तरह से संभाले न जाने के कारण आखिरकार मुल्जिम के बरी हो जाने की तीखी आलोचना की गई थी, देशभर में पनप उठे आक्रोश के फलस्वरूप 1983 में, हिरासत में बलात्कार को, बलात्कार के अपराध में जोड़ा गया। (John 2008) न्यायालय द्वारा ऐसा मंतव्य प्रकट किए जाने के कारण लोगों में क्रोध अधिक उमड़ा था, कि 16 वर्षीय लड़की, सेक्स की आदी थी और इसलिए 'वह इतना भयभीत नहीं हो सकती थी कि विरोध न कर सकती थी।'[7] (Gangoli 1996; John 2008) 1978 के रमीजा बी बलात्कार मामले में आरोपी पुलिस वालों को बरी करते हुए भी न्यायालय द्वारा ऐसा ही तर्क दिया गया था। (Kannabiran 1996) न्यायालय में बचाव पक्ष के वकील ने बी को सेक्स वर्कर साबित करने का प्रयास किया और इस तरह से न्याय के अयोग्य पाया गया।

1980 के दशक में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा संबंधी प्रमुख अभियानों के जवाब में, कानून में कुछ अन्य प्रमुख बदलाव किए गए: दहेज निषेध अधिनियम को 1984 में और फिर 1986 में संशोधित किया गयाय पत्नी से क्रूरता और उसका उत्पीड़न, 1983 में धारा 498(A) IPC के अंतर्गत एक संज्ञेय अपराध बना दिया गयाय और दहेज संबंधी मौतों के लिए धारा 304B को IPC में 1986 में शामिल किया गया। (Agnes 1992, 2013) हालाँकि आज भी ज्यादातर महिलाओं के लिए न्याय, एक मृगमरीचिका ही बना हुआ है; फ्लेविया एग्नेस (Flavia Agnes -1990) का मत है कि महिलाओं को न्याय प्रदान करने की ज़िम्मेदारी जिनको सौंपी गई है, परिवार के प्रति तथा महिलाओं के विरोधी उनके दृष्टिकोण ही एक प्रमुख बाधा हैं। कपूर (Kapur - 2001) ने समान रूप से कहा है कि किस तरह से 'अवांछित' संकेतों की श्रेणी, प्रायः प्रभावशाली यौन मानदंडों से निर्धारित होती है। इसके अलावा, साक्ष्य का भार, सहमति का तत्व, और सर्वाइवर की सेक्स संबंधी पुरानी गतिविधियों की संभावनाएं, प्रायः उसके चरित्र को 'ढीला या लूज' साबित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, और इस तरह से उसे ''घटिया'' महिला मान लिया जाता है। 'भारतीय मूल्यों' का एक अघोषित लेकिन शक्तिशाली विचार, कानूनी ढांचे और इसके क्रियान्वयन पर हावी है। स्थानीय संस्थाएं जैसे कि खाप पंचायतें, अलिखित, समाज में स्वीकृत मानदंडों को लागू कराना सुनिश्चित करती हैं, और वे प्रायः इन नैतिक और सांस्कृतिक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए हिंसा और हत्याओं तक का सहारा लेती हैं। (Choudhary, 1998)

[7] The Right to Protection from Sexual Assault: The Indian Anti-Rape Campaign, Geetanjali Gangoli, Development in Practice , Nov., 1996, Vol. 6, No. 4 (Nov., 1996), pp. 334-340

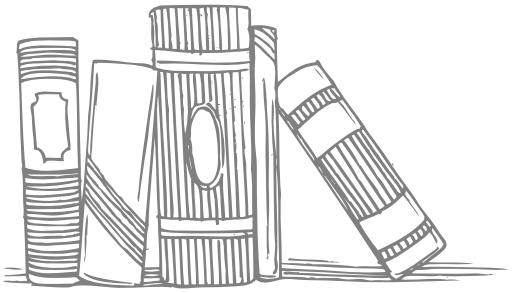

मानव भूगोल में एक उप–विषय के रूप में नारीवादी क्षेत्रों की, अकादमिक जगत में भौगोलिक स्थानों के जेंडर आधारित अध्ययन में महत्त्वपूर्ण स्थिति है। (McDowell 1999; Rai 2007) जैसा कि पहले कहा गया है, 'सार्वजनिक' स्पेस (स्थान) और 'निजी' स्पेस के बीच द्विभाजन, नारीवादी सक्रियतावाद और अध्ययन सहभागिता की एक प्रमुख चिंता है। सार्वजनिक और निजी के बीच अंतर स्पष्ट रूप से अलग–अलग प्रतीत होते हैं। हालाँकिए मोटे तौर पर सांस्कृतिक समाजशास्त्र में स्पेस के अध्ययन की पुरानी विधियां यह दिखाती हैं कि भौतिक स्पेस, सामाजिक ढांचों की झलक दिखाते हैं और उनको पहले से दिया और समय में स्थिर स्पेस माना जाता है। (Abraham 2010) हालाँकि, हाल के विद्वानों ने यह उल्लेख किया है कि इन स्पेसों में रहने वाले लोग और उनके आपसी संबंधों की गतिशीलता, बीच में मौजूद विभाजक को धुंधला कर देती है। (Gupta 2012, Bhattacharyya 2014, 2016) यह सार्वजनिक स्थानों (जैसे कि पार्कों, गलियों आदि) और निजी स्पेसों (जैसे कि घर/परिवार आदि) की यथार्थ मौजूदगी को अस्वीकार नहीं करता। हालाँकि इन स्पेसों के बारे में बारीक समझ यह बताती है कि किसी स्पेस का निजी या सार्वजनिक होना, गतिशील होता है जो इन स्पेसों में रहने वालों की गतिविधियों और आपसी क्रियाओं के अनुसार लगातार बदलता रहता है। जहां ये स्पेस, समय में स्थिर नहीं होते, वहीं वे मोटे तौर पर प्रभावी सामाजिक ढांचों सांस्कृतिक वर्णनात्मक और जेंडर मानदंडों (Menon और Allen 2018) की झलक देते हैं (Abraham 2010) और इस तरह से इन स्पेसों की और इनके अंदर दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं।

इसके अलावा, यह समझना ज़रूरी है कि इन स्पेसों में कौन लोग रहते हैं: इन स्पेसों तक किसकी पहुंच है; इन स्पेसों से किसे निकाला गया है, और क्यों? कुछ स्पेस जो साफ तौर पर सार्वजनिक माने जाते हैं, उनमें सामाजिक पहचान वाले चिन्हों (जाति, जेंडर, वर्ग आदि) के कारण कुछ निश्चित लोग ही पहुंच पाते हैं। हाल के निष्कर्षों से पता चला है कि भारत में सार्वजनिक स्थानों पर ''स्त्री–द्वेष की संस्कृति'' पाई जाती है, जो नस्ल, संस्कृति, या आयु आदि वजहों से पृथक, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की अत्यधिक मौजूदगी का संकेत देती है। (Gupta 2012, Bhattacharyya 2016, Madan और Nalla 2016) विद्वानों ने बताया है कि पहचान के सभी चिन्हों में से, महिला होना, विशेषकर सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का भय बढ़ाने वाला माना गया है। (Starkweather 2007, Bhattacharyy 2014, 2016) अनुसंधानों से पता चला है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में बढ़ोत्तरी को प्रभावित करने वाली वज़हों में, निर्धनता, बेरोजगारी, गहरे में समाई हुई पुरुष प्रधानता की सोचए और जेंडर आधारित ऐसे सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्य शामिल हैं, जो महिलाओं को पुरूषों के अधीन मानते हैं। (Fenster 2005, Bhattacharyya 2014, 2016) इससे मोटे तौर पर तीन मुद्दे उत्पन्न होते हैं:

- पुरूषों और लड़कों की तुलना में सार्वजनिक स्थान तक पहुंच के मामले में महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिक प्रतिबंध।
- महिलाओं और लड़कियों को 'संपत्ति' का दर्जा दिया जाना, जो स्पेसों तक उनकी पहुंच के बारे में उनके नातेदार पुरूष को फैसले करने का प्राधिकार देता है।
- अगर महिलाओं और लड़कियों के हिंसा का शिकार होने की स्थिति में उन पर दोषारोपण किए जाने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनको इस स्पेस में जाना ही नहीं चाहिए था। (असंबद्धता)

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, जेंडर संबंधी ऐसी असमानता के फलस्वरूप होती है, जो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से ताकतवर सांस्कृतिक तर्कों से आकार लेती है और इस प्रकार खुद को मज़बूत बनाती है। (Verma और Mahendra 2004, Zietz और Das 2017) भारत में, युवा पुरूष, पुरूषों के प्रभुत्व वाले समाज में बड़े होते हैं, जिसमें वे अन्य जेंडर (रों) वाले हमउम्र लोगों के संपर्क में कम आ पाते हैं, इसलिए, पुरूष-महिला के रिश्तों के बारे में उनकी समझ सीमित होती है। (Zietz और Das 2017). बड़े होने के दौरान लड़के, लड़कियों की तुलना में अधिक आज़ादी, गतिशीलता, मौके, और ताकत हासिल करते हैं (Verma और Mahendra 2004, Zietz और Das 2017)। जबकि लड़कियों की सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच दिनोंदिन सीमित कर दी जाती है, और उनकी स्वतंत्रता पर परिवार के पुरूष सदस्यों की मर्जी हावी होती जाती है जो उनकी ओर से फैसले करने लगते हैं। इसके अलावा, लड़की/महिला की पवित्रता से जुड़ा परिवार के सम्मान का नज़रिया, महिलाओं पर एक बोझ बनता है, जिससे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों में चुप रह जाने, और मामले प्रकट न करने की आदत बनती जाती है। (Menon और Allen 2018) यह संस्कृति, इस पुरूष प्रधानता वाले विश्वास से उपजती है कि चुप रहने से महिला के सम्मान का संरक्षण और रक्षा होगी, और इस तरह उसके परिवार का सम्मान बचा रहेगा। इसमें इस तथ्य को अनदेखा कर दिया जाता है कि महिला की चुप्पी से केवल शोषणकर्ता का, और पुरूष प्रधानता का फायदा पाने वालों का बचाव होता है। ऐसी सोच,

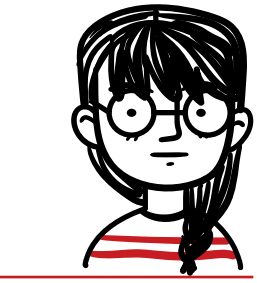

'बिना उद्देश्य और अर्थ के स्वच्छंद बनो। यह पूछे बिना स्वच्छंद रहो, कि यह दिन का कौन सा समय है, हम यहां क्यों हैं, हमने क्या पहना हुआ है, और हम किसके साथ हैं। तभी हम वास्तव में इस शहर से, और यह शहर हमसे जुड़ पाएगा।''

भारतीय समाज में मौजूद सामूहिक मूल्य भी दिखाती है जो बड़े समुदाय के सामने व्यक्तिगत भलाई को नजरअंदाज करते हैं। (Menon और Allen 2018)

सुरक्षित, निजी स्पेस के रूप में घर के उदाहरण पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। (Fenster 2005, Bhattacharyya 2014, 2016, Das et.al 2015)। इसके बजाय घर ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का स्थान बन जाता है, जहां वे अपनी पूरी स्वायत्तता हासिल नहीं कर पातीं और फैसले करने वाले मामलों आदि में भाग नहीं ले पातीं। (Bhattacharyya 2014, 2016, Das et.al 2015) पुरूष प्रधानता वाले प्रभुत्व के ढांचों में महिलाओं को वस्तुओं/चीज़ों की तरह देखा जाता है जो अपने परिवार में निकट पुरूष सदस्य की संपत्ति होती हैं। अन्य वजहों के साथ, मालिकाने की यह सोच, विभिन्न प्रकार की घरेलू हिंसा का कारण बनती है, जिसमें यौन और शारीरिक हिंसा भी शामिल है। (Bhattacharyya 2014, 2016, Das et.al 2015)। इसलिए, महिलाओं के विरुद्ध कोई हिंसा जैसे कि घर में या निजी स्पेसों में वैवाहिक हिंसा निजी मामला मानी जाती है, जिसमें बाहरी दखल की ज़रूरत नहीं महसूस की जाती। (Menon और Allen 2018) वास्तव में बड़ी संख्या में भारतीय महिलाओं के इंटरव्यू वाले एक अध्ययन में ऐसा पाया गया कि अपने वैवाहिक जीवन में हिंसा को मोटे तौर पर महिलाओं ने रोजमर्रा की साधारण बात के तौर पर देखा, और इसे समुदाय द्वारा भी वैध माना गया। (Srivastava – Murugesan 2001 in Menon और Allen 2018)

महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों की नई परिकल्पना से संबंधित अपने *Why Loiter (2011)* शीर्षक वाले प्रमुख कार्य में Shilpa Phadke, Sameera Khan और Shilpa Rande ने महिलाओं की दैनिक गतिविधियों जोखिम उठाने और मौज–मजे की गतिविधियों को महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा, सार्वजनिक स्थानों पर दावा करने के क्रांतिकारी उपाय के रूप में देखा। यह ऐसा यूटोपिया (आभासी संसार) रचने की कोशिश है जो स्वतंत्र और सबको समावेशित करने वाला हो, और इसके साथ आनंद की एक चाहत प्रबल बनाने का विचार, जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विरोध में हमारे संघर्ष को मज़बूती प्रदान करे जो कि संरक्षण के बजाय अधिकारों की भाषा द्वारा निरूपित है। यह महिलाओं की आकांक्षाओं के कई पहलुओं को समायोजित करने की संभावना बनाता है, और इसके साथ नैतिकता वाली नीतियों को महिलाओं को नियंत्रित और इस प्रकार से 'सुरक्षित' रखने के साधनों के रूप में देखता है।

उनके लिए स्वच्छंदता–सभी वर्गों और समूहों की महिलाओं के लिए नारीवादी संकल्प का कार्य है, जो पवित्र किए गए एक जैसे स्पेसों की धारणा खंडित करते हुए नई संभावनाओं के स्पेस खोलता है।

2. पद्धति

अभियान को डिजाइन करने वाली टीम के लिए अपेक्षित जानकारियों के संबंध में ब्रेकथ्रू (Breakthrough) से आरंभिक चर्चाओं के बाद इस अनुसंधान की योजना जनवरी 2020 में बनाई गई थी। शुरूआती दौर में हमने तय किया कि हम इस अनुसंधान को ऐसे इलाकों में करेंगे जहां ब्रेकथ्रू (Breakthrough) अपने कार्यक्रम चला रहा है, क्योंकि ऐसा किए जाने से, कार्यक्रम लागू करने वाली टीमों के माध्यम से अनुसंधान प्रतिभागियों को शामिल करने की प्रक्रिया में आसानी रहेगी। हालाँकि आगे चलकर कोविड -19 की वजह से लॉकडाउन के कारण, और डाटा संकलन के उद्देश्य से की जाने वाली यात्राओं पर प्रतिबंध लग जाने की वजह से अनुसंधान की प्रगति में रूकावटें आईं। तब हमने डाटा संकलन की दूसरी रणनीतियां तय कीं, जिनके बारे में नीचे के अनुभागों में विस्तार से बताया गया है, हालाँकि इन वजहों से अनुसंधान में विलम्ब हुआ।

इन शुरूआती योजनाओं के अलावा, मार्च–अप्रैल 2020 में, ब्रेकथ्रू ने बाइस्टैण्डर हस्तक्षेप पर एक अन्य सोशल मीडिया अभियान के लिए समान थीमों पर अतिरिक्त अनुसंधान करने का फैसला किया। हालाँकि यह दूसरा अनुसंधान, भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भागों के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के साथ आयोजित किया जाना था। अनुसंधान का यह चरण, सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के व्यक्तिगत अनुभवों की खोजबीन की भी मांग करता था। हमने इन भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित भागीदारों की साथ आपसी साझेदारी से यह अनुसंधान करने की योजना बनाई, ताकि वे अनुसंधान प्रतिभागियों को शामिल करने की प्रक्रिसा को आसान बना सकें।

अनुसंधान के दो चरण थे:
जुलाई–अगस्त और सितम्बर–अक्टूबर 2020। पहले चरण के दौरान ब्रेकथ्रू (Breakthrough) प्रोग्राम टीमों की सहायता से हमने निम्न स्थानों पर 36 प्रतिभागियों के इंटरव्यू लिए:

- ग्रामीण हजारीबाग (झारखंड)
- ग्रामीण गया (बिहार)
- ग्रामीण झज्जर (हरियाणा)
- दिल्ली के पड़ोस में एक अनौपचारिक कार्यशील वर्ग
- और दिल्ली और शहरी परिधिग्रामीण हरियाणा के इलाकों से कॉलेज जाने वाली महिलाएं

दूसरे चरण में, हमने इन चार भारतीय नगरों में रहने वाले 55 प्रतिभागियों के इंटरव्यू लिए:

- कोलकाता
- हैदराबाद
- मुम्बई
- दिल्ली

हर नगर में प्रतिभागियों की पहचान भागीदार संगठनों के माध्यम से की गई – माय चॉइसेज फाउंडेशनए हैदराबादय हैबिटेट एंड लाइवलीहुड वेलफेयर एसोसिएशन (HALWA), मुम्बई और रंगीन खिड़की, कोलकाता.

अंत में, चरण 2 में अनुसंधान के एक विशेष भाग के रूप में एक सर्वेक्षण शामिल था, जो मत्रात्मक डाटा संकलित करने के लिए था। सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का विस्तार समझना इस सर्वेक्षण का उद्देश्य था। चूंकि इस सर्वेक्षण को आमने–सामने आयोजित कराना असंभव था, इसलिए इसे ब्रेकथ्रू (Breakthrough) के सोशल मीडिया पेजों पर और संगठन के नेटवर्कों के माध्यम से शेयर किया गया ताकि लोग खुद ही सर्वेक्षण भर सकें।

2.1. अनुसंधान के प्रश्न

इसे समझने के लिए कि सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा की गतिविधियों में हस्तक्षेप के मामले में बाइस्टैण्डर के व्यवहार को कौन सी वजहें प्रेरित करती हैं, अनुसंधान टीम ने प्राथमिक अनुसंधान करने की योजना बनाई।

अनुसंधान में तीन बुनियादी प्रश्न पूछे गए:

- *लोगों को किसी सार्वजनिक स्थान पर किए जा रहे हिंसक कार्य, जिसके वे गवाह होते हैं, की रोकथाम करने या उसे रोकने के लिए दखल देने के लिए क्या प्रेरित करता है?*
- *लोगों को किसी सार्वजनिक स्थान पर किए जा रहे हिंसक कार्य, जिसके वे गवाह होते हैं, की रोकथाम करने या उसे रोकने के लिए दखल देने से कौन सी वजहें उन्हें रोकती हैं?*
- *बाइस्टैण्डर्स के हस्तक्षेप से क्या प्रभाव पड़ता हैं?*

अनुसंधान के दूसरे चरण में हमने नीचे दिया गया एक अतिरिक्त प्रश्न जोड़ा:

- *सार्वजनिक परिवहन में हिंसा झेलने वाले लोगों के अनुभव कैसे होते हैं?*

2.2. अनुसंधान की विधियां

इस अनुभाग में उन पद्धतियों का ब्यौरा दिया गया है जिनको इस अध्ययन के दौरान लागू और उपयोग किया गया, और इनको इस्तेमाल करने की वजहें भी बताई गई हैं। सैम्पलों और अनुसंधान की पद्धतियों के प्रकार के बारे में फैसले करने का एक महत्त्वपूर्ण आधार यह था कि यह अनुसंधान प्रमुख रूप से खोजबीन करने के रूप में था, यानी कि इसमें एक मुद्दे की गहराई से छानबीन की जानी थी। लोगों की राय–उनकी बातें सुनना एक उद्देश्य था, कि उन्होंने क्यों हस्तक्षेप किया या क्यों हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि यह बाइस्टैण्डर हस्तक्षेप के अभियान का एक महत्त्वपूर्ण पहलू होगा। अतः इसके लिए बारीक डाटा की ज़रूरत थी, जो मोटे तौर पर डाटा संकलन की गुणात्मक पद्धतियों द्वारा संकलित किया जाता है। सैम्पल तय करने और उत्तरदाताओं की श्रेणियों, डाटा संकलन पद्धतियोंए और डाटा विश्लेषण के तरीकों के बारे में संक्षेप में चर्चाओं सहित इन मुद्दों पर नीचे बात की गई है।

2.2.1. सैम्पल तय करने का तरीका

उत्तरदाताओं की श्रेणियां तय करने के साथ सैम्पल तय करने का तरीका, अभियान के लक्षित वर्ग पर आधरित था। इसे ध्यान में रखते हुए, कि बाइस्टैण्डर हस्तक्षेप अभियान 19-25 आयु वर्ग वाले युवा लोगों पर केंद्रित होगा, अनुसंधान टीम ने तय किया कि यह इस अनुसंधान के लिए उत्तरदाताओं की एक प्रमुख श्रेणी होगी। हालाँकिए अनुसंधान टीम ने यह भी माना कि आयु के आधार पर वरिष्ठ लोगों को अधिक महत्त्व देने वाले समाज में, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं में दखल देने के लिए युवाओं के पास पर्याप्त शक्ति होना ज़रूरी नहीं हो सकता है। इसलिए, अधिक आयु वाले लोगों की एक श्रेणी को शामिल करना उचित माना गया और ऐसा विचार किया गया कि अधिक आयु वाले लोगों के इस ग्रुप में पुरूषों के सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने की संभावनाएं अधिक हैं और न केवल खुद हिंसा करने बल्कि

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए उनमें दखल देने के लिए भी इनको अधिक शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए, इन मुद्दों के आधार पर उत्तरदाताओं की तीन श्रेणियां तय की गईं:

- 19.25 वर्ष आयु समूह वाली लड़कियां/महिलाएं
- 19.25 वर्ष आयु समूह वाले लड़के/पुरूष
- 25 से अधिक आयु वाले 25.40 वर्ष आयु समूह वाले पुरूष

प्रत्येक चरण में सैम्पल का आकार, प्रत्येक ग्रुप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ लगभग 45 रखा जाना था। हालाँकि अनुसंधान का कार्य आगे बढ़ने के साथ, अध्ययन प्रतिभागियों को चिन्हित किया गया और प्रतिभागियों से संपर्क करने की वास्तविक प्रक्रिया –जिसके बारे में अगले अनुभाग में बात की गई है–के परिणामस्वरूप चरण 2 में उत्तरदाताओं की दो अन्य श्रेणियां शामिल की गईं– 25.40 वर्ष आयु समूह वाली महिलाएं और 40 से अधिक आयु वाली महिलाएं।

2.2.1.1. उद्देश्यपूर्ण सैम्पल निर्धारण

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं देखने पर लोगों को हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करने वाली वजहों को समझना इस अनुसंधान का बहुत विशेष उद्देश्य था, उद्देश्यपूर्ण सैम्पल तय करने की रणनीति अपनाई गई। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि हम खासतौर से प्रथम अनुसंधान प्रश्न जो कि हिंसा देखने पर हस्तक्षेप करने के लिए लोगों की प्रेरणाओं से संबंधित था, का उत्तर ढूंढने के लिए पर्याप्त डाटा इकट्ठा कर सकें। इसलिए अनुसंधान के दोनों चरणों के दौरान हमने संचालक टीमों से खासतौर से कहा कि वे ऐसे लोगों को चुनें जिनको महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की किसी घटना में हस्तक्षेप करने का कम से कम एक अनुभव हो। हालाँकि इसके बावजूद जब हमने डाटा इकट्टा करना शुरू किया तो हमने पाया कि हर मामले में ऐसा नहीं हुआ था।

प्रतिभागियों तक पहुंचने के लिएए हमने ब्रेकथ्रू और भागीदार एजेंसियों में संचालक टीमों से खासतौर से अनुरोध किया कि वे खासतौर से ऐसे लोगों की पहचान करें जो अनुसंधान और उत्तरदाता की श्रेणी वाले मानक पूरे करते हों। हमने संचालक टीमों को एक संक्षिप्त परिचय विवरण भी प्रदान किया, जिसमें अनुसंधान के उद्देश्यों और गोपनीयता के मुद्दों को स्पष्ट किया गया था; यह अनुसंधान के बारे में संभावित प्रतिभागियों को समझाने, और अनुसंधान टीम द्वारा संपर्क किए जाने हेतु उनकी शुरूआती सहमति लेने का भी एक साधन था।

अनुसंधान शुरू हो जाने पर, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं में हस्तक्षेप करने का मानक पूरा करने वाले व्यक्तियों की पहचान में कठिनाई होने के कारण वास्तविक सैम्पलों में ऐसे लोग भी शामिल हो गए, जिन्होंने वास्तव में वैसा नहीं किया हो सकता था, लेकिन जिनके इंटरव्यू हमें लेने थे क्योंकि इंटरव्यू लेने पर हम पर्याप्त गहराई तक डाटा प्राप्त कर सकते थे। आयु और लिंग के अनुसार अध्ययन प्रतिभागियों का वास्तविक वितरण तालिका 1 में दिखाया गया है:

तालिका 1

आयु समूह	19-25		26-40			40 से अधिक		योग
चरण	F	M	F	M	vU;	F	M	
1	12	11	6	7		-	-	36
2	10	3	22	13	1	6	-	55
योग	**22**	**14**	**28**	**20**	**1**	**6**	**-**	**91**

तालिका 1: आयु और लिंग के अनुसार अध्ययन प्रतिभागियों का वितरण

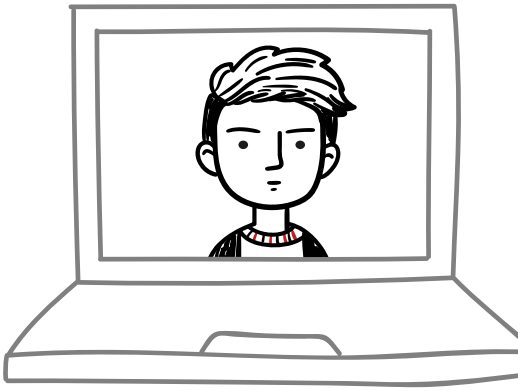

2.3. गुणात्मक डाटा संकलन

इस अनुसंधान में गहन और सूक्ष्म विवरणों की ज़रूरत पूरी करने के लिए हमने जहां संभव हो, व्यक्तियों या समूहों के गहन गुणात्मक इंटरव्यू लेने का फैसला किया। इस तरह से व्यक्तियों के, या ग्रुप इंटरव्यूज़ के दौरान अधिकतम चार–पाँच व्यक्तियों के सेमी–स्ट्रक्चर्ड, खुले विकल्प वाले इंटरव्यू लिए गए। इस उद्देश्य से एक सेमी–स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू गाइड भी तैयार की गई–इसे परिशिष्ट 4 के रूप में शामिल किया गया है। इसमें डाटा संकलन के माध्यम से प्रश्नों को जोड़ा गया जहां प्रतिभागियों ने ऐसे नए मुद्दे उजागर किए, जिनके बारे में हम पहले अनुमान नहीं लगा सके थे। इस तरह से, प्रश्नों का विकास भी एक क्रमिक प्रक्रिया थी।

प्रतिभागियों के बीच बातचीत प्रेरित करना और इस तरह से इस बारे में अधिक विस्तृत डाटा प्राप्त करना ग्रुप इंटरव्यूज़ कराने का उद्देश्य था, कि किस तरह से प्रभावी हस्तक्षेप रणनीतियों को अपनाया जाता रहा है। यह केवल तभी किया गया जब हम आश्वस्त थे कि प्रतिभागी, एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्योंकि वरना उनके बीच ऐसी बातचीत कराने का उद्देश्य पूरा नहीं होता। ग्रुप इंटरव्यूज़ की प्रक्रिया से प्रतिभागियों के बीच विभिन्न प्रकार के सवाल–जवाब भी हुए, जिससे विशेष घटनाओं के बारे में प्रतिभागियों के अपने अनुभव निकलकर सामने आए, और इंटरव्यू की प्रक्रिया के दौरान मिलने वाली जानकारी के आधार पर प्रश्न तैयार करने के लिए केवल इंटरव्यू लेने वाले पर निर्भर नहीं रहना पड़ा।

इंटरव्यूज़ को इंटरनेट आधारित वीडियो कॉलिंग प्लेटफार्मों या निजी और कॉन्फ्रेन्स फोन–कॉलों के माध्यम से आयोजित किया गया। हमने महामारी और उसके कारण लागू प्रतिबंधों की वजह से इन माध्यमों का उपयोग किया, क्योंकि आमने–सामने के इंटरव्यू लेने के लिए अनुसंधान टीम यात्रा नहीं कर सकती थी।

इन स्वरूपों की अपनी सीमाएं थीं, क्योंकि टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शनों की कमियों की वजह से ऑडियो क्वॉलिटी खराब हुई और इंटरव्यू देने वाले और इंटरव्यू लेने वाले दोनों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। ज्यादातर मामलों में विजुअल माध्यम के न होने से, लोगों के अमौखिक संवाद और शारीरिक हाव–भाव से इस बारे में विजुअल संकेत प्राप्त करना असंभव था कि इंटरव्यू कैसा चल रहा है। हमने अनुसंधान की पूरी प्रक्रिया के दौरान रिमोट डाटा संकलन के इस प्रकार का प्रभाव महसूस किया दृइंटरव्यूज़ आयोजित किए जाने के दौरान, और अनुसंधान लिखे जाने के दौरान भीय इन दोनों पिछली प्रक्रियाओं के मिले–जुले प्रभावों ने हमारे द्वारा किए जाने वाले डाटा विश्लेषण को प्रभावित किया, खासकर यह समझने में कि डाटा से हम कौन से हम उत्तर दे सकते थे या नहीं दे सकते थे। अनुसंधान को प्रभावित करने वाली वजहों वाले अनुभाग में हम इस बारे में हम अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे।

2.4. नैतिकता और सहमति

लोगों पर किए जाने वाले सभी अनुसंधानों की तरह इस अनुसंधान की योजना में भी नैतिकता और सहमति महत्त्वपूर्ण भाग थे, जिनका महत्त्व दो अतिरिक्त वजहों से और भी ज्यादा था, पहली वजह तो अनुसंधान का विषय ही थी, और दूसरी वजह रिमोट माध्यमों से डाटा संकलन का तरीका थी।

हमें एहसास था कि हिंसा के बारे में बातचीत करना, प्रतिभागियोंए खासकर महिलाओं के लिए कठिन हो सकता है अगर उन्होंने खुद भी हिंसा का सामना किया हो। इसलिए हम प्रतिभागियों की बात सावधानी से सुनने की ज़रूरत को समझते थे, ताकि वे हमसे बात करने के दौरान सहजता महसूस करें और हमसे केवल उसी सीमा तक बात करें जहां तक बात करने में उनको सुविधा महसूस हो। चूंकि सारे इंटरव्यू फोन पर लिए जाने थे, इसलिए हमने यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया कि ज्यादातर इंटरव्यूज़ में हम एक घंटे से ज्यादा बातचीत न करें हालाँकि कभी–कभी, खासकर ग्रुप इंटरव्यूज के दौरान हमने कुछ प्रतिभागियों से लगभग दो घंटों तक या उससे भी अधिक समय तक बातचीत की।

सूचित सहमति प्राप्त करना, और अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान प्रतिभागियों को किसी भी समय उनकी अपनी सहमति वापस लेने की स्वतंत्रता याद दिलाना, इस प्रक्रिया की नैतिकता सुनिश्चित करने का एक महत्त्वपूर्ण पहलू था। सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया दो चरणों में होनी थी। संचालक टीमों/भागीदार एजेंसियों ने पहले हमारे शुरूआती अनुसंधान

सूचना विवरण के बारे में जानकारी देते हुए प्रारंभिक सहमति मांगी। प्रतिभागियों द्वारा इंटरव्यू के लिए प्रारंभिक सहमति दे दिए जाने के बाद हमने उनसे बात करके समझाया कि यह अनुसंधान किस बारे में है, और इंटरव्यू की प्रक्रिया के बारे में बताया ताकि वे यह समझ लें कि इंटरव्यूज़ में क्या होना है।

जब हमने यह निश्चित कर लिया कि उन्होंने इन पहलुओं को, तथा यह समझ लिया है कि इस अनुसंधान से उनके लिए कोई लाभ नहीं हैं, और उनके द्वारा अपनी सहमति दे देने के बाद हमने उनके लिए सुविधाजनक समय पर इंटरव्यू निर्धारित किए। प्रत्येक इंटरव्यू की शुरूआत में हमने फिर से अनुसंधान का वर्णन किया और उनकी सहमति मांगी, तथा उनको यह याद दिलाया कि वे किसी भी समय किसी भी कारण से इंटरव्यू रोकने का विकल्प चुन सकते हैं। प्रतिभागियों की अनुमति से इंटरव्यू रिकार्ड किए गए। हालाँकि इसे नोट किया जाना चाहिए कि रिमोट डाटा संकलन की प्रक्रिया, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे विषय, जो चुनौतीपूर्ण वार्तालाप उत्पन्न कर सकते हैं, अन्य के अलावा खासतौर से नैतिक पहलू पर अधिक बोझ डालती है। हालाँकिए हम अन्य वजहों के प्रति भी सजग थे, जैसे कि लोगों से ऐसे समय संपर्क न किया जाए, जब उनको दूसरे काम करने हो सकते थे, जबकि आमने–सामने की मौजूदगी में शोधकर्ताओं के लिए ऐसे मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील रहना आसान बन जाता है। अक्सर सामने वाले व्यक्ति पर बातचीत के प्रभाव का आकलन करना भी कठिन था, जैसे कि क्या वे इस मुद्दे पर बात करते समय क्रोधित, परेशान, या दुखी महसूस कर रहे थे? अगर वे यह महसूस कर रहे थे, तो प्रश्न यह था कि उन पर बातचीत के इन प्रभावों को कम करने के लिए हम क्या कर सकते थे। विजुअल संकेतों और शारीरिक हावभावों को देखे बिना, इंटरव्यू में केवल सुनने के माध्यम से यह कठिन थाय और इसके अलावा अक्सर कमजोर कनेक्शन के कारण भी हमारी क्षमताएं कई बार लहजों को सही तरह से समझ पाने के मामले में सीमित हो गईं। इसलिए हमें प्रतिभागियों से पूछना पड़ता था कि क्या वे बातचीत जारी रखने में सहूलियत महसूस कर रहे थे या नहीं, इस उम्मीद के साथ कि वे इस मामले में अपने विकल्प को समझते थे।

यह मुद्दा कि क्या प्रतिभागी, इंटरव्यूज़ के दौरान सहज थे, यह इस तथ्य के कारण और जटिल बन गया था कि महिला प्रतिभागियों ने न केवल उन घटनाओं के बारे में बताया कि जब उन्होंने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होते देखी, बल्कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से जुड़े अपने अनुभव भी बताए, जिससे यह प्रश्न उठा कि उन लोगों की सपोर्ट किस तरह की जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। जहां अधिकांश प्रतिभागी, पहले से ही सहायक सेवाओं से जुड़े थे, वहीं इस तथ्य से भी सहायता मिली कि पार्टनर संगठन भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में काम करते रहे हैं और इसलिए वर्णन किए जाने वाले ऐसे उदाहरणों के बारे में जागरूक थे, या किसी प्रकार से उनको सपोर्ट कर सकते थे। ऐसे भी उदाहरण रहे जिनमें प्रतिभागियों ने बताया कि उन्होंने किस तरह से खुद को सुरक्षित रखने के लिए, या परिस्थितियों का किसी न किसी प्रकार सामना करने के लिए उपाय किए।

सूचित सहमति प्राप्त करना, और अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान प्रतिभागियों को किसी भी समय उनकी अपनी सहमति वापस लेने की स्वतंत्रता याद दिलाना, इस प्रक्रिया की नैतिकता सुनिश्चित करने का एक महत्त्वपूर्ण पहलू था।

2.5. डाटा विश्लेषण

इंटरव्यूज़ को प्रतिभागियों की सहमति से रिकार्ड किया गया और एक साझा ड्राइव में रखा गया, प्रतिभागियों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए इस ड्राइव तक केवल अनुसंधान टीम की ही पहुंच थी। प्रतिभागियों के रिकार्ड एक अलग फाइल में रखे गए, जिसमें उनके महत्त्वपूर्ण निजी ब्यौरे और इंटरव्यू की तारीखों के बारे में वर्णन था–यह (बेनामी) प्रतिभागियों की सूची परिशिष्ट 3 में दी गई है। प्रत्येक इंटरव्यू के बाद उन महत्त्वपूर्ण मुद्दों को टिप्पणियों के रूप में लिखा गया जो प्रतिभागियों द्वारा बताए गए। इससे यह भी सुनिश्चित हुआ कि जिन मुद्दों का हम पहले से अनुमान नहीं कर सके थे, वे भी इंटरव्यू गाइड में तथा बाद के इंटरव्यूज़ में ले लिए गए, जैसा कि डाटा संकलन पद्धतियों वाले अनुभाग में स्पष्ट किया गया है।

इस दस्तावेजीकरण से थीमों को शुरूआत में ही लिखा जाना सुनिश्चित किया गया और अनुसंधान टीम को यह तय करने की सुविधा मिली कि किन इंटरव्यूज़ को विस्तृत विश्लेषण के लिए ट्रांसक्राइब करने की ज़रूरत है। डाटा संकलन के दोनों चरण समाप्त हो जाने पर विभिन्न लोगों को ट्रांसक्रिप्शन का कार्य सौंपा गया जिन्होंने इंटरव्यूज के अंग्रेजी में विस्तृत ट्रांसक्रिप्ट तैयार किए। ज्यादातर मामलों में इसके लिए इंटरव्यूज़ को हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवादित भी करना पड़ा।

विस्तृत डाटा विश्लेषण की यह प्रक्रिया, आरंभिक दस्तावेजों पर आधारित थी क्योंकि इससे हमें संकेत मिले कि किन इंटरव्यूज़ में इतनी गहन जानकारी समेटी जा सकी है जो विस्तृत विश्लेषण के लिए उपयुक्त है। इस प्वाइंट पर, हमने एक बार फिर से सारे इंटरव्यूज़ देखे और हस्तक्षेप के बारे में कोई डाटा न उत्पन्न करने वालों का परीक्षण किया। इनमें से जिन इंटरव्यूज़ में अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि हिंसा के अनुभव, या महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के दौरान हस्तक्षेप करने या न करने के प्रभावों के बारे में बात की गई थी, उनको विस्तृत विश्लेषण के लिए रखा गया।

2.5.1. वर्णनात्मक विश्लेषण

वर्णनात्मक विश्लेषण प्रक्रिया इस्तेमाल करते हुए ट्रांसक्रिप्ट्स का मैनुअल विश्लेषण करके डाटा से थीमें तैयार की गईं। इसमें दो विशेष पद्धतियां शामिल थीं। पहली यह थी कि ट्रांसक्रिप्ट्स को पूरी तरह पढ़कर डाटा की मुख्य थीमों को समझा गया। यह सम्पूर्ण डाटासेट में थीमों के दोहराव पर आधारित थी, जिससे न केवल व्यापक तादाद में थीमें मिलीं, बल्कि यह भी पता चला कि सभी ट्रांसक्रिप्ट्स में ये थीमें कितनी बार आई हैं और फिर से दोहराई गई हैं। दूसरी प्रक्रिया यह थी कि प्रत्येक ट्रांसक्रिप्ट को विस्तार से पढ़कर यह पता लगाया गया कि किस तरह से प्रत्येक चिन्हित थीम, विशिष्ट प्रतिभागियों के वर्णन में आई थी। इससे प्रत्येक थीम की गहराई का पता लगाया गया। इससे इस बारे में हमारी समझ भी बढ़ी कि किस तरह से लोगों की आयु और लिंग के अनुसार इन थीमों में अंतर हो सकते हैं। इससे इस संबंध में विश्लेषण के लिए नए प्रश्न मिले कि किस तरह से आयु, जेंडर, या अन्य प्रकार की सामाजिक पहचान जैसे कि वर्ग या समुदाय के फलस्वरूप इंटरव्यू में किसी के द्वारा खुद को प्रस्तुत किए जाने के तरीकों में अंतर हो सकते हैं। विभिन्न ट्रांसक्रिप्ट्स से विश्लेषण के लिए नई थीमें मिलने के साथ हमने इसकी छानबीन की कि क्या ये पहले से विश्लेषण किए गए वर्णनों पर लागू होती हैं या नहीं। फिर इस प्रक्रिया को न केवल बाइस्टैण्डर के हस्तक्षेप बल्कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर भी मौजूदा साहित्य से जोड़कर समझा गया, जिसके बारे में इंटरव्यूज के माध्यम से विस्तार से चर्चा की गई थी।

थीम आधारित वर्णनात्मक विश्लेषण एक दोहराव वाली प्रक्रिया थी, जिसमें तीन विशेष प्रक्रियाएं शामिल थीं: पहली, मौजूदा साहित्य से संदर्भ; दूसरी, अनुसंधान टीम से चर्चा, क्योंकि प्रत्येक सदस्य को नई थीमें मिल रही थीं; और तीसरी, नई थीमों को पहले विश्लेषित ट्रांसक्रिप्ट्स से जोड़कर यह समझना कि क्या ये भी नई तैयार थीमों से संबंधित हैं या नहीं।

इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम सेए हमने निष्कर्षों को थीमों के आधार पर श्रेणियों में बांटा और आयु और लिंग, तथा शहरी और ग्रामीण या भौगोलिक स्थान के अनुसार समानताओं और अंतरों के पैटर्नों की खोज की। इनको निष्कर्षों के बारे में आगे एक अनुभाग में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। सीमाओं वाले अगले अनुभाग में, हमने यह चर्चा की है कि सामाजिक पहचानों के इन अक्षों पर डाटा का किस स्तर तक विश्लेषण संभव था या संभव नहीं था।

2.6. रिमोट डाटा संकलन की सीमाएं

नैतिकता और सहमति वाले अनुभाग में, रिमोट डाटा संकलन प्रक्रिया की सीमाओं के कुछ पहलुओं के बारे में पहले ही बताया गया है, जिस पर नैतिक मुद्दे के नज़रिए से चर्चा की गई है; इस अनुभाग में इस मुद्दे पर डाटा विश्लेषण के नज़रिए से बात की गई है। हालाँकि यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि अनुसंधान की नैतिकता, अनुसंधान के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इसका अर्थ है कि डाटा तैयार करने, और सह–निर्माण की नैतिकता, डाटा विश्लेषण के नैतिक पहलू को भी प्रभावित करती है, यानी कि डाटा की प्रकृति के अनुसार विश्लेषण कितना सही और कड़ा हो सकता है।

डाटा संकलन के लिए, और लोगों से आमने–सामने बात करने के लिए यात्रा करने में अनुसंधान टीम की असमर्थता ने दो प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न कीं। पहली तो यह कि इसने उन व्यक्तियों को चुनने के मामले में अधिक उद्देश्यपूर्ण होने की हमारी क्षमता सीमित कर दी, जिनसे हमें बात करनी थी; ब्रेकथ्रू (Breakthrough) प्रोग्राम टीम और पार्टनर संगठन दोनों के सामने ये सीमाएं थीं कि लॉकडाउन के मद्देनजर वे प्रतिभागियों के बड़े पूल में से किससे संपर्क करें, और अनुसंधान के बारे में आमने–सामने बात करने की सुविधा के बजाय उनकी निर्भरता फोन कॉलों पर थी, इस तरह से बहुत से ऐसे लोग, जो उनके विचार में संभावित प्रतिभागी हो सकते थे, उनसे संपर्क ही नहीं किया जा सकता था। इसका यह भी अर्थ है कि कुछ मामलों में उनके पास प्रतिभागियों की पृष्ठभूमि के बारे में केवल सतही जानकारी थी, जिससे वे हमसे केवल सीमित जानकारी साझा कर सकते थे। इस वजह से तादाद के मामले में संभावित प्रतिभागियों का ग्रुप सीमित हो गया। हालाँकिए सीमित ग्रुप और सीमित पृष्ठभूमि जानकारी के तालमेल ने यह सुनिश्चित करने की हमारी क्षमता कम कर दी कि हम सामाजिक पहचान की विभिन्न पृष्ठभूमियों वाले अनेक लोगों से बात नहीं कर सकते थे। चूंकि उनके सामाजिक–आर्थिक दर्जे, सामुदायिक और जातीय पहचान के बारे में हमारा ज्ञान सीमित था, ये सभी प्रश्न व्यक्तिगत रूप से संवेदनशील तरीके से पूछे जाने ठीक थे। इसके अलावा व्यक्तिगत डाटा संकलन से हमें इंटरव्यू के साथ ऑब्जर्वेशन (अवलोकनों) की जानकारी भी जोड़ने का लाभ मिलता; मौजूदा परिस्थितियों में हम ऐसे अवलोकन नहीं कर सकते थे, जो इंटरव्यू से प्राप्त जानकारी को सपोर्ट कर सकें या इसकी बारीकी बढ़ा सकें। हम उन्हीं जानकारियों पर निर्भर थे जो हमें मौखिक रूप से प्रदान की जानी थीं, और सूचनाओं के इन खंडों के आधार पर ही अपना ज्ञान विकसित करना था, जो कि हमने किया।

रिमोट डाटा संकलन का दूसरा प्रभाव, पहले के बाद आता है, और इसने डाटा विश्लेषण को प्रभावित किया। हम सामाजिक प्रक्रियाओं और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे में मौजूदा साहित्य के अपने ज्ञान से जानते हैं कि हिंसा का अनुभव करने वाले लोग और अनेक मामलों में, हस्तक्षेप करने की उनकी सामर्थ्य भी उनकी सामाजिक पहचान जैसे कि आयु, लिंग, निःशक्तता, सामुदायिक या जातीय पहचान, और आर्थिक दर्जे से प्रभावित होती है। इनमें से कोई भी पहचान अलग–थलग रूप में नहीं होती, बल्कि वास्तव में कई मिले–जुले अंतर होते हैं जो व्यक्ति की सामाजिक क्रियाओं को प्रभावित करके अलग तरह के अनुभव उत्पन्न करते हैं। इसे समझने के लिहाज से आपसी मेल वाला यह तरीका महत्त्वपूर्ण है कि हिंसा तथा हस्तक्षेप के व्यक्तिगत अनुभव किस तरह से भिन्न होते हैं और इन सामाजिक पहचानों से निर्धारित होते हैं। हालांकि इन प्रश्नों को हमने अपने डाटा में शामिल किया लेकिन हम इन प्रश्नों का गहराई से विश्लेषण नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास ऐसी पर्याप्त जानकारी नहीं थी जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे

में, या ऐसी घटनाओं में दखल देने के प्रतिभागियों के अनुभवों में समानताओं और अंतरों के पैटर्न समझने में सहायक होती। हमने इसे इस अनुसंधान की एक कमी माना है और भविष्य में इसका निराकरण करने का हम प्रयास करेंगे।

2.7. मात्रात्मक डाटा संकलन

एक स्वयं भरे जाने वाले सर्वेक्षण के माध्यम से मात्रात्मक डाटा संकलन इस अनुसंधान के दूसरे चरण का एक खास हिस्सा था। निम्न के बारे में डाटा प्राप्त करना, इस सर्वेक्षण का उद्देश्य था:

- महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की हिंसा का प्रचलन
- वह स्पेस या स्थान, जहां महिलाओं को हिंसा के अनुभव होते हैं
- वे घटना की ओर स्वयं लोगों का ध्यान आकर्षित करके, या बाइस्टैण्डर्स से मदद मांगकर इसकी रोकथाम कर पाती हैं या नहीं।
- क्या सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की सहायता के लिए बाइस्टैण्डर्स आगे आते हैं या नहीं, और क्या वे ऐसा खुद करते हैं या सर्वाइवर द्वारा इस तरफ ध्यान दिलाए जाने के कारण करते हैं।
- क्या सर्वाइवर, हिंसा वाली घटना की रिपोर्ट करते हैं, और उनमें से कितने प्रतिशत लोग ऐसा करते हैं।

इस उद्देश्य के लिए एक सर्वेक्षण डिज़ाइन किया गया, यह परिशिष्ट 2 के रूप में दिया गया है। इस सर्वेक्षण को ब्रेकथ्रू (Breakthrough) के सोशल मीडिया वाले पेजों पर, तथा नेटवर्कों के माध्यम से आम जनता द्वारा खुद भरे जाने के लिए साझा किया गया। चूंकि यह पूरी तरह से ऑनलाइन सर्वेक्षण था, इसलिए सैम्पल निर्धारण की कोई रणनीति प्रयोग नहीं की जा सकती थी, क्योंकि सर्वेक्षण भरने के लिए लोगों को अपना चयन खुद ही करना था। सर्वेक्षण को लगभग एक महीने तक की अवधि के लिए साझा किया गया था। क्लीनिंग के बाद अद्वितीय उत्तरों के 721 सेट मिले, जिनमें से 580 महिलाएं और 133 पुरूष उत्तरदाता थेए और आठ उत्तरदाताओं ने खुद को अन्य जेंडर का बताया था। यह डाटा रिपोर्ट के विश्लेषण में फीड नहीं किया गया क्योंकि वह गुणात्मक डाटा से एकीकृत नहीं था। परिणामों को संक्षेपित करके परिशिष्ट 1 में प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रमुख निष्कर्ष

यह अनुभाग गुणात्मक रिसर्च इंटरव्यूज के दोनों चरणों के सम्मिलित डाटासेट से महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। पहले उपभाग में, महिलाओं के विरुद्ध कई प्रकार की हिंसा जिसे प्रतिभागियों द्वारा देखा गया या अनुभव किया गया, तथा उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया या नहीं किया, और यह हिंसा कहां हुई, इस बारे में आंकड़ों के माध्यम से झलक दी गई है। बाद के उपभागों में निष्कर्षों पर आधारित मुख्य थीमों पर बात की गई है–जिनकी संख्या आठ है–जिनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और प्रतिभागियों के वर्णन के सार–संक्षेप के साथ चित्रित किया गया है, जो निम्नानुसार है।

दूसरा उपभाग, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन प्रकारों से संबंधित है जो प्रतिभागियों द्वारा किए गए वर्णन से समझे गए हैं जबकि तीसरे में उन साइटों या स्पेसों का वर्णन किया गया है जहां महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होती है। चौथे उपभाग में हमने हस्तक्षेपों के उन प्रकारों को प्रस्तुत किया है जो बाइस्टैण्डर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने बताए गए और इनमें महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटना का तुरंत समाधान करने वाले, तथा लंबे समय के निवारण के उद्देश्य वाले, ये दोनों प्रकार के हस्तक्षेप शामिल हैं। पांचवें उपभाग में, महिलाओं और पुरूषों द्वारा अपनाए जाने वाले हस्तक्षेप के तरीकों में फर्क के पैटर्न प्रस्तुत किए गए हैं। छठे उपभाग में, हमने महिलाओं के चुप रह जाने और इस मुखर चुप्पी की वजहों के बारे में बात की है। सातवां उपभाग, परिवार की प्रकृति के बारे में, तथा इस बारे में बात की गई है कि परिवार, पुरूष प्रधान जेंडर आधारित भेदभाव वाले मानदंडों को किस तरह सामाजिक रूप से बढ़ावा देते हुए हिंसा में सहायक होता है। इसके बाद आठवें उपभाग में घरेलू हिंसा के बारे में खासतौर से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के एक ऐसे प्रकार के रूप में चर्चा की गई है जिसे प्रतिभागियों ने अपने वर्णन में स्पष्ट किया है और इस बारे में एक संक्षिप्त चर्चा भी शामिल की गई है कि महिलाएं, घरेलू हिंसा वाली परिस्थितियों से पलायन करने के बजाय क्यों इन्हें बर्दाश्त करती रहती हैं। अगले नौवें उपभाग में प्रतिभागियों के नज़रिए से स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा देखने पर कौन सी बात उनको दखल देने के लिए प्रेरित करती है।

3.1. निष्कर्षों का अवलोकन

इस अनुभाग में निष्कर्षों का संक्षेप में अवलोकन पेश किया गया है, जो गुणात्मक डाटा से निकलकर सामने आए। प्रतिभागियों ने अनेक प्रकार की घटनाओं के बारे में बताया, जिनको उन्होंने हिंसा माना। ऐसा करते हुए, उन्होंने उन सामान्य परिभाषाओं और श्रेणियों का उपयोग नहीं किया जो हम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में आमतौर से रिपोर्ट करने के लिए उपयोग करते हैं या जिन शब्दों को इस क्षेत्र में विद्वानों और अभ्यासकर्ताओं द्वारा सामान्य रूप से समझा जाता है। हालाँकि उसके बावजूद इस बारे में उनके ब्यौरों में, कि जो कुछ भी उन्होंने समझा या देखा, उनमें महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मान्य प्रकार स्पष्ट रूप से उजागर हुए। निम्न अवलोकन, प्रतिभागियों द्वारा देखी गई और महिलाओंध्ट्रांसजेंडर प्रतिभागियों द्वारा अनुभव की गई हिंसा के प्रकारों के बीच अंतर दर्शाता है।

प्रतिभागियों द्वारा देखी गई हिंसा के प्रकारों को इस तरह बताया गयाः यौन उत्पीड़नय घरेलू हिंसाय यौन शोषण या बाल यौन शोषण सहित हमला; 'ऑनर किलिंगश औरध्या दहेज हिंसाय बाल विवाहय और मानसिक ट्रॉमा। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के रूप में यौन उत्पीड़न का होना, प्रतिभागियों द्वारा सर्वाधिक बार बताया गया, 91 अनुसंधान प्रतिभागियों द्वारा इसका 74 बार उल्लेख किया गया। इसके अलावा घरेलू हिंसा, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का दूसरा सबसे प्रचलित प्रकार बताया गया जिसके बारे में प्रतिभागियों द्वारा 51 बार उल्लेख किया गया। इसके अलावा यौन शोषण/ हमले के नौ मामले और बाल विवाह के छह मामलों का उल्लेख किया गया। 'ऑनर किलिंग' के तीन मामलों का गवाह के तौर पर उल्लेख किया गया। अंत में, एक प्रतिभागी ने मानसिक हिंसा या ट्रॉमा के एक उदाहरण का गवाह होने के बारे में भी बताया।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के वे प्रकार जिनका महिला प्रतिभागियों द्वारा अनुभव किया जाना बताया गया, वे यह हैं: यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, और यौन शोषण या हमला। यौन उत्पीड़न, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का सबसे ज्यादा अनुभव किया गया प्रकार था, जिसके 45 मामले बताए गए। इसके अलावा, यौन शोषण या हमले के आठ मामले बताए गए जिनमें बाल यौन शोषण के मामले भी शामिल थेय घरेलू हिंसा के सात मामलेय बाल विवाह के तीन मामले प्रतिभागियों द्वारा अनुभव किए जाने के बारे में बताया गयाय और मानसिक ट्रॉमा का भी एक मामला बताया गया।

91 प्रतिभागियों में से, 63 ने कहा कि उन्होंने हिंसा की रोकथाम करने या रोकने के लिए हस्तक्षेप किया जबकि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का अनुभव करने वाले 45 लोगों ने बताया कि घटना होने पर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। इसके अलावा 36 प्रतिभागियों ने कहा कि घटना की शिकायत करने के लिए उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया, जिनमें पुलिस भी शामिल थी। महिला प्रतिभागियों में से 15 ने बताया कि उन्हें बाइस्टैण्डर्स से मदद मिली। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में हस्तक्षेप करने वाले पुरूषों प्रतिभागियों में से 20 ने बताया कि उनको अपने हस्तक्षेप करने के कारण कुछ टीका–टिप्पणियां सुननी पड़ीं।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं में हस्तक्षेप करने के लिए बताए गए कारणों को मोटे तौर पर इस तरह बांटा जा सकता है: यह विचार कि हिंसा गलत है और इसे मंजूर नहीं किया जा सकता है, ऐसा 20 मामलों में बताया गया; किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की भावना, या ऐसा एहसास कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करना उनका कर्तव्य है; और अंत में, उन्होंने खुद हिंसा का अनुभव किया था और नहीं चाहते थे कि अन्य किसी को भी इसका सामना करना पड़े, जैसा कि 10 मामलों में बताया गया।

3.2. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रकार

इस अनुसंधान से मिले वर्णनों ने घरों और समाज में महिलाओं के रोजमर्रा के संघर्षों को उजागर किया। अधिकांश प्रतिभागियों, विशेषकर महिलाओं ने हिंसा को एक व्यापक शब्द माना जिसमें शारीरिक, मानसिक, शाब्दिक आदि कई प्रकार का दुर्व्यवहार और यौन शोषण शामिल है जो ट्रॉमा की वजह बनता है।

अनुसंधान के दोनों चरणों ने प्रतिभागियों के स्थानों की विशेष सामाजिक–राजनैतिक गतिशीलताओं और सांस्कृतिक संदर्भों को प्रदर्शित किया। चरण 1 के दौरान - जिसमें प्रतिभागियों को झारखंड, बिहार और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों, और दिल्ली के शहरी क्षेत्र से चुना गया था- इनमें सभी आयु समूहों की महिलाओं और पुरूषों ने जेंडर आधारित भेदभाव वाले व्यवहार; घरेलू हिंसाय महिलाओं को कलंकित करना या दोषारोपण करनाय यौन उत्पीड़न, जिसमें महिलाओं को घूरनाए भद्दे कटाक्ष करना, और अवांछित यौन पहल करना शामिल है; वारिस के रूप में लड़का पैदा करने में असमर्थ रहने पर उत्पीड़नय भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक दुर्व्यवहारय महिलाओं को शिक्षा या रोजगार से वंचित किया जानाय और आवाजाही, तथा विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध आदि को चिन्हित किया और इनके बारे में बात की। उनको रोजमर्रा की बातें बताई गईं। अध्ययन के चरण 2 में कोलकाता, हैदराबाद, मुम्बई और दिल्ली महानगरों के प्रतिभागियों को शामिल किया गया था। उत्तरदाताओं ने जिन मुद्दों को उजागर किया, उनमें से ज्यादातर उनसे मिलते–जुलते थे जिनका चरण 1 में उल्लेख किया गया है।

हालाँकि, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के दो प्रमुख प्रकार ऐसे थे, जो दोनों चरणों में अलग–अलग बताए गए। चरण 1 वाले प्रतिभागियों ने ऑनर किलिंग और दहेज की बात की, जिस बारे में चरण 2 के प्रतिभागियों ने कुछ नहीं कहा जबकि चरण 2 के प्रतिभागियों ने बाल यौन शोषण की बात की, जिसका चरण 1 में उल्लेख नहीं पाया गया था। इन विशिष्टताओं को खास संदर्भों–भौगोलिक और सामाजिक–आर्थिक में समझा जा सकता है–जिनसे संबंधित प्रतिभागियों ने अपनी बात रखी थी। उदाहरण के लिए, यह उल्लेखनीय है कि चरण 1 में जिन प्रतिभागियों ने महिलाओं के विरुद्ध

अधिकांश प्रतिभागियोंए विशेषकर महिलाओं ने हिंसा को एक व्यापक शब्द माना जिसमें शारीरिक, मानसिक, शाब्दिक और यौन दुर्व्यवहार शामिल था।

हिंसा के इन चरम स्वरूपों का उल्लेख किया, वे हरियाणा के थे जहां लिंगानुपात की स्थिति काफी दयनीय है और समाज में स्वीकृत, जेंडर आधारित भेदभाव वाली प्रथाओं की संस्कृति हावी है। जिन प्रतिभागियों ने बाल यौन शोषण के बारे में बात की वे बड़े महानगरों में रहने वाले थे जहां इस मुद्दे को लेकर अधिक जागरूकता मानी जा सकती है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे में लोगों की सोच की जटिलता और व्यापकता, प्रतिभागियों द्वारा बताए गए विभिन्न प्रकार के अनुभवों में स्पष्ट तौर पर झलकती है। 33 वर्ष आयु की अनिंदिता[8], जो कोलकाता में एक कंटेंट राइटर के तौर पर काम करती हैं, ने कहा कि,

> *''महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक बड़ा व्यापक शब्द है। मेरे ख्याल से इसमें गाली–गलौज वाले दुर्व्यवहार से लेकर मार–कुटाई, और वे सभी अप्रिय कार्य शामिल हैं, जो आप किसी महिला का अनादर करने के लिए कर सकते हैं.....कुछ भी, जो किसी महिला की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता हो, महिला के सम्मान को चोट पहुंचाता हो, महिला पर हमला करने के लिए प्रेरित करता हो, मेरे ख्याल से वह सब हिंसा ही है।''*

कोलकाता की ही उनकी मित्र और मेक–अप आर्टिस्ट साक्षी, जो 30 वर्ष की हैं, और अब मुम्बई में रहती हैं, वे भी इससे सहमत हैं और उन्होंने आगे कहा कि,

> *''मैं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बहुत ही व्यापक व्यापक विषय मानती हूं, आप चाहे इसे जो भी कह सकते हैं। मोटे तौर पर, जब भी किसी महिला से गलत व्यवहार किया जाता है तो मेरे ख्याल से यह हिंसा ही है। ज़रूरी नहीं है कि यह शारीरिक ही हो, यह मानसिक हो सकती है, यह मनोवैज्ञानिक हो सकती है, यह हमारे सामाजिक दबाव के रूप में, या और कुछ भी हो सकती है। मैंने यह सब होते देखा है।''*

दुर्व्यवहारपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करना भी हिंसा के दायरे में आता है। कोलकाता की 34 वर्षीया सबीहा ने ऐसी ही एक घटना के बारे में बताया जिसमें उन्होंने और एक अन्य महिला सहयात्री ने पुरूष सहयात्रियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली घटिया भाषा की वजह से हिंसा का एहसास किया; उन्होंने घटना के बारे में कुछ इस तरह से बताया:

> *''तो हुआ यह था कि कुछ लड़के... जो काफी युवा थे... ज्यादा उम्र के नहीं थे... यही कोई 17.18 साल के आसपास के रहे होंगे। उन्होंने शराब पी रखी थी ३ शायद वे किसी पार्टी से वापस आ रहे थे. यह दोपहर बाद का वक्त था। जो आखिरी में दो सीटें होती हैं, हर सीट पर दो लोग बैठ सकते थे? तो, वे उन सीटों पर बैठ गए और जोर–जोर से बातचीत और गाली–गलौज करने लगे। फिर, एक लड़की आई और वहां बैठ गई, और मेरी सीट ड्राइवर की सीट के करीब थी। मुझे उससे प्रॉब्लम थी। शायद इसलिए क्योंकि वे सार्वजनिक स्थान पर हद से आगे बढ़कर दुर्व्यवहार कर रहे थे, या शायद इसलिए क्योंकि वे जोर–जोर से बोल रहे थे–मुझे काफी परेशानी महसूस हुई। इसलिए कुछ देर तक तो यह ऐसा ही चलता रहा फिर अचानक ही.....मैं बहुत परेशान हो उठी, इसलिए मैं काफी जोर से चिल्लाई। पहले तो मैंने आवेश में आकर कंडक्टर से कहा कि ''आप ऐसे लड़कों को क्यों बैठने देते हो... बस में क्यों आने देते हो? क्योंकि यह एक पब्लिक प्लेस है और हर कोई शांतिपूर्वक सफ़र करना चाहता है, ठीक है न?'' तो, उस समय कोई और नहीं बोला, तब मैंने क्रोध के साथ सीधे उन लड़कों से कहा.''आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप लोग क्यों इतनी जोर–जोर से बोल रहे हो? क्या आप इस तरह गाली–गलौज के बिना बात नहीं कर सकते? और आपकी सारी गालियां लड़कियों के लिए क्यों हैं?'' मेरा मतलब है कि हम सभी को पता है कि यह सारा दुर्व्यवहार... यह सब कुछ महिलाओं के शरीर पर ही केंद्रित होता है''*

[8] प्रतिभागियों की पहचान और निजता की रक्षा के लिए मानक अनुसंधान विधियों के अनुरूप इस रिपोर्ट में सभी अनुसंधान प्रतिभागियों के नाम बदल दिए गए हैं।

महिलाओं के विरुद्ध जिस हिंसा के बारे में प्रतिभागियों ने बात की, उसमें सहमति के विचार भी शामिल थे, जैसा कि कोलकाता की 29 वर्षीया देबज्योति ने बताया,

> *''मुझे लगता है कि कुछ भी जो उसकी सहमति के बिना किया जा सकता हो– यह मौखिक हो सकता है, यह शारीरिक हो सकता है, यह मानसिक हो सकता है, यह किसी भी प्रकार का बर्ताव हो सकता है जो उसकी सहमति के बिना किया गया हो–यह सब कुछ हिंसा है। मेरा ख्याल है कि ज्यादातर मामलों में हम एक मुख्य समस्या यह महसूस करते हैं कि लोग, सहमति का सही अर्थ नहीं जानते, और उनको यह नहीं पता होता कि उनको कब हाँ कहना चाहिए और कब ना कहना चाहिए। अगर मैं पूरे भारत की बात करूं, तो ज्यादातर लड़कियों को भी यह नहीं पता होता है।''*

ये संक्षिप्त ब्यौरे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और बाइस्टैण्डर के हस्तक्षेप पर चर्चाओं में प्रतिभागियों द्वारा उजागर जटिलताओं और बारीकियों को दिखाते हैं; ये हमारे डाटा विश्लेषण के मामले में महत्त्वपूर्ण थे।

3.3. हिंसा के स्थल (साइटें)

हमारे ज्यादातर प्रतिभागियों ने दो प्रमुख साइटों पर हिंसा का अनुभव किया, एक तो परिवार में, और दूसरे सार्वजनिक परिवहन में। इस रिपोर्ट में हमने आगे इसका गहराई से विश्लेषण किया है कि किस तरह से परिवार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के ज्यादातर मामलों में एक महत्त्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। सार्वजनिक परिवहन के मामले में, ज्यादातर लोगों ने दैनिक यात्राएं किए जाने के दौरान विभिन्न प्रकार की हिंसा का सामना किए जाने के बारे में बताया।

हैदराबाद की 29 वर्षीया उमा ने बताया कि सार्वजनिक बस में ही पहली बार उनको यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

> *''तो, मुझे याद है कि सार्वजनिक स्थान पर पहली बार मुझे हिंसा का सामना करना पड़ा था, उस समय मेरे लिए यह बहुत गंभीर था। और लड़कों की तरह हमारे भी स्कूल में ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए यूनिफार्म थी, जो हैदराबाद में ज्यादा सामान्य बात नहीं थी। इसलिए लोग अक्सर पूछते, ''कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज'' या ऐसी ही बातें। लेकिन, जब हम बैठे होते, और फिर जब हम खड़े होते, तो बहुत सारे पुरूष हमारी क्लीवेज के वीडियो बनाते, या वे हमसे सटने की कोशिश करते। उन दिनों ऐसा अक्सर होता था। जब आप को कोई छूने की कोशिश करता हो, और आप किसी पुरूष के पास जाकर बैठने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, (आपको बस नर्वस और चुप रह जाना होता था)। और भीड़भाड़ के समय जब सीटें पूरी तरह से भरी होती थीं, तो बहुत से अन्य लोगों की तरह हमें भी खड़े होकर सफर करना पड़ता था। वह मौके का फायदा उठाने वालों के लिए सबसे बढ़िया अवसर होता था, तो ऐसी स्थिति में अगर हम पीछे घूमकर चिल्लाएं भी तो भी कुछ इस तरह का जवाब मिलता, ''तो हम क्या करें, एकाएक ब्रेक लगने से हम गिर पड़े या मेरा हाथ लग गया, आदि।'' आपको पता है, ये सारी बहानेबाजियां और यह कहना किए ''हमने कुछ नहीं किया, आप इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रही हो, अगर आपको इतनी ही फिक्र है तो आप कार से जाओ, आटो से जाओ न?''*

प्रतिभागियों ने अनेक वर्णनों में हमें बताया कि किस तरह से यौन हिंसा करने वालों ने महिलाओं से छेड़खानी करने के लिए भीड़भाड़ का फायदा उठाया और इसकी ओट में अपना बचाव किया। महिला प्रतिभागियों ने हमें बताया कि किसी भीड़भाड़ से भरी बस या ट्रेन में उनको शोषणकर्ता को सबक सिखाने में असमर्थता का सामना करना पड़ा, क्योंकि ऐसी हरकत करने वाले की पहचान करना मुश्किल था, जैसा कि हैदराबाद की 25 वर्षीया भामा के वर्णन से स्पष्ट होता है:

> *''जब मैं लगभग 22 साल की थी, तो मैं एक बार सिनेमा देखने गई। मैं अपनी सहेलियों के साथ गई थी.... हम फिल्म देखने गए थे, शायद बाहुबली, या ऐसी ही कोई फिल्म थी। ब्रेक के दौरान मैं पॉपकार्न जैसा कुछ खरीदने गई थी, और वहां लड़के, लड़कियों अलग नहीं थे, महिलाएं भी पॉपकार्न खरीदने गई थीं, और उनके आगे पीछे पुरूष भी इस भीड़ में शामिल थे, और मैं वहां अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ गई थी, और वह कहीं और*

चला गया था। तो, मैं पॉपकार्न लेने गई, और मुझे ऐसा लगा, आपको पता है, जैसे कि कोई मुझे धक्का दे रहा हो, भीड़ की धक्का–मुक्की के बीच.....लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे हिप्स पर से धक्का दे रहा है, पीछे से। तो मुझे एहसास हुआ कि वह आदमी जो भी था वह उत्तेजित था और मुझे धक्का देने की कोशिश कर रहा था, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो काफी भीड़ थी, और मैं किसी गलत व्यक्ति को तमाचा नहीं मारना चाहती थी।''

कोलकाता की अनिंदिता के लिए, बस पहली ऐसी जगह थी, जहां उसे यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

''बस में पहली बार मुझे इस तरह की गिरी हुई हरकतों का सामना करना पड़ा, जब मैं मेरे कॉलेज के पहले साल में पढ़ रही थी, मैं यह सोचकर दुविधा में पड़ जाती थी, कि बस काफी भरी हुई रहती थी इसलिए समझ में नहीं आता था कि कोई मुझे जानबूझकर छूने की कोशिश करता था, या भीड़ की वजह से ऐसा हो जाता था और वह मेरे करीब आ जाता था। दूसरी बात यह कि ज्यादातर लोग जो मेरे साथ ऐसा करते थे, वे नई उम्र के लड़के नहीं थे, बल्कि वे अधेड़ आयु के अंकल आदि जैसे दिखने वाले लोग होते थे।''

रेलगाड़ियों और बसों के अलावा, महिलाएं इन दिनों टैक्सियों का काफी उपयोग करती हैं और ये भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के लिए एक अन्य महत्त्वपूर्ण जगह हैं। कोलकाता की 31 वर्षीया तारिणी ने हमें बताया कि किस तरह से एक बार टैक्सी की सवारी के दौरान वे और उनकी सहेलियां, एक संभावित खतरनाक स्थिति से बाल–बाल बच सकीं।

'हुआ यह था कि हम चार लोगों ने एक कैब बुक कराई और हमने पाया कि वह हमें गलत लेन (गली) में लिए जा रहा था.....मैंने उसे 2-3 बार टोका, कि ''भैया, यह गलत रास्ता है'' तो उसने कहा कि अरे नहीं नहीं, हम आपको सही रास्ते पर ही ले जा रहे हैं। फिर हमारी समझ में आ गया कि वह हमें बिल्कुल ही गलत रास्ते पर लिए जा रहा था... एक लड़का था जो हम सबसे छोटा था। उसकी उम्र 20 साल थी और हम सब उस समय 31 के आसपास थे। तो, वह सबसे छोटा था... तो जब हम यह कहते रहे कि आप हमें गलत रास्ते ले जा रहे हो, तो फिर अचानक ऐसा हुआ कि.....तो, फिर उसने अपने कनेक्शन बंद कर दिया, और कहा कि यह मेरी आखिरी ट्रिप है इसलिए पैसा मेरा होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, क्योंकि हमें कोई समस्या नहीं थी, ...तो उसने कहा कि उसने राइड कैंसिल कर दी है और वह हमें ट्रिप पर ले जा रहा है। तो इसमें कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जब हमने कार में ही चीखना–चिल्लाना शुरू कर दिया, तो उसने खतरनाक तरीके से कार की रफ्तार बढ़ा दी....हम सचमुच डर गए कि आखिर वह हमें कहां ले रहा है? फिर हमें एहसास हुआ कि हम 4 लोग हैं, तो वह हमें कहीं भी नहीं ले जा सकता है.....लेकिन हम उस जगह को पहचान नहीं पा रहे थे, तो फिर हमने दरवाजे खोलने की कोशिश की, जब हम अंदर बैठे हुए थे, उसने स्पीड थोड़ी सी कम की और पीछे मुड़कर बोला कि आप लोग हद से आगे बढ़ रही हो, आपको पता नहीं कि यह मेरा इलाका है.....तब तक हमने कार से उतरना शुरू कर दिया था, उतरने के बाद, शायद 1097..... एक नंबर था जो लाल बाज़ार में चलता था, मैंने पहले भी ट्राई किया था जब एक टैक्सी, पैसेंजर को नहीं ले रही थी। तो मैंने वह नंबर डायल किया। नंबर लाल बाज़ार से कनेक्ट हुआ और हमारे पास डिटेल्स पहले से ही थे क्योंकि हमने ही कैब ली थी। तो, जब हमने उनको बताया कि हम कालीघाट जाना चाहते थे लेकिन वह हमें गलत रास्ते पर ले आया, आखिर उसने ऐसा क्यों किया यह हम समझ नहीं सके, और उसका व्यवहार भी बहुत ही अजीब था।''

यह विवरण, सभी स्पेसों में महिलाओं के जीवन में जेंडर-आधारित हिंसा की व्यापक और गंभीर मौजूदगी की ओर इशारा करते हैं। हालाँकि यहां प्रस्तुत विवरणों में ज्यादातर सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं द्वारा अनुभव की गई हिंसा के वर्णन शामिल हैं लेकिन हमारे प्रतिभागियों ने घरों के अंदर भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अनेक उदाहरण बताए–इनका वर्णन अनुभाग 3.8 में किया गया है, जो खासतौर से परिवार में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित है।

3.4. हस्तक्षेप के प्रकार (कैसे)

किसी सक्रिय बाइस्टैण्डर के नज़रिए से, हस्तक्षेप की रणनीतियां और तरीके, कई वजहों से, जैसे कि जेंडर, आयु, सामाजिक–आर्थिक दर्जे, जेंडर संबंधी अधिकारों को लेकर जागरूकता आदि से प्रभावित होते हैं।

हस्तक्षेप के अनुभव साझा करने वाले प्रतिभागियों (सिस जेंडर पुरूष और सिस जेंडर महिलाएं दोनों) ने सर्वाइवर्स की मदद करने के विभिन्न तरीकों के बारे में बताया। मोटे तौर पर इनको तत्काल हस्तक्षेप के तरीकों, और लंबे समय की समाधान वाली विधियों के रूप में बांटा जा सकता है।

तत्काल हस्तक्षेप के तरीकों में यह शामिल हैं:

- आवाज़ उठाना
- सर्वाइवर से पोजीशन बदलना
- संपर्क की जानकारी साझा करना
- मेडिकल सहायता प्राप्त करने में सर्वाइवर की मदद करना
- सर्वाइवर को सुरक्षित रूप से उसके घर तक छोड़ने के लिए साथ में जाना
- हिंसा का सहारा लेना या पितृसत्तात्मक कथन का उपयोग करना।

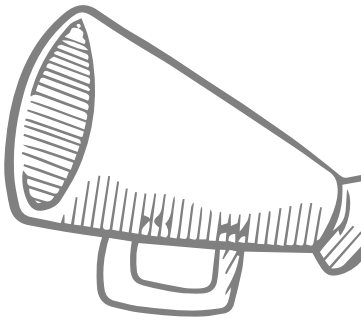

लंबे समय के समाधानों में प्रमुख रूप से दो तरीके शामिल हैं: सामुदायिक एकजुटता और संस्थागत समाधान की प्रणालियों का विकास। अगले उपभागों में तत्काल हस्तक्षेप के प्रकारों के बाद लंबे समय की समाधान रणनीतियों का वर्णन किया गया है।

3.4.1. आवाज़ उठाना

प्रायः किसी के लिए उठ खड़े होने, और गलत हरकत करने वाले को डांटने फटकारने का सरल तरीका, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम करने के मामले में अपेक्षित प्रभाव डालने वाला पाया गया। कोलकाता के 31 वर्षीय राकेश ने बताया कि

> *''मेरे कुछ दोस्त पुरूष या महिला के रूप में अपनी पहचान नहीं रखते। मुझे याद है, उन दिनों हम दिल्ली में थे.....हम दिल्ली में काम करते थे। हम कुछ काम करने के लिए गए थे। तो, मेरे तीन मित्र थे, सिड, रिजू और देबू। वे पुरूष या महिला के बने–बनाए खांचों में फिट नहीं होते थे। तो हम दिल्ली में घूम रहे थे, और मेट्रो में उत्पीड़न का एक मामला हुआ था....कुछ लोग उन पर फब्तियां कस रहे थे। तो, पहले तो हमने इसका 'आनंद' लिया, क्योंकि वे भी 'आनंद' ले रहे थे.....''देखो, हरियाणा के लोग हमें छेड़ रहे हैं।'' लेकिन एक समय के बाद उन्होंने महसूस किया–कि यह ठीक बात नहीं है। तो, फिर हमने विरोध किया। उन्होंने कहा, ''इस पचड़े में मत पड़ो, यह हमारा शहर नहीं है, और फिर हमारी तादाद भी उनसे कम है।'' लेकिन उन्होंने कहा, ''नहीं, अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है (यह कहावत है, जिसका अर्थ होता है कि अब परिस्थिति बिगड़ती जा रही है), हमें इस पचड़े में पड़ना ही होगा।'' उन्होंने कहा, ''हमें अब विरोध करना होगा।'' और हम, जिनकी संख्या कम थी और एक दूसरे शहर के थे, ...हमने विरोध किया, और जब हमने अपनी आवाज़ उठाई तो मेट्रो में कुछ पुरूषों और महिलाओं दोनों ने– यह कहते हुए हमारा सपोर्ट किया कि ''यह क्या हो रहा है.... आपको जो भी करना है, अभी मेट्रो से उतर जाइ, और फिर जो मन हो वह करिए।'' तो, अश्लील फब्तियां कसने वालों को इस तरह से मेट्रो से उतार दिया गया। ऐसी घटनाएं भी होती हैं, जो कुछ सकारात्मक लगती हैं।''*

अनिंदिता को याद है कि एक बार महिलाओं के एक ग्रुप ने उसकी और उसकी सहेलियों की मदद एक आदमी से निपटने में की थी, जो एक ही स्थान पर रोज उनका इंतज़ार करता था और अश्लील हरकतें (हस्तमैथुन) करता था।

''तो, यह तब की बात है जब मैं शायद ग्यारहवीं कक्षा में थी, और हम सब लोग कॉलेज से लौटते हुए मेट्रो सबवे से आते थे। तो हर दिन हम एक आदमी को देखते थे जो उस जगह पर हमारा इंतज़ार करता था, और जैसे ही हम उसके पास से गुजरते वह अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता, हम छोटे थे, हम लोग कुछ कह नहीं सकते थे, हमारी उम्र यही कोई 18 के आसपास की रही होगी, और उन दिनों हममें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम जाएं और उस व्यक्ति को कुछ भला–बुरा कहें। लेकिन ऐसा लगभग एक हफ्ते, शायद एक महीने तक चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ महिलाएं भी हमारे साथ आ रही थीं, हम उनको नहीं जानते थे, वे हमारे साथ आईं और उन्होंने उसे देखा, और फिर वे आगे बढ़ीं और उस आदमी को जमकर फटकार लगाई। उसके बाद वह आदमी कभी मेट्रो स्टेशन पर नहीं आया।''

आवाज़ उठाने के लिए बहुत सोच–विचार की नहीं, बल्कि निर्णायक इच्छाशक्ति की ज़रूरत होती है। मुम्बई की रहने वाली, 32 साल की वकील पारिजाद ने एक वाकया बताया कि किस तरह से उन्होंने और उनके मित्रों ने एक बार एक जोड़े को अश्लील फब्तियों के बीच देखकर हस्तक्षेप किया था। तब वह काफी छोटी थीं (स्कूल से निकली ही थीं, जैसा कि उन्होंने बताया) और यह भी पता नहीं था, कि वे इस मामले में कैसे मदद कर सकती हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा इरादा किया और इस उम्मीद में उस जोड़े के यथासंभव करीब गईं कि आदमी को उसकी गतिविधियों के बारे में सतर्क कर सकें, और इस तरह से मामले की रोकथाम कर सकें।

मुम्बई की 26 वर्षीय ट्रांसजेंडर फोटोग्राफर जीनत ने एक यादगार अनुभव बताया, जब एक लोकल ट्रेन के लेडीज कम्पार्टमेन्ट में महिला सहयात्रियों ने एकजुट होकर उनके आसपास तब एक सुरक्षा घेरा बना लिया था, जब पुलिस उनको लेने आई थी, इस बारे में उन्होंने कुछ इस तरह से बतायाः

''.....उस समय, ट्रेन जोगेश्वरी पर रूकी थी.....कांस्टेबल मुझे लेने आया.....8-9 महिलाओं ने मेरे चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बनाकर मुझे पीछे कर लिया और कहा कि अगर आप उसे ले जाना चाहते हैं, तो किसी लेडीज कांस्टेबल को लेकर आइए.....वहां एक पत्रकार, एक वकील, और 2 महिलाएं यूनिफार्म में थीं, जो शायद किसी कंपनी के लिए काम करती थीं.....वे ट्रेन से उतरकर मेरे साथ चौकी में गईं और मेरे लिए बात की।''

दिल्ली की 21 वर्षीया रूपमाला ने लगभग तीन साल पहले की एक घटना के बारे में बताया जब पास से गुजरते एक अंकल ने उस समय उनकी मदद की थी जब लड़कों का एक ग्रुप फब्तियां कसते हुए उनको परेशान कर रहा था।

''एक अंकल आए, जिन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, तब एक लड़के ने कहा कि ''कुछ नहीं अंकलजी, बहनजी को कुछ गलतफहमी हो गई है।'' तब अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या मामला है, तो मैंने बताया किए ''वे मुझ पर कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैं इस तरह रिएक्ट कर रही हूं।'' तब अंकल ने उन लड़कों को समझाने की कोशिश की, कि वे गलत कर रहे हैं, और फिर वे मेरी ओर मुड़े और कहा, ''बहन जी जाने दीजिए, हम माफी मांगते हैं!''

3.4.2. सर्वाइवर्स से सीट बदलना

कोलकाता के 28 वर्षीय अंकित ने इस बारे में बात की कि किस तरह से एक शेयर्ड आटो में ड्राइवर द्वारा एक लड़की को परेशान किए जाते देखने पर उन्होंने उससे सीट बदल ली, जिससे समस्या का भी तुरंत समाधान हो गया और मामले की ओर ध्यान भी आकर्षित कराने से बचाव हुआ। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की स्थिति से निबटने के मामले में यह महत्त्वपूर्ण है कि हस्तक्षेप बिना किसी शोरशराबे के किया जाए, ताकि अनावश्यक रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित न हो, विशेषकर सर्वाइवर के नजरिए से यह बात काफी मायने रखती है। यह बात तब और भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो जाती है जब ऐसी ही स्थिति में किसी व्यक्ति की कार्यवाही, महिला बाइस्टैण्डर की प्रतिक्रिया के विपरीत होती है, जिस बारे में इस दस्तावेज में आगे (पेज 32 पर) बात की गई है।

''पांच मिनट के सफर में मैंने ध्यान दिया कि ड्राइवर, साइड से अपनी कुहनी से लड़की के वक्ष टटोल रहा था... ...मैंने आटो ड्राइवर से रूकने के लिए कहा, हालांकि अभी मैं अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा था, मैं अपनी सीट से उतरा और उस लेडी से कहा कि वह मेरी वाली पिछली सीट पर आ जाए, और वह खुशी–खुशी राजी हो गई। आटो ड्राइवर ने मुझे ऐसी निगाहों से देखा जैसे कि अगर उसका बस चलता तो वह मुझे मारने ही लगता।''

3.4.3. बाद में संपर्क करने के लिए अपना मोबाइल नंबर देना

हस्तक्षेप करने वाले द्वारा अपना फोन नंबर, हिंसा का सामना करने वाले व्यक्ति से साझा करने की रणनीति का उपयोग विशेषकर निजी पार्टनर द्वारा हिंसा के मामलों में किया जाता है, जिनमें महिला को उसके अगले कदमों पर विचार करने के लिए समय की ज़रूरत हो सकती है।

एक मॉल में एक जोड़े को जोर–शोर से झगड़ते देखकर हैदराबाद की 25 वर्षीया डॉक्टर ज़ैनब ने जब हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो क्रोधित आदमी ने कहा ''उससे दूर हटो, यह हमारा आपसी मामला है.... वह मेरी बीवी है।'' हालांकि मैंने उस महिला से कहा कि ''मैं आपको मेरा सेल नंबर दे सकती हूं।'' मैं अपने बैग में एक कागज़ खोजने लगी, ताकि मैं उस पर नंबर लिखकर उसे दे सकती। हालाँकि मैं कागज़ नहीं दे सकीं क्योंकि मॉल के कर्मचारियों ने जोड़े को वहां से लगभग जबरन बाहर निकाल दिया। हमने पाया कि निजी स्वामित्व वाले स्थानों जैसे कि मॉल आदि में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं के मामले में, यह एक सामान्य प्रकार की प्रतिक्रिया है। उनका तुरंत और प्रायः एकमात्र रिएक्शन यह सुनिश्चित करने का होता है कि मामले में शामिल लोगों को उस स्थान से बाहर निकाल दिया जाए। कोलकाता के 40 वर्षीय अनुसंधान वैज्ञानिक शरद ने ऐसी ही एक घटना का उल्लेख किया जब उन्होंने एक एयरपोर्ट पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का मामला देखा था। उस परिस्थिति में मौजूद अधिकारी, हिंसा का समाधान करने के बजाय जोड़े को वहां से बाहर निकाल देने की ज्यादा कोशिश कर रहे थे।

3.4.4. सर्वाइवर को मेडिकल मदद के लिए ले जाना

हैदराबाद से, 43 वर्षीया गृहिणी सौम्या ने बताया, कि

> *''कुछ साल पहले, मेरी घरेलू नौकरानी के पति ने उसे इतना बुरी तरह से मारा.....उसने उस पर हंसिए, से वार कर दिया, जिससे उसके हाथ में ज़ख्म हो गया और काफी खून बह गया और वह बेहोश होकर गिर गई। उसकी बेटी दौड़ती हुई मेरे पास आई.....मैं गई और देखा कि उस औरत का काफी खून बह रहा था, और पहला काम जो मैंने अपने दिमाग से किया कि उस आदमी को वहां से डांटकर भगा दिया। फिर मैं जल्दी से अपोलो गई, क्योंकि वह मेरे घर के पास में ही है, और मैंने उनको बताया कि उनको एक घायल को तुरंत भर्ती करना होगा।''*

हालाँकि हिंसक घटना होने के समय कुछ हस्तक्षेप नहीं हो पाता, लेकिन उसके तुरंत बाद यह हो सकता है। हालाँकि किसी को मेडिकल मदद के लिए ले जाना, एक आम बात लग सकती है, लेकिन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के संदर्भ में इसका प्रभाव एक हस्तक्षेप की तरह होता है, क्योंकि यह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रचलन और मौजूदगी की ओर ध्यान दिलाती है। शोषणकर्ता यह सोचकर निर्द्वंद्व नहीं रह सकता कि उसकी हिंसक हरकतें बाहरी लोगों की निगाह में नहीं आएंगी।

3.4.5. सर्वाइवर को सुरक्षित रूप से उसके घर तक छोड़ने के लिए साथ में जाना

हैदराबाद के 19 साल के राज ने बताया कि एक बार उन्होंने एक युवती की मदद की थी, जिसे नशे में धुत कुछ लोग परेशान कर रहे थे।

> *''आधी रात का वक्त था, लगभग 11 बजे थे, मैं अपने घर के निकट, अपनी लेन की सड़क पर जा रहा था, तभी नशे में झूमते–लड़खड़ाते लोगों की एक टोली दिखी। एक लड़की अकेली चली जा रही थी, अंधेरा था और सन्नाटा था। मैंने उसके पास से गुजरते हुए कहा, ''अगर आप चाहें तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूं, यहां कुछ लोग हैं।'' पहले तो वह मुझे देखकर हिचकिचाई, लेकिन मैंने उसे आश्वस्त किया कि उसे कोई समस्या नहीं होगी। मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। जब मैं उसके साथ उसके घर की ओर चल दिया तो उन लोगों ने छींटाकशी करनी बंद कर दी, और मेरे वापस लौटने पर उन लोगों ने मेरी पिटाई कर दी।''*

इस मामले में, हस्तक्षेप करने के फलस्वरूप राज को खुद मुसीबत का सामना करना पड़ा, दरअसल, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं में हस्तक्षेप न करने का यह भी एक कारण माना जाता है।

3.4.6. हिंसा का सहारा लेना या पितृसत्तात्मक कथन का उपयोग करना।

विशेषकर यौन उत्पीड़न के मामलों में हिंसक शोषणकर्ता को सार्वजनिक रूप से लताड़ने के लिए पितृसत्तात्मक कथन का उपयोग करना, पुरूषों और महिलाओं द्वारा समान रूप से अपनाई जाने वाली एक रणनीति है।

पितृसत्तात्मक जेंडर कथन आमतौर से सुने जाने वाले ऐसे कथनों से संबंधित होते हैं, जो पितृसत्तात्मक मानदंडों पर आधारित होते हैं। प्रायः ये इस विचार से प्रेरित होते है कि परिवार का सम्मान, महिलाओं की पवित्रता और शालीनता पर निर्भर होता है। इनका उपयोग ऐसे पुरूषों को शर्मिंदा करने के लिए किया जाता है जो हिंसा या यौन उत्पीड़न करते हैं–इसके लिए उनकी महिला नातेदारों (मां–बहनों) का उल्लेख करते हुए कहा जाता है कि अगर उनको भी कोई ऐसे ही परेशान करे तो उनको कैसा महसूस होगा। इन कथनों द्वारा पुरूषों को याद दिलाया जाता है कि उनके अपने परिवार की इज्ज़त भी उनकी महिला नातेदार की इज्ज़त से जुड़ी हुई है।

उदाहरण के लिए, 24 वर्षीय फारूक ने हमें बताया कि एक बार कुछ महिलाओं को परेशान किए जाते देखने पर उन्होंने एक फिल्मी अंदाज में मदद की थी। हालांकि उनका आशय ठीक था, लेकिन किसी परेशान महिला का बचाव करने वाले एक आक्रामक योद्धा के रूप में उनकी अपनी सोच को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

हिंसा की घटनाओं में हस्तक्षेप के सीधे तरीके के तौर पर पुरूष बाइस्टैण्डर्स खुद भी हिंसा का सहारा लेते हैं। साक्षी ने हमें बताया कि एक बार एक पुरूष सहयात्री उनके और उनकी सहेलियों के पक्ष में उठ खड़ा हुआ। हालॉकि मामला खत्म करने के लिए उसने खुद भी हिंसा का उपयोग किया। उन्होंने बताया कि,

> *''कुछ सहेलियों के साथ यात्रा करने के दौरान,.....हम लोग खड़े थे और कुछ लोग आए और हम सभी को छूने की कोशिश करने लगे। मैं इस गलत व्यवहार से बिफर गई और उसका कालर पकड़ लिया और बोलीए ''यह क्या हो रहा है?'' हम लोग उससे उलझ गए थे, और हर कोई हमें इस तरह से देख रहा था जैसे कि कोई तमाशा चल रहा है, लेकिन तभी एक आदमी उठा, जिसे मैं जानती नहीं थी, वह अपनी सीट से उठकर आया और उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया और फिर बाकी लोगों की ओर मुड़कर कहा ''आप लोगों को दिखाई नहीं देता कि पिछले पांच मिनट से यहां क्या चल रहा है। अगर आप लोग कुछ कर नहीं सकते, तो आप लोगों की यहां क्या ज़रूरत है?'' इस तरह से उसने सबको प्रेरित कर दिया और तब हर कोई अपने हाथ साफ करने पर आमादा हो गया, और फिर बस कंडक्टर ने उस आदमी का कालर पकड़कर उसे जबरन बस से उतार दिया।''*

जहां इस अनुभाग में अध्ययन प्रतिभागियों द्वारा प्रयोग किए गए कुछ तत्काल हस्तक्षेप वाले तरीकों के बारे में संक्षेप में बताया गया है, वहीं कुछ ने ऐसे तरीकों का भी उल्लेख किया गया है, जो ज्यादा लंबे समय के समाधान के उपायों के तौर पर इस्तेमाल की किए गए।

3.4.7. लंबे समय की रणनीतियां: सामुदायिक एकजुटता

दिल्ली के एक 30 वर्ष आयु के शिक्षक शकील द्वारा बताई गई लंबे समय की हस्तक्षेप वाली रणनीति में सामुदायिक एकजुटता शामिल थी। उनकी छात्राओं ने जब उनको यह बताया कि स्कूल के आसपास छींटाकशी करने वालों द्वारा छेड़खानियों की हरकतों की वजह से उनको स्कूल आने में कठिनाई होती है, तो भीड़ के समय उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर गश्त लगानी शुरू कर दी। उन्होंने पुलिस की भी मदद ली और नियमित गश्त सुनिश्चित कराई। उन्होंने बताया कि इससे लड़कियों को सुरक्षा के एहसास के साथ स्कूल आने में मदद मिली।

''हमने दो–तीन शिक्षकों की एक टीम बनाई, जिन्होंने ऐसे स्थानों की सूची तैयार की और फिर हमने उन स्थानों की गश्त शुरू कर दी। हमने स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी संपर्क किया और उनको बताया किए ''हमारी लड़कियों को कुछ आवारा, पियक्कड़ लड़के, परेशान करते हैं।'' पुलिस ने हमारा काफी सहयोग किया और और उन इलाकों में अपनी गश्त बढ़ा दी। हमने भी कई बार पुलिस की मदद की और धीरे–धीरे यह समस्या हल हो गई। उन स्थानों पर पुलिस ने सुबह और शाम के समय गश्त शुरू कर दी थी, और अब लड़के कदाचित ही वहां दिखाई देते थे। अब लड़कियों के लिए स्कूल जाना आसान बन गया था, क्योंकि अब माहौल काफी सुरक्षित हो गया था।.''

3.4.8. लंबे समय की रणनीतियां: संस्थागत प्रणालियां विकसित करना

कुछ प्रतिभागियों ने, यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से निबटने के लिए अपने ऑफिस या शिक्षा संस्थानों में दूरगामी तरीके के रूप में प्रक्रियाएं स्थापित किए जाने के बारे में भी बताया। 28 वर्षीय ओनिल ने हमें उस कठिन प्रक्रिया के बारे में बताया जो उन्होंने और उनके सहकर्मियों ने अपने पिछले वर्कस्पेस में यौन उत्पीड़न के समाधान के लिए एक सेल स्थापित कराने के लिए अपनाई थी। जब उनकी एक महिला सहकर्मी ने उनको अपने डरावने यौन उत्पीड़न के अनुभव के बारे में बताया जो सीनियर मैनेजमेन्ट के एक सदस्य की वजह से उनको हुआ था, तो इससे कार्यस्थल पर उत्पीड़न, विशाखा फैसले के दिशानिर्देशों, और एक POSH (कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम) समिति की स्थापना को लेकर महत्त्वपूर्ण बहस शुरू हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से यह घटना उनके जैसे कुछ लोगों के लिए खासतौर से डिस्टर्ब करने वाली थी, क्योंकि इससे यह संदेश जाता था कि एक तरफ तो कंपनी में हर कोई अपने कार्य के माध्यम से इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के खोखले दावे करता है वहीं दूसरी ओर वे अनचाहा और दुर्व्यवहार वाला व्यवहार करने में लिप्त हैं।

> *''और जब ऐसा हुआ तो मैंने अपने सीनियर मैनेजमेन्ट से संपर्क किया। मुझे पता नहीं कि घटना में कौन शामिल था–मैंने बस यह कहा कि कंपनी में कुछ समस्या है और हमें मिलकर इसका हल खोजना होगा। तो कुछ दिनों तक तो वे लोग मेरी बात को टालते रहे, वे इसे सीरियसली नहीं ले रहे थे। मैंने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है। अगर आप इस बारे में कुछ नहीं करना चाहते, तो ऐसे जहरीले माहौल में काम करने में मेरी कोई रूचि नहीं है, और तब जाकर कहीं वे सहमत हुए। मुझे जेंडर समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करना अजीब लगता है, जब हमारी ही कंपनी के लोगों को इसका सामना करना पड़े। मुझे यह पसंद नहीं है, और मैं यह कंपनी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। तब उन्होंने कहा कि, ''जो भी हो, हम इस मामले को देखेंगे। '' उन्होंने कहा किए 'क्योंकि केवल आप शिकायत कर रहे हैं, इसलिए हम मदद नहीं कर सकते। लड़की को आगे आना चाहिए और उसे शिकायत दर्ज करानी चाहिए।''*

> *''मैंने कहा कि समस्या यह नहीं है कि सबने गलती की है, बल्कि यह है कि आपको यह स्वीकार करने में इतने दिन लग गए कि एक आदमी ने कुछ गलत किया है और आप मानसिक रूप से उस लड़की को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि घटना का कोई प्रमाण नहीं है और आपको पता है कि उस एक आदमी की वजह से ऐसा हुआ है, और जब मैंने देखा कि रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, तो मैंने रिजाइन कर दिया और कहा कि मैं अब यहां काम ही नहीं करना चाहता।''*

इस अनुभाग में बताया गया है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विरोध में हस्तक्षेप के दो स्पष्ट स्वरूप होते हैं– या तो यह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को तत्काल समाप्त करने के लिए किया जाता है या फिर यह लंबे समय की समाधान की प्रणालियां स्थापित करने के लिए होता है। हालाँकि यह दोनों स्वरूप पूरी तरह से अलग–अलग नहीं हैं, इस रिपोर्ट में प्रस्तुत उदाहरण हमें साफ तौर पर यह बताते हैं कि तत्काल और लंबे समय के, ये दोनों प्रकार के समाधान साथ–साथ चलते हैं। 'चिंतन' वाले अंतिम अनुभाग में हम इस बारे में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे।

3.5. महिला और पुरूष बाइस्टैण्डर्सः तरीकों में भिन्नता

पुरूषों और महिलाओं द्वारा प्रतिक्रिया और हस्तक्षेप करने के तरीकों में एक दिलचस्प अंतर होता है। अधिकांश पुरूषों ने, जिनसे हमने बात की, उन्होंने अपरिचित महिलाओं के लिए एक 'अजनबी' के तौर पर हस्तक्षेप करने की कठिनाइयों के बारे में बताया। अन्य निष्क्रिय बाइस्टैण्डर्स ने प्रायः ऐसी लड़की के लिए आवाज़ उठाने के लिए हस्तक्षेप करने वाले आदमी के 'अधिकार' के बारे में, जिस आदमी से वह लड़की सीधे संबंधित नहीं थी, आक्रामक तरीके से प्रश्न किया।

उदाहरण के लिए, कोलकाता के राकेश ने हमें बताया कि एक बार जब उन्होंने एक लोकल ट्रेन में छेड़छाड़ की एक घटना के विरोध में आवाज़ उठाने की कोशिश की, तो गलत हरकत करने वाले सहयात्रियों के अलावा रेलवे पुलिस ने भी उनसे पूछा कि वे क्यों इस मामले में दखल दे रहे थे और सर्वाइवर उनकी क्या लगती थी।

> *''कई लोगों ने मुझसे यह कहा ''आप इस लफड़े में क्यों पड़े? वह आपकी कौन है? आप बीच में बोलने वाले कौन होते हैं? अपने काम से काम रखें। आपको इसलिए जलन हो रही है, क्योंकि वह आपके करीब नहीं थी. ....ऐसी ही ढेरों बकवास बातें, जाने क्या–क्या कहा गया। फिर जब ट्रेन एक स्टॉप पर रूकी, तो वे नीचे उतर गए और वह लड़की भी उतर गई। लड़की किसी से कह रही थी, ''ये लोग.....ये सभी लड़के...यह आदमी मुझसे बुरा व्यवहार कर रहे थे।'' वह यही कहे जा रही थी तभी पुलिस आ गई। मैंने पुलिस (अधिकारी) को बताया कि,''सर, प्लीज बात को समझिए। लड़की के साथ बुरा हुआ है, लेकिन जो करने वाले हैं वे अन्य लोग हैं। मैं विरोध कर रहा था इसलिए वे मुझ पर टूट पड़े।' अब मामला मुझ पर केंद्रित हो गया था। पुलिस वाले ने कहा , ''मैं भी आपसे वही कहता हूं जो बाकी लोग कह रहे हैं। आपने इस मामले में अपनी टांग क्यों फंसाई? आपको जहां जाना है, वहां जाना चाहिए। यह इस लड़की का काम था कि यह पहले मेरे पास आती। लड़की कुछ भी नहीं कह रही है। लड़की पुलिस के पास आना नहीं चाहती। न ही वह चीख–चिल्ला रही है। तो, आप इसमें क्यों पड़े हुए हैं? क्या आप दोनों के बीच कुछ है?'' तो, इस तरह से चीज़ें बेकाबू हो जाती हैं।''*

कुछ पुरूषों ने एक महत्त्वपूर्ण वजह के रूप में अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं की भी चर्चा की। उदाहरण के लिए, 38 वर्षीय प्रसाद, जो बॉम्बे के एक आर्किटेक्ट हैं, ने मुम्बई में हर कहीं पाई जाने वाली काली पीली एक टैक्सी में घरेलू हिंसा का एक गंभीर मामला देखा। जिस बात ने उनको सबसे ज्यादा विचलित किया, वह यह थी कि हिंसा को रोकने के लिए टैक्सी ड्राइवर कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था। यह पूछे जाने पर, कि उसने क्यों कुछ नहीं किया, टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया कि उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहने की हिम्मत की तो उसका भी हाल उसी लड़की जैसा हो सकता था।[9] यह डर गलत नहीं है, क्योंकि पुरूषों को भी कई बार शारीरिक चोटों का सामना करना पड़ जाता है, कई बार उनकी जान पर बन आती है, यह एक कठोर सच्चाई है। 2011 में, मुम्बई में एक पार्टी में अपनी महिला मित्रों से दुर्व्यवहार करने वाले कुछ आदमियों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर कीनन सांतोस और रूबेन फर्नांडीज की दुखद हत्या कर दिया जानाा, एक कड़वी याद है।

इस सच्चाई ने, कुछ पुरूष बाइस्टैण्डर्स को हस्तक्षेप के लिए 'विश्वसनीयता' प्राप्त करने के लिए सर्वाइवर से नातेदारी या रोमांटिक संबंध दिखाने के लिए प्रेरित किया, जिससे यह भी सुनिश्चित हो सके कि सर्वाइवर और खुद वे, बाद में इसके किसी परिणाम से सुरक्षित रहेंगे।

नए साल के जश्न की शाम नशे में धुत कुछ लड़कों द्वारा एक लड़की को परेशान किए जाते देखने पर फारूक ने उसके ब्वॉयफ्रेंड की भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि हालांकि वे लड़के थोड़ा सशंकित थे, लेकिन उन्होंने उनसे कोई जवाबतलबी नहीं की, और लगभग आधे घंटे बाद उनका पीछा छोड़ दिया।

अधिकांश पुरूषों ने, जिनसे हमने बात की, उन्होंने अपरिचित महिलाओं के लिए एक 'अजनबी' के तौर पर हस्तक्षेप करने की कठिनाइयों के बारे में बताया।

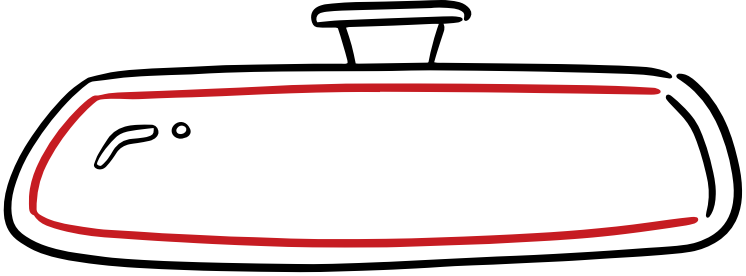

''मैं वहां गया। वे सभी लड़के वहां बैठे थे.....फिर, वहां पहुंचकर मैंने उन लड़कों को हटा दिया। उन लड़कों को हटाने के बाद, लड़की का चेहरा देखा, वह डरी हुई लग रही थी.....मैंने ध्यान से उसे देखा। उसके चेहरे पर भय था। मैंने उससे कहा, ''तुम यहां बैठी हो और मैं तुमको कहां–कहां खोज रहा था। आओ यहां से चलें!'' मैंने सीधे तौर पर यही कहा, यह मेरा पहला रिएक्शन था, मैंने कहा, ''तुम यहां बैठी हो? मैं तुमको कहां–कहां खोज रहा था? आओ चलें, जल्दी करो!'' फिर, उनमें से एक आदमी बोला, ''ऐ....''और उसने मुझे धक्का दिया। मुझे धकेलते हुए, उसने कहा, ''ऐ, हम यहां बहुत देर से हैं, और हम बात कर रहे थे, और अब तुम यहां कहां से आकर टपक पड़े?'' फिर मैंने भी उसे उसी की भाषा में जवाब दिया। उसी के स्तर के समान जवाब देते हुए मैंने कहा, ''मैं तुम्हारी ऐसी–तैसी कर डालूंगा, अभी यहीं, समझे?'' वह मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम लोग मेरी गर्लफ्रेंड को डिस्टर्ब कर रहे हो? क्या मैं अभी ऑफिसर से जाकर यह बताऊं?''

कुछ पुरूषों ने ऐसे सर्वाइवर्स की सहायता करने को लेकर भी कठिनाई पर बात की, जो अपने साथ हुई घटना को लेकर मुखर नहीं थीं। कुछ ने इस पर जोर दिया कि तब परिस्थितियां किस कदर उलझ गईं, जब उनके हस्तक्षेप के बावजूद, कुछ महिलाएं यह समझ ही नहीं सकीं, कि दुर्व्यवहार हुआ था।

कोलकाता के 29 वर्षीय उमंग ने बताया,

''अगर कोई लड़की आवाज़ नहीं उठाती, अगर उसे पता नहीं है कि कोई आदमी उसके लिए आवाज़ उठा रहा है, तो उसे भी बोलना चाहिए, तभी वह पुरूष उसकी सही से मदद कर पाएगा। वरना हस्तक्षेप करने वाले को कदम पीछे खींचना पड़ सकता है। तो, ऐसा होने पर ढेरों समस्याएं हो जाती हैं।''

अंकित, जिनके बारे में हमने ऊपर चर्चा की है, ने हमें बताया कि ऐसे ही एक अनुभव ने उनको, सर्वाइवर के ध्यान में मामला लाए बिना, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की एक स्थिति से चुपचाप निबटने के लिए प्रेरित किया, यह उनकी सोची समझी रणनीति थी। यह दूसरे एक समान मामले के विपरीत है जिसमें एक महिला बाइस्टैण्डर ने अत्यधिक मुखरता के साथ हस्तक्षेप किया।

एक साझा आटो में एक लड़की को पुरूष सहयात्री द्वारा परेशान किए जाते देखकर 22 वर्ष की अरूणा, उत्पीड़न करने वाले से सीधे उलझ गईं।

''मैं सब कुछ देख सकती थी, मैं देख सकती थी कि किस तरह से वह आदमी, उस महिला की जांघ से अपना हाथ रगड़ रहा था, और उस महिला के पास ढेर सारा सामान था, और वह भय की वजह से पूरी तरह से स्तब्ध हो गई थी। फिर, मैंने उस आदमी से बहुत ही शालीनता से कहा कि, ''पीछे की सीट खाली है, आप प्लीज पीछे की सीट पर बैठ जाएं। '' उसने तुरंत साफ मना करते हुए कहा, ''मैं पीछे नहीं बैठना चाहता।'' तो मैंने उस आदमी से खुले तौर पर कहा कि, ''तुम आगे की सीट पर बैठे रहना चाहते हो न ताकि तुम उस महिला को तंग कर सको?'' वह मुझे इस तरह से घूरने लगा जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो, और आटोवाला भी मुझे ऐसी ही निगाहों से देख रहा था, मैं कहती गई ''मैं साफ–साफ देख सकती हूं कि तुम क्या कर रहे हो। तुम उस महिला को परेशान कर रहे हो, दरअसल, तुम उससे छेड़खानी कर रहे हो।'' वह इतना ज्यादा शर्मसार हो गया कि वह आटो से उतरा, पैसे चुकाए और चला गया।''

सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं द्वारा यौन हिंसा से स्वयं निपटने के संदर्भ में, उन्होंने सेफ्टी पिन जैसी रोजमर्रा की चीज़ों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में बात की। कोलकाता की साक्षी ने बताया कि,

[9] हैदराबाद के राज ने, जिनका इस दस्तावेज में पहले उल्लेख किया जा चुका है, भी इस बारे में बताया कि किस तरह से नशे में धुत कुछ पुरूषों द्वारा परेशान की जा रही एक लड़की की मदद करने के कारण उनको उन लोगों से पिटाई का शिकार होना पड़ा।

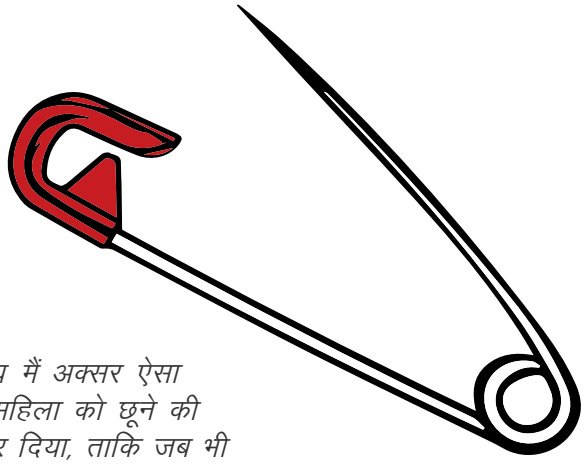

''स्कूल जाते समय और स्कूल या कॉलेज से वापस आते समय मैं अक्सर ऐसा होते देखती थी, कि बस में कोई न कोई मुझे, या किसी अन्य महिला को छूने की कोशिश करता था। फिर मैंने सेफ्टी पिन साथ में रखना शुरू कर दिया, ताकि जब भी कोई मेरे निकट आने की कोशिश करता तो मैं उसे बस यह पिन चुभा देती।''

कुछ लोगों ने अन्य चीज़ों जैसे कि छाता, जैकेट, या बैकपैक आदि का उपयोग करने के बारे में बात की। मुम्बई की 32 वर्षीया वकील पारिजाद ने बताया कि:

''मैं दादर स्टेशन से ट्रेन पकड़ा करती थी, जो कि बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाला स्टेशन है, और यह बहुत बड़ा स्टेशन भी है, और अगर आपने पहले ऐसे सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल न किया हो तो यह आपको काफी मुश्किल भरा लग सकता है। इसलिए, मैं अपना छाता साथ ले जाया करती थी, क्योंकि कॉलेज जब चालू हुआ था उस समय काफी बरसात का सीज़न था, जून–जुलाई। मेरा पीछा करने वाले पुरूषों को चकमा देने के लिए मैं उस छाते का इस्तेमाल किया करती थी, और स्लीवलेस कपड़े पहनने के बावजूद, जो कि हम सभी कॉलेज में पहनना चाहते थे, मैं एक जैकेट पहना करती थी, और कॉलेज पहुंचने से पहले मैं जैकेट निकाल देती थी। यह सब निश्चित रूप से मेरे लिए अनकम्फर्टेबल था, लेकिन यह थोड़ा झंझट उचित था, क्योंकि ये सभी उपाय आखिरकार मैं खुद को अधिक कम्फर्टेबल महसूस कराने के लिए ही करती थी।''

हैदराबाद की भामा के लिए, सार्वजनिक परिवहन में या सड़कों पर चलते समय बैकपैक काफी उपयोगी साबित होता था।

''अगर मैं किसी सार्वजनिक स्थान पर जा रही होती, तो मैं बस अपना बैकपैक आगे कर लेती थी और चली जाती थी।''

महिला यात्रियों ने अन्य महिला सहयात्रियों के साथ बंधुत्व की भावना भी प्रदर्शित की और पीड़ित को चर्चा का केंद्र बनाए बिना रणनीतिक तरीके से और चुपचाप आगे निकाल दिया या एक ओर कर दिया। *''मुझे नहीं लगता कि हम चुप रह जाने वाले लोग हैं, हम पलटकर जवाब देने वाले लोग हैं लेकिन कभी–कभी अन्य महिलाएं हमारे साथ एकजुटता दिखाती हैं और हमें सुरक्षात्मक सहयोग देती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कदाचित ही होता है।''* ऐसा हैदराबाद की 29 वर्षीया उमा ने बताया। संभावित खतरनाक या हिसंक परिस्थितियों से दूर रहना, यात्रा करने के दौरान महिलाओं द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वाइवल की एक सामान्य रणनीति है।

3.6. महिलाओं की चुप्पी को समझना

जेंडर थ्यौरिस्ट और नारीवादी, 'चुप्पी की संस्कृति' का हवाला देते हैं, जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों में सर्वाइवल की प्रतिक्रिया निर्धारित करती है। यह मोटे तौर पर, विरोध करने या आवाज़ उठाने, कानूनी या आपराधिक न्याय प्रणाली का सहारा लेने, और अपने परिवार के लोगों या मित्रों से मदद लेने के मामले में महिलाओं की सामान्य अनिच्छा के रूप में दिखती है। ये प्रतिक्रियाएं अनेक वजहों से उत्पन्न होती हैं, जिनमें अन्य के अलावा, दोषी ठहरा, जाने या कलंकित किए जाने का भय, आवागमन पर प्रतिबंध लगने का डर, या विरोध करने की स्थिति में अधिक उग्र हमले या क्रोध का शिकार बनने का भय आदि शामिल हैं।

हस्तक्षेप के अनुभव वाले अनेक प्रतिभागियों ने दुर्व्यवहार, छेड़खानी या किसी अन्य प्रकार की यौन हिंसा के अनेक सर्वाइवर्स की चुप्पी को लेकर अपनी खीझ जाहिर की। उन्होंने इस बारे में महिलाओं की चुप्पी को महिलाओं की अपनी सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक माना और यह महसूस किया कि हिंसा की ओर ध्यान दिलाना, हिंसा का खात्मा करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। कोलकाता के 29 वर्षीय उमंग ने बताया कि:

'मैं हमेशा देखता था कि एक आदमी.....एक खास आदमी, जो आटो में जाता था, वह आटो में आगे की सीट पर बैठता था, अगर कोई लड़की उसके पास या आगे बैठी हो तो उस आदमी का हाथ.....मेरा मतलब है कि वह चुपचाप हरकत करने की कोशिश करता था। एक दिन मैंने अपना मन बना लिया कि अगर आज ऐसा कुछ हुआ, तो मैं उसे पीट दूंगा, फिर जो भी होगा, देखा जाएगा। तो मैंने देखा कि वह आदमी मेरे आगे खड़ा था, मैंने उसे बैठने के लिए कहा। वह बैठ गया और एक महिला उसके आगे बैठ गई। फिर मैंने चुपचाप यह घटना रिकार्ड करने के लिए अपने मोबाइल का कैमरा चालू किया और सोचा कि उतरने के बाद उसे पीटूंगा। तो अचानक मैंने सोचा कि.....वह वैसा 'व्यवहार' क्यों कर रहा था। मेरे मन में ख्याल आया कि अगर वह महिला एक बार भी आवाज़ उठाती, या असहज महसूस करती, तो फिर मैं भी विरोध करने में उसका साथ देता। मुझे लग रहा था कि वह असहजता महसूस ही नहीं कर रही थी, वरना मैंने पूछा होता किए ''क्या आपको कुछ परेशान हो रही है.... क्या आप असहज महसूस कर रही हैं...'' या ऐसा ही कुछ.....फिर वह उतर गई? तो वो हो नहीं पाया। तो उस समय मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसने अपनी आवाज़ नहीं उठाई। तो....यह एक घटना है।''

हमारे साक्षात्कारों के माध्यम से आगे छानबीन करने पर हमने इसकी पड़ताल की कि किस तरह से किसी महिला की 'चुप्पी', बरसों और दशकों तक सिस्टेमैटिक तरीके से जेंडर आधारित समाजीकरण, अपनी क्षमताओं और अपने आत्मविश्वास के क्रमिक पतन, और शर्म, कलंक, और अपने शरीर को लेकर ग्लानि का सामूहिक बोझ ढोने की मज़बूरी का परिणाम होती है। जेंडर सिद्धांतवादियों ने 'चुप्पी की संस्कृति' की पड़ताल करने पर बार–बार जोर दिया है, क्योंकि उनके विचार में यह इसे बेहतर समझने के लिए ज़रूरी है कि आखिर क्यों महिलाओं के लिए अपने घरों के अंदर या बाहर दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठाना या उसे मानना कठिन होता है। इस भय का एक बड़ा आधार, पीड़ित पर दोषारोपण करने की संस्कृति है, जिसका महिलाओं को आमतौर से शिकार बनाया जाता है और जिससे उनके लिए अपने अनुभवों को सही से बता पाना भी लगभग असंभव हो जाता है।

कोलकाता की 28 वर्षीया श्रावणी ने बताया कि,

''.....हिंसा के बारे में मेरी सोच और नज़रिया थोड़ा अलग है, मुझे लगता है कि हिंसा, आप पर अपने निशान ज़रूर छोड़ जाती है। हो सकता है कि यह आपके शरीर पर कोई निशान न छोड़े, लेकिन यह आपकी रूह पर निशान डाल देती है, और यह आगे के जीवन के लिए आपकी सोच पर निशान बना देती है, यह चीज़ों के बारे में आपकी धारणाओं को, और यह दुनिया के बारे में आपके नज़रिए को हिला देती है.....यह कोई एक घटना नहीं होती, बल्कि अनेक घटनाएं होती हैं, जो आपके पैदा होने के दिन से, घटनाओं को लेकर आपकी समझ शुरू होने के दिन से होती हैं।''

हमारे कुछ प्रतिभागियों ने माना कि महिला व्यवहार और 'विकल्पों' को प्रभावित करने के मामले में संरचनात्मक और सामाजिक अनुकूलन द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। हमारे अध्ययन के चरण 1 में अर्ध शहरी या ग्रामीण प्रतिभागियों के पूल वाले कुछ पुरूष प्रतिभागियों ने इंगित किया कि किस तरह से लड़कियों को बचपन से ही सबसे दबकर रहना, और अपनी परिस्थितियों को चुनौती न देना, मुखर ढंग से विरोध न करना सिखाया जाता है।

हरियाणा की नज़र ने बताया कि,

''हम जहां से हैं, वहां अभी परिस्थितियां वैसी नहीं हैं जैसी होनी चाहिए। कोई लड़की पंचायत आदि में खुलकर अपनी बात नहीं रख सकती, उसे सपोर्ट कौन देगा। सवाल यह है कि अगर कोई लड़की अपनी आवाज़ उठा दे तो क्या इसे प्रतिरोध नहीं माना जाएगा? लोगों को लगेगा कि यह लड़की तो अपनी हद से आगे बढ़ी जा रही है। वे ऐसा ही सोचते हैं, ''अगर कोई लड़की हमारे सामने आकर अपनी बात पर अड़ जाए तो इससे हमारा सम्मान कम हो जाएगा, और इसलिए.....बेहतर यही माना जाता है कि लड़की को उसके घर के घेरे में ही कैद रखो, उसे पंचायत में बात रखने के लिए आना ही नहीं चाहिए।'' तो, इस तरह से, काफी हद तक उपेक्षा का

एक माहौल बना हुआ है.....अनेक लोगों के जवाब ऐसे थे. ''हमें लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने से क्या मिलेगा? इन दिनों नौकरियों का वैसे भी अकाल पड़ा हुआ है, और अगर उनको नौकरी न मिली तो इन लड़कियों को अपने परिवार के लिए चूल्हा–चौका ही तो करना होगा और बच्चे पालने होंगे, तो फिर इन पर इतना ज्यादा पैसा बर्बाद करने का क्या फायदा है?''

हरियाणा के विनय ने भी दोहराव से होने वाले सामाजिक अनुकूलन का हवाला दिया:

''तीस प्रतिशत लड़कियां खुद अपनी आवाज़ नहीं उठातीं। हम यह कह सकते हैं, कि हम उनका पालन–पोषण करते हुए उनको बड़ा ही इस प्रकार करते हैं कि हम उनको उनकी आवाज़ उठाना नहीं सिखाते, हम उनको यह बताते हैं कि.''यह किसी से कहना नहीं।'' इसीलिए, जब कोई घटना हो जाती है, तो उनको यही याद आता है. ''ऐसा नहीं कहना, ऐसा नहीं करना।'' तो, हम उनको इसका प्रतिरोध करना नहीं सिखाते, और हम उनको चुपचाप इसे सहन कर लेना सिखा देते हैं। और इन दिनों हमारा समाज इसे स्वाभाविक साबित करने की भी कोशिश करने लगा है। कि यह सब स्वाभाविक है, सब ठीक है। बसों में उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, दिल्ली जैसे शहर में, ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं.....तो चाहे दिल्ली हो या कोई और शहर, एक महिला तो महिला ही होती है, वह चाहे जहां रहती हो। तो मेरा विचार है कि एक सीमा तक लड़कियां भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वे अपनी आवाज़ नहीं उठातीं। फिर वही बात आती है कि हम उनको सही समझ देने में नाकाम रहे हैं–हमारा समाज उनको इस तरह परिपक्व बनाने में नाकाम रहा है–कि वे अपनी आवाज़ उठा सकें।''

विनय के वर्णन से यह मान्यता स्पष्ट होती है कि महिलाओं की चुप्पी में सामाजिक अनुकूलन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। यह समान रूप से महत्त्वपूर्ण है कि विनय और उमंग जैसे प्रतिभागियों ने, जिनके मत यहां दिए गए हैं, यह भी माना कि सामाजिक अनुकूलन का अर्थ है कि लड़कियों का अलग तरह से समाजीकरण किए जाने की आवश्यकता है। उमंग की इस धारणा, कि अपनी आवाज़ न उठाने के लिए लड़कियां ज़िम्मेदार होती हैं, के संदर्भ में इसकी जवाबदेही समाज पर डाली जानी चाहिए– परिवारों और समुदायों परदृताकि लड़कियां और महिलाएं अपनी आवाज़ उठा सकें और हिंसा के विरुद्ध कारगर लड़ाई लड़ सकें।

कुछ महिलाओं ने उत्पीड़न की घटनाओं की निरंतरता को भी कदम न उठाने या प्रतिक्रिया न करने का एक महत्त्वपूर्ण कारण बताया।

कोलकाता की 30 वर्षीया शरण्या ने एक हस्तक्षेप का उदाहरण बताया जिसमें उसने छेड़खानी का शिकार होती एक लड़की से अपनी पोजीशन बदलकर उसकी मदद की थी। जब शरण्या ने उससे सवाल किया कि उसने ऐसी हरकत के विरोध में अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई, तो उस लड़की ने जवाब दिया कि ऐसी हरकतों का सामना तो लगभग रोज ही करना पड़ता है, कौन कहां तक क्या करे।

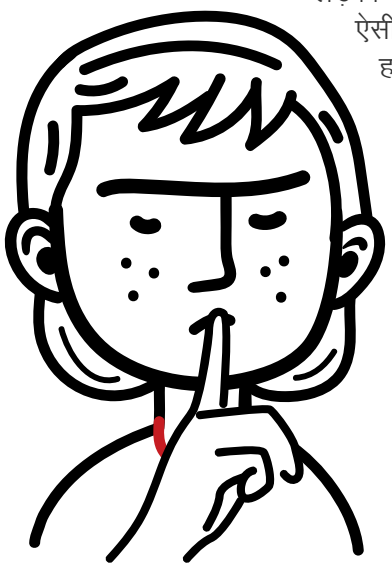

''तो, एक आदमी वहां खड़ा था, और वह एक लड़की को गलत ढंग से छू रहा था। तब, मैंने उसे देखा और मैंने उस लड़की से कहा, ''इस साइड में आओ''....तो वह लड़की ...लड़की (हकलाती है) मेरी तरफ आ गई और मैं उसकी जगह पर चली गई। अब उस आदमी ने मुझे भी टटोलने की कोशिश की। तब मैंने कहा ''तुम उसके साथ इस हरकत का मज़ा ले रहे थे न.....तुमको मालूम है तुम क्या कर रहे हो? अब कोई बदतमीजी करने की तुम्हारी मजाल नहीं हो सकती।'' उस आदमी के जानने वाले भी वहां थे, वे सब हंस रहे थे, वे सब जोर–जोर से हंस रहे थे, और लड़की ने मुझसे कहा ''उलझने की क्या ज़रूरत है।'' मैंने उसे समझाया कि, ''आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, आपको विरोध करना चाहिए, किसी भी गलत हरकत का।'' तो उसने कहा कि कि ''यह तो रोज का मामला है, मुसीबत में मत पड़ो। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए।'' तो, यह बात अपने आप में काफी मायने रखती है कि कुछ लड़कियां ही नहीं चाहतीं कि वे किसी झंझट में पड़ें, वे यह सब चुपचाप बर्दाश्त कर जाती हैं, –कि हटो छोड़ो भी, कोई बात नहीं। यह तो आम बात है।''

इस चुप्पी की वजह से महिलाएं अपने घरों के अंदर और बाहर सामना किए जाने वाले दुर्व्यवहार के बारे में अपने घर और परिवार में भी अपनी बात नहीं कह पातीं। ज्यादातर महिलाओं जिनसे हमने बात की, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से, अपने साथ हुई हिंसा या दुर्व्यवहार की घटनाओं के बारे में उन्होंने अपने परिवार वालों को कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि ऐसा करने पर अभिभावकों और घर के बुजुर्ग संबंधियों द्वारा तुरंत उपाय के तौर पर उनकी आज़ादी छीन ली जाती और उनकी आवाजाही सीमित कर दी जाती। सर्वाइवर्स के लिए संस्थागत और कानूनी व्यवस्थाएं मौजूद होने के बावजूद महिलाएं इन सेवाओं के लाभ नहीं उठातीं और अगर उनको मदद लेनी भी होती है तो वे अपने परिवार के अपने सबसे निकट के सदस्यों से मदद मांगती हैं।

परिवार में भी, अधिकांश महिला प्रतिभागियों ने इस भय से अपने परिवार से इस बारे में बात करने से साफ तौर पर अनिच्छा दिखाई, कि ऐसा करने पर उनकी आवाजाही पर और अधिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। शकील ने हमें बताया कि उनके स्कूल की अधिकांश लड़कियों ने कभी भी ईव टीजिंग के अपने अनुभवों के बारे में अपने परिवार के लोगों को नहीं बताया, क्योंकि इससे उनको चिंता होती, और लड़कियों को ट्यूशन आदि के लिए बाहर जाने से रोक दिया जाता। ओनिल और राज दोनों ने बताया कि उनकी महिला मित्रों ने अपने कार्यस्थल पर लगातार सहन किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के बारे में अपने परिवार के लोगों को कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनको डर था कि इससे उनको उनकी नौकरियां छोड़नी पड़ जाएंगी। ''उसने कभी ऐसा करने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि उसके अभिभावक किस तरह से रिएक्ट करेंगे। उसे यह भी डर था कि उसकी आज़ादी छीन ली जाएगी। जैसे कि अगर वह बाहर घूमने भी जाना चाहे, तो भी उसे अपने भाई को साथ में लेकर जाना होगा।'' ऐसा राज ने बताया। आवाजाही पर प्रतिबंध, संरक्षण की सोच के साथ–साथ परिवार की इज्ज़त की रक्षा करने और इसे बचाए रखने के लिए लगाए जाते हैं। अनेक अभिभावकों को ऐसा लगता है कि उनकी बेटियों को घर में बंद करके रखने से उनकी सुरक्षा बनी रहेगी।

बदनामी का भी सदैव भय बना रहता है, जो कि अभिभावकों के मुताबिक, गंभीर स्थितियों में पड़ जाने पर उनकी बेटियों की हो सकती है। पीड़ित पर दोषारोपण एक अन्य शक्तिशाली वजह है, जो महिलाओं को आवाज़ उठाने से रोकती है। 25 वर्षीया भामा ने याद करते हुए बताया कि एक बार वह और उनके दोस्तों के एक समूह (लड़कियां और लड़के) पर महिला बाइस्टैण्डर्स के एक समूह द्वारा उनको ही उनके मित्र के यौन उत्पीड़न के लिये जिम्मेदार ठहराया गया।

> *''हमें अपनी मित्र को कंट्रोल करना था। हम उसे पास के बस स्टॉप पर ले गए और हमने उसे वहां बिठाया और उसे थोड़ा पानी दिया और बस फिर उसने रोना शुरू कर दिया। बस स्टॉप पर खड़ी कुछ महिलाओं और कुछ पुरूषों ने, जो हमें ही घूर रहे थे, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हुआ है....हमने उनको बताया कि एक आदमी ने उसके साथ गलत हरकत की और भाग गया, और वहां महिलाएं भी खड़ी थीं और आदमियों का भी एक समूह था। उस समय मेरी उम्र 18 वर्ष की रही होगी। मैंने तब अपना इंटर पूरा करने के बाद चार्टर्ड एकाउंटेंट का कोर्स शुरू ही किया था। तो, उन्होंने हमसे कहा कि हमें लड़कों के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए और उनमें से कोई भी उस आदमी की बात नहीं कर रहा था, जो भाग गया था, या यह कि वह आखिर कौन था, या यह कि वे कैमरे कहां हैं जिनमें यह हरकत कैद हो सकती थी। और कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें ही दोषी ठहराया जा रहा था। और लड़कों को भी डांट पड़ी (थोड़ा मुस्कुराती है), कि आप लोग लड़की के साथ बाहर क्यों निकले, और हम सचमुच शर्मसार थे, क्योंकि हम बस सिनेमा देखने जा रहे थे। हम घर गए, और मेरी दोस्त ने कहा कि वह इस बारे में अपने अभिभावकों को नहीं बताना चाहती, क्योंकि वरना इसके बाद वे उसे फिर कभी बाहर नहीं जाने देंगे।''*

परिवार में भीए अधिकांश महिला प्रतिभागियों ने इस भय से अपने परिवार से इस बारे में बात करने से साफ तौर पर अनिच्छा दिखाई, कि ऐसा करने पर उनकी आवाजाही पर और अधिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

कानूनी उपायों के बारे में महिलाओं के जागरूक होने के बावजूद, वास्तव में इनका इस्तेमाल करना उनके लिए एक भयभीत करने वाली प्रक्रिया बताई गई, जिसकी कम से कम चार अलग–अलग वजहें हैं। पहली बात यह है कि कानूनी, या हिंसा का समाधान करने वाली कोई ऐसी प्रणाली खोजना कठिन है जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को वास्तविक गंभीर स्वरूप में स्वीकार करती हो। अनीता द्वारा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के एक उदाहरण के वर्णन में इसे देखा जा सकता है, जिसमें कोलकाता में पुलिस स्टेशन के एकदम बाहर घटना हुई थी, और स्टेशन के एंट्रेंस की निगरानी करने वाले पुलिसमैन ने मामले को देखकर मुंह फेर लिया था। उसने घटना पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, जबकि अनीता और उसकी सहेलियां घटना की ओर लगातार ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थीं। कानूनी उपायों का सहारा लेने के मामले में सर्वाइवर या हस्तक्षेप करने वाले को निराश करने वाला दूसरा मुद्दा यह है कि सिस्टम उनकी ही रूचियों पर सवाल खड़े करता है; यह दो प्रकार से होता है। पुरूषों के मामले में, उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है, कि जिस महिला की उन्होंने मदद करनी चाही उससे उनका क्या संबंध है, जैसा कि ऊपर राकेश के मामले में वर्णन किया जा चुका है।

इसका दूसरा तरीका यह है कि उनको इससे भी बढ़कर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि नीचे दिए गए चमन के उदाहरण से स्पष्ट होता है, जिसमें उन्होंने अपने होमटाउन गया में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामले में हस्तक्षेप किया था, वहां पुलिस ने व्यवस्थित तरीके से उन्हीं के विरुद्ध चार्ज फाइल कर दिए। तीसरा मुद्दा यह है कि महिलाओं को अपने पैतृक परिवार या ससुराल के परिवार में हिंसक परिस्थितियों से निकल पाने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास आर्थिक संसाधनों का अपेक्षाकृत अभाव होता है। अंतिम और सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा सामाजिक बदनामी का है, जिसका बोझ सदैव केवल महिलाओं को ही ढोना पड़ता है जबकि पुरूषों के विपरीत, जो कि अधिकांश मामलों में हिंसा करने वाले ही होते हैं, महिलाओं को ही हिंसा का सामना करना पड़ता है और इसे बर्दाश्त करके जीना पड़ता है। इस अंतिम कथन को पुरूषों सहित सभी अनुसंधान प्रतिभागियों द्वारा लगभग एक समान समर्थन दिया गया, जिन सभी ने यह बात मानी और स्वीकार की कि हिंसा या उत्पीड़न के मामले में पुरूषों की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आती।

फिर भी, यहां यह उल्लेख करना महत्त्वपूर्ण है कि हालाँकि महिलाएं, जेंडरिंग की अपेक्षाकृत व्यापक प्रक्रिया से गुजरकर इससे प्रभावित हुई होती हैं, लेकिन वे महज असहाय 'पीड़िता' ही नहीं होतीं, बल्कि एक जटिल व्यक्तित्व होती हैं जो अपने सूक्ष्म और छिपे तरीकों से इन कठिनाइयों का सामना करती हैं। इसे संभवतः एक समूह इंटरव्यू में सर्वोत्तम ढंग से देखा जा सकता है, जिसमें हमने ऐसी पांच महिलाओं को लिया था, जो एनसीआर क्षेत्र में शिक्षकों या छात्रों के रूप में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी थीं। उनसे हमारी बातचीत में महिलाओं के जीवन को रेखांकित करने वाली जटिल बातों का पता चला। उन सभी ने महिलाओं के अधिकारों और मुद्दों के प्रति सहमति जताई और इस बारे में काफी जागरूक थीं कि किस तरह से सामाजिक जाँच–पड़ताल और रूपरेखाएं, उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, जिसके साथ उन्होंने इन पूर्वनिर्धारित जेंडर वाले खांचों को तोड़ने की ज़रूरत पर लगातार जोर दिया।

इस अनुभाग के समापन में, यह नोट करना महत्त्वपूर्ण है कि महिलाओं की चुप्पी, परिवार में होने वाली उनकी पहले की सामाजिक क्रियाओं का परिणाम होती है। हमने पाया कि 'परिवार' शब्द एक सहारे की तरह काम करता है, जो हिंसा के न जाने कितने रूपों को उजागर होने से छिपा लेता है, जो न केवल निष्क्रिय रूप से हिंसा का समर्थन करता है बल्कि हिंसा के अनेक स्वरूपों को सक्रियता से दबा भी देता है या महिलाओं का संरक्षण करने के नाम पर उनको वैध ठहराता है। 'परिवार' का सामाजिक विचार, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा किए जाने से किस प्रकार संबंधित है, इस बारे में अगले उपभाग में विशेषरूप से चर्चा की गई है।

3.6. परिवार और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

हमारे इंटरव्यूज़ ने इसे साफ तौर पर उजागर किया कि जेंडर से जुड़े रूपकों, और पुरूष प्रधान तौर–तरीकों को मान्यता देने के मामले में परिवार किस तरह से केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह महिलाओं को बुनियादी तौर पर सिखाता है कि उनको समाज में कैसा 'व्यवहार' और 'आचरण' करना चाहिए, और यह उनको पारंपरिक स्वीकृत प्रथाओं से बांध देता है। महिला के शरीर पर ही परिवार और समाज की इज्ज़त का बोझ होता है, इसके अलिखित नियम धीरे–धीरे और बारीकी के साथ परिवार की रगों में स्थापित होते जाते हैं। फिर भी, समाज में जेंडर असमानता बदलने के लिए वर्तमान में स्थापित व्यवस्थाएं (राज्य और सिविल सोसाइटी के हस्तक्षेप) जेंडर आधारित भेदभाव और दमन की इस बुनियादी इकाई पर नगण्य सवाल उठाती हैं।

बड़े और खुशी–खुशी रहने वाले परिवार की भ्रांति को भारतीय समाज और लोकप्रिय संस्कृति में समान रूप से सराहा गया है। पैट्रीसिया उबेराय (Patricia Uberoi) जैसे समाजशास्त्रियों और शोहिनी घोष (Shohini Ghosh) जैसे विद्वानों ने, सांस्कृतिक मानदंडों को प्रभावित करने में मीडिया की भूमिका पर कार्य किए हैं, और उन्होंने दिखाया है कि इस भ्रांति को पालते रहने में किस तरह से सिनेमा आदि माध्यमों ने बड़ी भूमिका निभाई है। 1990 का दशक एक नाजुक दौर था जब नए उदारवादी भारत की कल्पनाओं और आकांक्षाओं के साथ एक उभरता हुआ मध्यवर्ग आकार ले रहा था। 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा परिवार का वर्ष घोषित किया गया, जबकि बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों जैसे कि हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं ने भारतीय संयुक्त परिवारों का महिमामंडन करते हुए उन विकारों को सहज ही छिपा दिया जो इस असमानतापूर्ण संस्था में गहराई तक समाए हुए हैं।[10]

प्रतिभागियों से हमारी बातचीत के दौरान हमने पाया कि परिवार कदाचित ही सशक्त बनाने का स्थान हो सकता है क्योंकि यह लगभग अनिवार्य रूप से एक ऐसे स्थान की तरह काम करता है जो जेंडरिंग को पोषित करती और इसे मज़बूत बनाती है, जबकि इसके साथ शर्मिन्दगी की भावना को प्रोत्साहित करती है और इसे आगे बढ़ाती है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामले में एक समुचित अनुसंधानित और लिखित रूप से प्रमाणित किया गया तथ्य यह है कि हिंसा के ज्यादातर शोषणकर्ता, प्रायः सर्वाइवर के घनिष्ठ संबंधी ही होते हैं। हमारा अध्ययन इसी अवलोकन की पुष्टि करता है।

अधिकांश महिला प्रतिभागियों ने परिवार में ही पहली बार यौन हिंसा का सामना किया और प्रायः उनको परिवार के सदस्यों या अपने भागीदार से लगातार दुर्व्यवहार सहन करना पड़ा। हिंसा के स्वरूपों में बाल यौन शोषण (CSA), घरेलू हिंसा (DV), वैवाहिक बलात्कार और जेंडर आधारित भेदभाव वाले क्रूर तौर–तरीके शामिल हैं। वर्षों से चलने वाले इस दुर्व्यवहार का कोई लेखा–जोखा नहीं रखा जाता और इसके कारण होने वाले मानसिक चोट (ट्रामा) जिसका कोई उपचार नहीं किया जाता, वह विभिन्न प्रकार के मानसिक तनावों का कारण बनता है। उनमें से कुछ ने पीड़ा और रोष से छुटकारा पाने के लिए थेरेपी की बात की, विशेषकर बाल यौन शोषण के सर्वाइवर्स के मामले में, क्योंकि यह लोग बहुत वर्षों बाद तक भी अपने निकटतम लोगों से भी इस बारे में बात नहीं कर पाते। यह सच्चाई, कि बाल यौन शोषण करने वाला शोषणकर्ता, सर्वाइवर से घनिष्ठ रूप से संबंधित है - भाई, चाचा, चचेरा भाई आदि–उनके लिए इसका

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामले में एक भलीभांति अनुसंधान किया गया और लिखित रूप से प्रमाणित किया गया तथ्य यह है कि हिंसा के ज्यादातर शोषणकर्ता, प्रायः सर्वाइवर के घनिष्ठ संबंधी ही होते हैं। हमारा अध्ययन इसी अवलोकन की पुष्टि करता है।

10 Ghosh, S. (2000). Hum Aapke Hain Kaun----!% Pluralizing Pleasures of Viewership. Social Scientist, 28(3/4), 83-90

विरोध करना लगभग असंभव बना देती है। हमारे अनेक प्रतिभागियों ने इस बारे में बताया कि 'बाहरी या सार्वजनिक जगह' के मुकाबले परिवार के अंदर हस्तक्षेप करना ज्यादा कठिन होता है।

हमारे कुछ प्रतिभागियों ने, जो कि बाल यौन शोषण और घरेलू हिंसा के सर्वाइवर थे, अपने साथ हुई घटनाओं के समय अपनी असहायता को लेकर अपने दबे क्रोध का हवाला दिया, और बताया कि उनका यह आक्रोश जिसे उनके साथ दुर्व्यवहार या यौन हिंसा होने के समय बाहर निकलने का तब अवसर नहीं मिला था वही बाद में तब फूट पड़ा जब उन्होंने बाद में अपने साथ या किसी अन्य के साथ ऐसा होते देखा। हालाँकि, कुछ प्रतिभागियों ने अब भी इसे लेकर गंभीर कष्ट भरे एहसास को उजागर किया, जो दुर्व्यवहारपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने की वजह से उनके मन में बना हुआ था। हालांकि ये चीज़ें परिवार के स्पेस में बहुत बारीकी से बुनी और स्थापित हैं, लेकिन हम घरेलू हिंसा और बाल यौन शोषण को अलग–अलग उपभागों में प्रस्तुत करते है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिभागियों के वर्णनों में घरेलू हिंसा के मामलों की अत्यधिक चर्चा यह इंगित करती है कि यह अनेक प्रतिभागियों के लिए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का सबसे जाना–माना रूप है और प्रायः सबसे पहले उनको इसी का सामना करना पड़ता है। हालांकि बाल यौन शोषण का अक्सर उतना उल्लेख नहीं किया जाता, लेकिन यह अपने स्पेस की मांग करता है क्योंकि यह ऐसी हिंसा से संबंधित होता है जो बच्चों के खिलाफ की जाती है जो आमतौर से अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं होते, और अपने अनुभवों को बता नहीं सकते।

3.7.1. आरंभिक जेंडर आधारित भेदभाव और दोहराव

सिस्टेमैटिक तरीके से विकसित होने वाला जेंडर, हमारे जीवन के हर क्षण में बारीकी से अपनी भूमिका निभाता है और इस तरह से एक ऐसी ताकत के रूप में कार्य करता है जो हमारी पहुंच से ज्यादा व्यापक होती है। शुरूआती जेंडर विकास का एक शक्तिशाली और विचलित कर देने वाला उदाहरण, कोलकाता की 28 वर्षीया अनुसंधान वैज्ञानिक अवनि ने बताया। उसने घरेलू हिंसा के एक क्रूर मामले में हस्तक्षेप करके इसे रोकने का प्रयास किया, जिसमें एक 8-9 वर्ष की लड़की को उसके पिता ने इसलिए पीटा था, क्योंकि उसने अपने छोटे भाई की देखभाल नहीं की थी।

''उसने लड़की को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। मैं बता नहीं सकती कि यह कितना दयनीय था। वास्तव में, केवल मैं ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य परिवारों के लोग भी वहां थे, जो तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। हमने तुरंत सहज प्रतिक्रिया करते हुए लड़की को उसके चंगुल से खींच लिया, तब वह मुझ पर भड़क गया। उसने मुझे घूरा और जैसे कि कहना चाहता हो, 'मेरी बेटी के साथ मैं कुछ भी करूंगा, मैं जो चाहे करूं, उसमें तुम्हारा क्या जाता है।' यह उसका नज़रिया था, हालांकि वह बाद में साफ तौर पर ऐसा कह नहीं सका।''

इसी प्रकार से, दिल्ली के स्कूल के शिक्षक शकील ने हमें बताया कि किस तरह से उनके स्कूल की अधिकांश लड़कियों ने उनको बताया कि उनके अभिभावक उनके भाइयों की पढ़ाई पर काफी पैसा खर्च करते हैं (उनको महँगे निजी स्कूलों में भेजते हैं), जबकि उनकी पढ़ाई को उतना ध्यान और महत्व नहीं देते हैं।

> *''हमने उनसे पूछा कि क्या वे अपने परिवारों या समाज की ओर से, अपनी पढ़ाई में किन्हीं रूकावटों का सामना करती हैं? तो उन्होंने कहा कि उनके परिवारों के लोग उनकी पढ़ाई–लिखाई को लेकर ज्यादा सजग नहीं हैं, अगर वे पढ़ना चाहें तो भी ठीक है, न पढ़ना चाहें तो भी कोई बात नहीं, उनकी माताओं ने उन्हें बताया, '10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दो, क्या फायदा है आगे पढने का?'' वे उनकी ट्यूशनों में पैसा नहीं खर्च करते, अगर उनको किताबों की ज़रूरत हो, तो वे भी उनको नहीं दी जातीं। मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात की है, और मैं आपको इसकी एक झलक बता रहा हूं। मैंने एक लड़की से पूछा था कि, ''तुम्हारे घर में कितने लोग हैं?'' उसने बताया कि ''मेरे दो भाई हैं और मैं अकेली बहन हूं।'' तो मैंने उससे पूछा, ''तुम्हारे भाई कहां पढ़ाई करते हैं?'' उसने जवाब दिया कि, ''वे महँगे निजी स्कूलों में जाते हैं, मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है।'' मैंने उनकी ट्यूशन कक्षाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया कि, ''हाँ, वे अच्छी ट्यूशनें भी पढ़ते हैं। मेरे अभिभावक उनकी अच्छी देखरेख करते हैं।''*

दिल्ली की 18 वर्षीया स्वीटी ने हमें बताया कि किस तरह से उसका परिवार, विशेषकर उसकी माता, उसे सुरक्षित रखने के लिए सदैव ऐसे किसी दुर्व्यवहार की अनदेखी कर देने और विरोध न करने की उसे सलाह देती रही, जो उसके साथ हो सकता था।

''हमें कुछ कहने की इजाजत नहीं होती....ऐसा मेरे साथ हुआ.....अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो माताएं हमें बताएंगी कि ''अगर कोई कुछ कहता है, तो बोलो नहीं, नज़रें झुका लो और चलती रहो....पलटकर जवाब न दो....। तो मैंने अपनी मां से कहा कि जब तक हम पलटकर जवाब नहीं देंगे, तब तक वे छींटाकशी करते रहेंगे.....हां, अगर हम पलटकर जवाब देंगे, तो हो सकता है कि दोबारा वे कुछ न कहें। लेकिन मेरी मां मुझे हमेशा यही सिखाती रहीं कि तुम्हें पलटकर जवाब नहीं देना है।''

कोलकाता की 28 वर्षीया श्रावणी ने हमें बताया कि किस तरह से उसके अपने परिवार में दूर के संबंधियों द्वारा जेंडर आधारित भेदभाव के रोजमर्रा के शुरूआती अनुभवों ने उस पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। उसने खासतौर से एक दुखदायी याद दोहराते हुए बताया कि जब वह किशोर उम्र की थी तो एक बार एक पारिवारिक पूजा के मौके पर वह अपने पैतृक गांव गई थी। उसने हमें बताया कि पूजा के लिए इकट्ठा लगभग 3000-4000 लोगों के बीच, उसकी दादी और कुछ अन्य बुजुर्ग महिलाओं ने इस बात को एक मुद्दा बना दिया कि श्रावणी के माता–पिता के कोई पुत्र न होने की वजह से परिवार की वंशबेल बढ़ाने वाला कोई नहीं है।'

''मेरी एक दादी ने बेहिचक टिप्पणी की कि हमारे घर पर पहले से किसी अभिशाप का साया है क्योंकि मेरे पिता की पीढ़ी की शुरूआत भी एक बेटी से ही हुई थी, और मैं वह अभिशप्त लड़की हूं जिसने पूरी पीढ़ी को अभिशापित कर दिया है....वह पूरे परिवार के लोगों के सामने यह कहती रहीं और जरा सोचिए कि उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें मैं जानती तक नहीं थी, ...अब भी याद करते ही वे दृश्य मेरी आंखों के आगे साकार होने लगते हैं, यह घटना इतनी तीखी याद बनकर मेरे दिलोदिमाग में नश्तर की तरह चुभ गई है कि मैं न तो रो सकी, न ही मैं किसी से कुछ कह सकी, वहां हर कोई था, लेकिन किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा....किसी ने उनको टोका नहीं, अगर परिवार में एक बेटी है तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, ...अगर आपके कोई बेटा न हो तो कौन सा गज़ब हो गया,.....आप यकीन नहीं करेंगे,....यह पूजा काफी महँगी होती हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग भोजन करते हैं, और बड़ा प्रोग्राम होता है, जिसमें काफी धूमधाम रहती है.....लेकिन वे यह पूजा केवल इसलिए करते रहे थे ताकि परिवार को एक पुत्र रत्न हासिल हो सके।''

उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से ऐसी मानसिकता वाली महिलाएं भी अपने परिवारों में लड़कों को इस तरह से पालती हैं जिससे पुरूष प्रधान तौर–तरीके अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाते हैं।

''.....ये वही महिलाएं हैं जो परिवार में पुरूष सदस्यों का पालन–पोषण भी इसी प्रकार करती हैं कि वे इसी विचारधारा के साथ बड़े होते हैं। इससे ज्यादा और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो, जब तक ऐसा होता रहेगा, तब तक महिलाएं परिवार में कोई आवाज़ नहीं उठा सकेंगी, पुरूष भी केवल बाइस्टैण्डर ही बने रहेंगे, और हो सकता है कि वे अनिच्छुक न हों लेकिन वे एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। मुझे पता नहीं कि वे अनिच्छुक थे या जो भी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यही हुआ। तो, जब पुरूषों को भी उनके बचपन से ही उनके दिलोदिमाग में यही विचारधारा ठूंसते हुए बड़ा किया जाएगा, जो उनके स्वभाव में, उनके आचरण में ढल जाएगी, तो भी अपनी अगली पीढ़ियों को यही शिक्षा सौंपेंगे,....पुरूष भी ऐसा ही सोचते हैं, हे भगवान! मेरे कोई बेटा नहीं है। तो मेरा नाम कौन आगे बढ़ाएगा, मेरे बाद यह सब कौन संभालेगा, कौन सारी देखभाल करेगा? तो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह सब मेरे परिवार का मामला था!''

उन्होंने अपने पिता के इस विरोधाभासी व्यवहार का भी जिक्र किया, जो उनसे कोई भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन जब परिवार की बुजुर्ग महिलाएं ऐसी टीका–टिप्पणियां कर रही थीं तो वे एक शब्द भी नहीं कह सके।'' उन्होंने हमेशा मेरे साथ वही व्यवहार किया जो वे अपने बेटे के साथ करते, उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, मुझे मेरा सर्वश्रेष्ठ

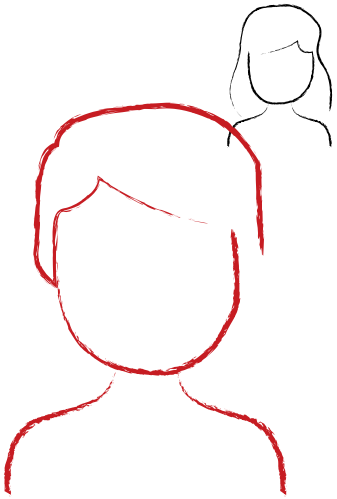

प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया, और वह अब भी ऐसा ही करते हैं, इसलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वह एक बहुत ही साइलेंट बाइस्टैण्डर भी हैं?

पुरूष वंशज की आकांक्षा, सभी समुदायों में पाई जाती है और इस तथ्य की वजह से यह मासूम लड़कियों के लिए अत्यधिक मानसिक तनाव की वजह बनती है, कि उनकी चाहत या कामना नहीं की गई थी। डॉ. ज़ैनब ने बताया कि,

> *''मैं चार साल की थी जब मेरी मां अक्सर यह कहा करती थीं ''काश, अगली बार मुझे लड़का ही हो जाए, तुम लड़की बनकर क्यों आईं, काश, तुम एक लड़का होतीं, मैं अगली बार लड़का ही चाहती हूं, तुम भी ऊपरवाले से यही दुआ मांगो कि ऐसा ही हो!' और वह ज़ानमाज पर सज़दे में बैठकर दुआ मांगने लगती थीं, कि काश मुझे एक छोटा भाई मिल जाए, ...और उसके बाद फिर से एक लड़की का जन्म हुआ। मैं बहुत चंचल थी, क्योंकि मेरी मां यही कहा करती थीं, काश तुम एक लड़का होतीं'' उन्होंने मेरे बाल भी बड़े नहीं होने दिए, ताकि बड़ी होती हुई मैं एक लड़के की तरह दिखती। [यह बताते हुए उनकी आवाज भर्रा गई] ''मुझे लगता था कि मैं एक लड़का हूं। मेरे मां–बाप को खुश रखने के लिए मुझे लड़का होना चाहिए।'' लेकिन मुझे एक लड़के के तौर पर कबूल नहीं किया गया, क्योंकि सेक्सुअली [यह मेरा जेंडर है] मैं एक लड़की हूं। लड़की होने की वजह से उदास होने की यह मेरी सबसे पुरानी याद है, और यह एहसास, कि लड़के कहीं न कहीं लड़कियों से श्रेष्ठ और बेहतर होते हैं। मुझे याद है कि जब मेरी बहन का जन्म हुआ था तो मेरी मां जोर–जोर रो रही थीं, इसके बाद मैं अपने जीवन में लगभग 10 साल तक अपनी ही बहन से नफरत करती रही। मैं उससे नफरत करती थी क्योंकि वह एक लड़की थी, और फिर जब मैं 11 साल की थी, तब मेरी सबसे छोटी बहन का जन्म हुआ, मेरी मां उस समय तो गर्भपात ही करा देना चाहती थीं, क्योंकि वह एक लड़की थी! [भयभीत लहजे में] मुझे याद है कि वे रो रही थीं और मैं उनको सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, मुझे ठीक से पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंनें कुछ कागज़ों पर साइन किए और फिर वे गर्भपात कराने के लिए गईं लेकिन आखिरी लम्हे में वे बाहर आ गईं, और प्रसव के बाद वे गहरे अवसाद में चली गईं। यह समझने में मुछे लगभग एक साल लग गया कि वे अवसाद में चली गई थीं, और मेरी सबसे छोटी बहन की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करती थीं, और फिर मुझे मेरी सबसे छोटी बहन की एक माता की तरह देखभाल करनी पड़ी।''*

उन्होंने 'पाप' के विचार के बारे में भी गहराई से बात की, जो बचपन से ही उनके मन में बैठा दिया गया था–कि उनको अपने शरीर के बारे में किस तरह सजग रहना सिखाया गया, और किस तरह से वे इस अनुकूलन का बोझ अब तक ढो रही हैं।

> *'' .... मेरे वालिद या मेरी अम्मी का चेहरा ऐसा हो जाता था, कि मैं क्या बताऊं, वे शारीरिक हावभाव, मैं समझती थी, कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया था, हम किस तरह बैठते हैं, इस पर भी नज़र रखी जाती थी, हम अपनी टांगें फैलाकर नहीं बैठ सकते थे। बचपन में भी एक बार मैंने जब फ्रॉक पहनी थी तो मेरी अम्मी ने मुझे घूरा था और टोका था कि इसमें तुम्हारी जांघें दिखाई देती हैं, तो मुझे मेरी टांगें सटाकर बैठना चाहिए। बचपन में एक बार मैं अपने चचेरे भाई के साथ खेल रही थी, हम 'मैसेज मैसेज' का खेल खेल रहे थे, जिसमें आपको एक–दूसरे का हाथ पकड़ना होता है और मैसेज देना होता है। उस वक्त मैं 8 साल की थी और वह 10 साल का था, और हम मेरी बहन और एक अन्य कज़न के साथ खेल रहे थे, तभी मेरी मां ने देख लिया और उन्होंने मुझे डांटा, ''रंडी कहीं की?'' और यह केवल इसलिए क्योंकि मैंने खेलते समय अपने कज़न का हाथ पकड़ लिया था। उसका हाथ पकड़ने में तुम्हें बड़ा मज़ा आता है?'' और मैं तब केवल आठ साल की बच्ची थी। मुझे यह भी पता नहीं था कि रंडी क्या होता है! और वह मुझे हिंदी में बोल रही थीं, ''तू रंडी है क्या?'' और पूरी रात यह बात मेरे कानों से टकराती रही। ''तू रंडी है! तू लड़कों का हाथ पकड़ने में मज़ा लेती है। तेरी मजाल कैसे हुई?'' बच्चों का एक खेल खेलने की वजह से वह इतना आपे से बाहर हो गई थीं, अगर मुझे पता होता कि मेरी मां इतना परेशान हो जाएंगी तो शायद मैंने कभी उसका हाथ न थामा होता। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी! मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि मैं एक खेल खेल रही थी, और मैं नहीं समझ पाई कि इसमें मैंने कौन सा गुनाह कर दिया था!''*

जेंडर के सांचे में ढालने के शुरूआती वर्ष, इन लड़कियों के बढ़ते व्यक्तित्व में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सकारात्मक पैरेंटिंग (लालन–पालन) और परिवार का प्रोत्साहन देने वाला स्पेस, महिलाओं में भरपूर आत्मविश्वास विकसित करने के मामले में महत्त्वपूर्ण होता है।

हैदराबाद की 62 वर्षीया अनुश्री ने इस बारे में बात की, कि किस तरह से उनके पिता का उन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा, और उनके भरपूर सपोर्ट और प्रोत्साहन से उनको काफी अधिक शक्ति मिली।

> *''मैं एक गुजराती परिवार में जन्मी और भरपूर लाड़प्यार में पली। क्योंकि हम केवल दो बहनें थीं, इसलिए मेरे पिता ने हमेशा मुझे एक भाई की तरह ट्रेनिंग दी.....मैं लड़की जैसी बनना चाहती थी, और मेरे पिता मुझसे वो सब कराना चाहते थे, जो लड़के करते हैं। उन दिनों, जब मैं 9वीं कक्षा में थी, तब मैंने ड्राइविंग सीखनी शुरू कर दी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद नौकरी शुरू कर दी। उनके आगे मेरा कोई बहाना नहीं चलता था। वे हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते थे, कि तुम यह कर लोगी। वे हर बार पहल करते और मैं हमेशा हिचकिचाती, मैं अपनी अन्य सहेलियों जैसी बनना चाहती थी, जो हमेशा खेलती थीं, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि उन्होंने जो किया, वह कितना महत्त्वपूर्ण था। उन्होंने मुझे सोचने की आज़ादी दी।''*

इसी प्रकार से, अनिंदिता ने भी हमें अपने प्रेरक परिवार, विशेषकर अपने पिता के बारे में बताया, जिनका प्रोत्साहन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समस्या से निबटने में उनके लिए काफी महत्त्वपूर्ण साबित हुआ।

> *''एक बात मैं यहां कहना चाहूंगी कि मैंने अपने डैड को जितना समझा उससे जाना कि जब भी किसी लड़की पर कोई मुसीबत आती तो ऐसी परिस्थितियों में वे सदैव उठ खड़े होते, और मामला ठीक करने की कोशिश करते। उन्होंने हमेशा ही गलत बातों का विरोध किया और यहां तक कि लड़ाई–झगड़े से भी कभी डरे नहीं। और मैंने उन्हें उन महिलाओं के लिए लड़ते देखा जिन्हें हम जानते नहीं थे, जैसे कि किसी मेले में, या कहीं और, जिन महिलाओं को वे जानते तक नहीं थे। और मैं बहुत छोटी थी और इसलिए किसी महिला पर हमला होते देखकर या उसे परेशान होते देखकर वे उस महिला के पक्ष में उठ खड़े होते थे।''*

ये वर्णन हमें बताते हैं कि बेहतर पालन–पोषण और परिवार के सपोर्ट का लड़कियों पर कितना शक्तिशाली सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालाँकि यहां यह उल्लेख करना दिलचस्प है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम के लिए अनिंदिता के पिता के सक्रिय हस्तक्षेपों के बावजूद, जब उनकी अपनी बहन घरेलू हिंसा के एक मामले की निरंतर सर्वाइवर बन गई, तो वे उस मामले में कुछ नहीं कर पाए या नहीं कर सके। यह इस तथ्य का ज्वलंत उदाहरण है कि जो लोग प्रायः अपने घरों से बाहर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विरोध में आवाज़ उठाने के मामले में प्रायः मुखर होते हैं, वही लोग उनके अपने परिवार के स्पेसों में इसे चुनौती देने का साहस नहीं जुटा पाते।

> *''वे किसी पड़ोसी के जैसे थे, और जब भी ऐसा होता, तो मेरी मामी हमारे घर आ जातीं और हमारे साथ रहतीं। उन्होंने इसे रोकने की काफी कोशिश की लेकिन कुछ लोग बहुत आक्रामक स्वभाव के होते हैं, और अपनी बात मनवाने का या किसी को सबक सिखाने का बस एक ही तरीका उनको आता है। बंगाली में एक शब्द है, मरकुट्टे, तो, ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही झगड़ालू स्वभाव के होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चीज़ें ठीक करने का केवल यही एक तरीका है। तो, मेरे मामा भी ऐसे ही स्वभाव के थे। अन्य सभी मामलों में वे ठीक थे, लेकिन उनका यह अवगुण सचमुच बहुत ही घृणित और निंदनीय था। वे खुद पर काबू नहीं रख पाते थे, और मेरी मामी भी कुछ ऐसा कर बैठती थीं जिससे उनको गुस्सा आ जाता था, हालांकि मामी की गलती उतनी ज्यादा नहीं होती थी। वह कुछ अजीब बातें करती थीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हो सकता था कि कोई उनसे इस प्रकार मार–कुटाई करते हुए दुर्व्यवहार करे, जैसे कि उनके अस्तित्व का कोई मूल्य ही न हो। इसमें मेरी मां, मेरे पिताजी, हर किसी ने हस्तक्षेप किया लेकिन आपको पता ही है कि परिवार के मामलों में लोग सचमुच पूर्वाग्रह पाल लेते हैं। तो यह एक समस्या है।''*

3.8 घरेलू हिंसा

जहां पिछले अनुभाग में इसकी पड़ताल की गई कि महिलाओं से निर्दिष्ट प्रकार का, मानकों के अनुरूप व्यवहार कराने के लिए उनका समाजीकरण करने के लिए परिवार में जेंडरिंग को कितनी सावधानी से अपनाया जाता है, वहीं इस अनुभाग में इस पर बात की गई है कि महिलाओं को विवाह के अंदर किस तरह से व्यवस्थित रूप से हिंसा का शिकार होना पड़ता है—जिसे अन्य रिश्तेदार सदस्यों, और प्रतिष्ठित माने जाने वाले वैवाहिक संबंधों और घरेलू कर्तव्यों का व्यापक समर्थन प्राप्त होता है। बड़ी संख्या में हमारे प्रतिभागियों ने घरेलू हिंसा का वर्णन करते हुए अपनी हस्तक्षेप की कहानियों का, या ऐसे घरों में खुद के बड़े होने का वर्णन किया जहां घरेलू हिंसा नियमित रूप से होती थी। ये सभी सामाजिक समूहों में पाई जाती है- ग्रामीण.शहरी विभाजन, वर्ग आदि सभी जगह, जो भारतीय समाजों में घरेलू हिंसा की व्यापकता और सामान्य प्रचलन साबित करता है। 2015-16 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (NFHS) सर्वेक्षण में 15-49 वर्ष आयु समूह की 33% विवाहित महिलाओं ने बताया कि उन्होंने अपने पति की ओर से शारीरिक, यौन, या भावनात्मक हिंसा का अनुभव किया था। इन महिलाओं में से केवल 14% ने मदद मांगने की कोशिश की और और 77% ने कभी इसके बारे में बात तक नहीं की। मदद मांगने वालों में से 65% ने अपने मायके के परिवार को सूचित किया और केवल 3% ने पुलिस को सूचित किया।[11]

हजारीबाग के निर्मल ने अपने अवलोकन में इसका संक्षेप में वर्णन करते हुए बताया कि,

> *''यह ग्राम स्तर पर होता है, और घरेलू हिंसा ज्यादातर इसीलिए होती है क्योंकि या तो महिलाओं को कानून के बारे में पता नहीं होता या फिर वे आगे नहीं आना चाहतीं.....इसलिए कि अगर उन्होंने विरोध किया तो परिवार की बात सड़क पर आ जाएगी जिससे उनके ही परिवार की बदनामी होगी। ऐसी स्थिति में उनको उनके क्षेत्रीय अधिकारी के पास जाना चाहिए और न्याय की मांग करनी चाहिए....'*

हमारे अध्ययन के प्रयोजन से, और स्पष्टता के लिए, हमने ऐसे वर्णन चुने जो हमारे विचार में घरेलू हिंसा के उन विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं, जिनको हमने हमारे डाटा में देखा। घरेलू हिंसा के हमारे सभी वर्णनों से पांच प्रमुख तत्व निकलकर सामने आते हैं—इसे सामान्य माना जाता है और इसलिए नियमित रूप से चुपचाप इसको अनदेखा कर दिया जाता हैय इसके उल्लेखनीय प्रचलन के बावजूद, विभिन्न वजहों से अधिकांश महिलाएं मदद लेने से कतराती हैंय यह हिंसा का सबसे सामान्य प्रकार है जिसमें शोषणकर्ता और कभी—कभी तो सर्वाइवर भी किसी तरह का हस्तक्षेप रोकने या हतोत्साहित करने के लिए इसे ''हमारा निजी मामला'' बता देते हैय घरेलू हिंसा के सर्वाइवर्स की मदद के लिए स्थापित सिस्टेमैटिक व्यवस्थाएं प्रायः इस कारण से भी विफल हो जाती हैं क्योंकि सिस्टम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बनी वे व्यवस्थाएं भी उसी समाज का उत्पाद होती हैं और इसलिए वे प्रचलित सामाजिक पक्षपातों में विश्वास करने लगती हैं, और अंतिम परिणामी तथ्य जिसके बारे में अभी व्यापक अध्ययन नहीं किया गया, वह यह है कि घरेलू हिंसा वाले घरों में बड़े होने वाले बच्चों के वयस्क जीवन पर आगे चलकर किस तरह गंभीर मानसिक ट्रॉमा का प्रभाव पड़ता है।

कॉलेज जाने वाली 20 वर्षीया छात्रा, कोलकाता की अनिता ने एक जोड़े के बीच घरेलू हिंसा होते देखने का अपना अनुभव हमें बताया। इस घटना में तत्काल ध्यान खींचने वाली बात वह स्थान था, जहां यह घटना हुई थी, पुलिस स्टेशन के सामने। अनिता और उनकी कुछ सहेलियां, उत्पीड़न के एक मामले की रिपोर्ट करने के लिए गई थीं, जो उनके कॉलेज में हुआ था, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि 3 वर्षीया एक बच्ची के साथ एक युवा महिला, स्टेशन के पास भीड़ भरे चौराहे पर खड़ी थी और एक आटो रोकने का प्रयास कर रही थी। वह वहां लगभग 15 मिनट से खड़ी थी, जब एक आदमी उसके पास आया और उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। मामला तुरंत ही चीख—चिल्लाहट और फिर शारीरिक हाथापाई में बदल गया, हालाँकि एक पुलिसवाला पास ही मौजूद था और वहां से गुजर रहे अनेक लोगों ने इस पूरी घटना को एकदम अनदेखा कर दिया।

[11] https://www.oxfamindia.org/blog/locked-down-domestic-violence-reporting-india-during-covid-19

''सबसे खास और अजीब बात यह थी कि यह सब कुछ पुलिस स्टेशन के ठीक सामने हो रहा था, और वहां एक पुलिस वाला, कांस्टेबल या और कोई भी था, जो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। वह देख सकता था कि यह उसकी आंखों के सामने हो रहा था। हम लगातार कहते रहे कि आप पुलिस बुला सकती हैं, अगर आप चाहें तो, ...और कुछ देर बाद ही, उस आदमी ने, हमारे सामने ही उस औरत को तमाचा मार दिया.....और मुझे याद है कि वहां हमारे अलावा बहुत सारे लोग थे और पुलिस कांस्टेबल भी खड़ा था, सबके सामने, बीच सड़क पर, बीच चौराहे पर, उस आदमी ने उस औरत को तमाचा मारा था। लोगों की आवाजाही बनी हुई थी, रात का 9.45-40 का वक्त था और आसपास बहुत सारे लोग थे। ऐसा नहीं था कि कोई देख न रहा हो। लेकिन किसी ने भी झंझट मोल लेने की कोशिश नहीं की?

यह घटना साबित करती है कि अधिकांश लोग, जिनमें कानून लागू करने वाले ज़िम्मेदार लोग भी शामिल हैं, घरेलू हिंसा के मामलों पर किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। हैदराबाद में जन्मी और पली बढ़ी 25-वर्षीया भामा द्वारा हमें बताए गए उदाहरणों से भी इसी विचार को बल मिलता है। लंबे समय तक घरेलू हिंसा से नियमित रूप से ग्रस्त रहे घर में बड़े होने के दौरान उनके वर्णन, इस अनुभाग की कुछ बुनियादी थीम प्रस्तुत करते हैं। समाधान के लिए स्थापित व्यवस्थाओं से सहायता लेने में विश्वास न करने की अपनी वजहों के बारे में बात करते हुए उन्होंने अपने फैसले को प्रभावित करने वाले स्थानीय मुद्दे उजागर किए कि किस तरह से कानून के ज्यादातर रक्षक लोग, ऐसे मामलों को ''आंतरिक रूप से '' सुलझाने के पक्ष में रहते हैं और इसमें सिस्टम का दखल नहीं चाहते।

''....घरेलू हिंसा के मामले हल करने में पुलिस सबसे ज्यादा 'असमर्थ' है .... मेरे ख्याल से यही शब्द उनके लिए ठीक है, उन्होंने बस अपनी जेब गर्म की और चले गए, उन्होंने हम दोनों को ही समझाने की कोशिश की, और दूसरी बार, एक लेडी पुलिस आई और वह मुझे वही बातें बताने लगी जैसी मेरी मां कहा करती थी कि ....लोग तो ऐसे होते ही हैं, ...और पति तो ऐसे ही होते हैं, और उसने मेरी मां को ऐसे कुछ विकल्प बताए.... जैसे कि मैं आदमी को उग्र करने के लिए अपनी ओर से कुछ न करूं, ...और इस बात का बतंगड़ बनाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग पुलिस बुलाओगे तो यह बात और बढ़ती ही जाएगी। जब भी मैंने पुलिस को कॉल की तो ऐसा ही हुआ, ...यह मुझे सबसे बड़ी चुनौती की तरह लगने लगा और मुझे लगता है कि घरेलू हिंसा के हर शिकार को ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ता होगा..... मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए (धीमी आवाज में)...मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई सिस्टम बना हुआ है, या फिर यह दिखाई नहीं देता या फिर यह सुलभ नहीं है.... इसमें जाने कितने लोग ऐसे हैं, ज्यादातर को मैं नहीं जानती कि ..... उनकी सोच कैसी है..... जिस महिला पुलिस ने हमारा मार्गदर्शन किया था..... और 'महिलाओं की टीम' ने हमें जो बताया, वे सारी बातें एक जैसी ही थीं, 'निजी तौर पर, अगर मुझे सपाट तौर पर कहने का मौका मिले तो मैं कहना चाहूंगा कि वह सब भद्दा था, या अगर आप लड़ने को तैयार हैं तो आर–पार की लड़ाई के लिए आपको खुद को ही अपने–आप को तैयार करना होगा, इसमें आपको कहीं से कोई आसानी नहीं मिलने वाली।''

हालाँकि सिस्टम की बेरूखी और अकुशलता, अनिवार्य रूप से हर जगह नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए, मुम्बई के 30 वर्षीय आर्किटेक्ट प्रसाद ने हस्तक्षेप की अपनी कहानी में बताया कि उन्होंने एक युवा जोड़े (संभवतः ब्वायफ्रेंड और गर्लफ्रेंड) के बीच घरेलू हिंसा के एक मामले में दखल दिया था जो एक सड़क पर चलती (बम्बई की प्रसिद्ध) काली पीली टैक्सी में पिछली सीट पर झगड़ रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक ट्रैफिक सिग्नल पर उन्होंने इस परिस्थिति में पुलिस की मदद मांगी और किस तरह से पुलिस ने गंभीरतापूर्वक सहायता की। यह देखना भी रोचक है कि दो महिला पुलिसकर्मी मौजूद थीं, जिनमें से एक ने सर्वाइवर से बार–बार यह कहा कि वह मामले में कानून की मदद ले और केस रजिस्टर कराए। प्रसाद के वर्णन ने कोई बाहरी मदद लेने के बारे में सर्वाइवर की अपनी अनिच्छा को उजागर किया और यह भी, कि वह किस तरह से खुद पर हुए हमले के लिए खुद को ही दोषी मान रही थी।

''चौराहे पर कम से कम तीन या चार पुलिस वाले थे, एक लेडी पुलिस भी थी। इसलिए हमने उसे रोका। हमने टैक्सी रोकी, और हमने उन्हें उतारा और फिर वह लड़की नीचे आ गई, और फिर वह लड़का इतना ज्यादा उग्र हो गया कि वह हमसे दुर्व्यवहार करने लगा, और वह पुलिस को भी अपने रौब में लेने की कोशिश करने

लगा। हमने देखा कि लड़की की आंख सूजी हुई थी.....उसके चेहरे पर मुक्का मारा गया था। साफ लग रहा था कि वह रो रही थी, लेकिन हमें यह देखकर ताज्जुब हुआ कि वह कोई अभियोग दर्ज नहीं कराना चाहती थी। वह यही कहती रही कि''नहीं, नहीं, यह उसकी गलती नहीं है, यह तो मेरी ही गलती थी, और मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ''

इसी तरह से, 25 वर्षीया नंदिता, जो मुम्बई में मछलियां बेचकर अपनी आजीविका चलाती हैं, के मामले में भी पुलिस मददगार रही। उनके पति और भाई की ओर से उनके साथ नियमित रूप से घरेलू हिंसा की जाती थी। उन्होंने कहा कि हालाँकि उन्होंने उनसे अपने संबंधों का ख्याल रखते हुए इसे कई बार बर्दाश्त किया, लेकिन जब बात काबू से बाहर हो गई तो उनको पुलिस के पास जाना पड़ा। ''*हेल्पलाइन को कॉल करने के बाद जो पुलिस वाले आए, उन्होंने सचमुच बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। उन्होंने मामले में कदम उठाया*।'' हालाँकि, इस मुद्दे पर भामा ने एक विशेष बात कही कि समस्या ठीक करने के लिए लंबे समय के समाधान के अभाव में, किसी महिला या लड़की से अंतरंग संबंध रखने वाले और उसे पीटने या उसके साथ दुव्यर्वहार करने वाले हिंसक आदमी को नियंत्रित करने का तात्कालिक मामला केवल वक्ती समाधान साबित होता है।

घरेलू हिंसा पर चर्चा करते समय बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने ''उनका निजी मामला'' कहते हुए हस्तक्षेप की निजी या सामाजिक अनिच्छा को एक वजह बताया। लोगों को पीछे हटाने के लिए ''हमारा निजी मामला'' का तर्क शोषणकर्ताओं द्वारा भी बड़ी सहूलियत के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यह घरेलू हिंसा के एक मामले में देखा जा सकता है जिसे हैदराबाद की 25 वर्षीया डॉक्टर ज़ैनब द्वारा बताया गया, कि जब उन्होंने एक पुरूष के दुर्व्यवहार का शिकार होती एक लड़की की, जिसका कि वह पुरूष जीवनसाथी प्रतीत होता था, मदद करने की कोशिश की थी। जब उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है और यह कि क्या वह कोई मदद कर सकती हैं, तो उस आदमी ने सीधे तौर पर उनसे कहा कि आप बीच में मत पड़िए।

''मैं वहां थी और वह आदमी हमारे पीछे था और कह रहा था, ''मिस, प्लीज, यह हमारा निजी मामला है, आपको इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। वह इसी के लायक है'' वह कहता रहा कि वह लड़की पागल है। आपको उसकी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह पागल है, और मैं उसकी बात कतई नहीं सुन रही थी, और इससे वह आदमी गुस्से में आ गया कि मैं उसकी बात क्यों नहीं सुन रही थी, और वह बोला ''मैं पुलिस बुलाऊंगा।'' मैंने कहा, ''तुम बुलाओगे!'' अगर लड़की को कोई समस्या नहीं है तो हमें क्यों होनी चाहिए? यह सार्वजनिक जगह है, मैं जहां चाहूं, बैठूं। मैंने कहा ''तुम बुलाओ, तुम पुलिस को बुलाओ, अगर तुम नहीं बुलाते, तो मैं बुलाऊंगी''

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, घरेलू हिंसा का प्रचलन सभी श्रेणियों के प्रतिभागियो में पाया गया है लेकिन हमने देखा कि स्वघोषित मध्यवर्गीय प्रतिभागियों में इस मुद्दे को लेकर बात करने, या बाहरी लोगों से, जिनमें परिवार के दूर के संबंधी भी शामिल हैं, को समस्या की भनक लगने देने को लेकर काफी अनिच्छा रहती है। जैसा कि भामा ने बताया कि ''इस बारे में बात करना, इसे वास्तविक बना देता है।'' उन्होंने यह भी इंगित किया कि घरेलू हिंसा के बारे में बात करने को लेकर अनिच्छा, किस तरह से एक खुश और सामान्य परिवार का आवरण चूर–चूर हो जाने के भय से उपजती है, जो कि उनकी तरह की पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए बहुत अधिक मायने रखता है। बाहरी हस्तक्षेप को परिवार, और इससे संबंधित लोगों (पड़ोसियों, विस्तृत परिवार, और दोस्तों) के बीच यह छवि नष्ट करने वाला माना जाता है।

उग्रता और हमले का भय बढ़ना भी एक जमीनी सच्चाई है। उदाहरण के लिए, जब एक खासतौर से भयानक बीती रात के बाद उसकी मां ने मदद के लिए अपने भाई को बुलाया, तो मामा को देखने के बाद पिता और भी अधिक गुस्से से पागल हो उठे और उन्होंने मां को इसके लिए फटकार लगाई कि उन्होंने 'बाहरी' लोगों को मदद के लिए क्यों बुलाया। यही झलक हैदराबाद की प्रतिभागी सौम्या के घरेलू हिंसा के अवलोकन में भी दिखाई देती है।

''हमारे मित्रों में, हालाँकि महिलाएं शिक्षित हैं और काम करती हैं, लेकिन हमारे बीच इन्हीं में वे महिलाएं भी हैं, जिनको उनके पति पीटते हैं, उनके रिश्तों में कड़वाहटें हैं, और उनमें से ज्यादातर यह नहीं चाहतीं कि कोई हस्तक्षेप करे....मुझे लगता है कि वे अपनी बात हमें बताकर अपना मन हल्का करना चाहती हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं हस्तक्षेप नहीं चाहतीं, क्योंकि जैसा कि उनका कहना है ''ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे मामला और भी गंभीर हो जाएगा ''....उदाहरण के लिए, मेरी एक सहेली का उसके रिश्ते में शोषण हो रहा था (संकोच) और दोनों पक्ष के अभिभावकों को यह मालूम तक नहीं था, तो अगर आप पूछें कि, ''आप अपनी मां या अपनी सास को यह सब क्यों नहीं बतातीं'' तो वे कहेंगी कि, ''नहीं। ऐसा करते ही वह (आदमी) और ज्यादा उग्र बन जाएगा।'' वह कहेगा, ''अब तुम पूरी दुनिया को बता दो, जाओ, पूरी दुनिया के सामने ढिंढोरा पीट दो, या ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं रह सकतीं तो जाओ, और अपनी ज़िंदगी जियो।'' वे रिश्ता खत्म नहीं करना चाहतीं, से बस इस बारे में इसलिए बात करती हैं ताकि उनका बोझ कुछ हल्का हो सके।''

घरेलू हिंसा को तर्कसंगत ठहराने से ही अधिकांश महिलाएं इसके साथ नियमित जीवन जीती रहती हैं। ज्यादातर के लिए, कभी–कभार और आकस्मिक मौकों पर घरेलू हिंसा के बारे में बात कर लेना, या पुरूषों द्वारा शराब पीना, नौकरी और आर्थिक तनाव आदि बाहरी वजहों को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा देना ही काफी होता है। ये वर्णन इस तरफ इशारा करते हैं कि किस तरह से नजर न आने वाली, जेंडर आधारित शक्तिशाली गतिशीलताएं जो विवाहित जीवन के अंदर महिलाओं के साथ ऐसी ज्यादातियों और क्रूरताओं को जायज ठहराती हैं या क्षम्य मानती हैं, वे कभी भी इसे मान्यता नहीं देतीं या इसके समाधान नहीं करतीं। ये समाज में मौजूद जेंडरिंग और स्त्री–द्वेष की व्यापक संरचनाओं के लक्षण हैं।

उदाहरण के लिए, हैदराबाद की 29 वर्षीया पायल ने घरेलू हिंसा को लेकर अपना अनुभव बताते हुए कहा कि इसके लिए उसके बचपन में उसके पिता, और अब बड़े होने पर भाई, ज़िम्मेदार हैं। शराब पीने को आकस्मिक घटनाओं का छिपा कारण माना गया और उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से वे और उनकी मां, दोनों ही काम करती हैं और आत्मनिर्भर महिलाएं हैं, जिन्होंने इस मुद्दे का समाधान करने की कोशिश की।

''मैं मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि से हूं और मेरा भाई.....शराब की लत का शिकार है, इसलिए वह घर में अक्सर लड़ाई–झगड़ा करता रहता था, ...घर में मैं भी थी, इसलिए मैं भी ...हिंसा का कभी–कभी शिकार हो जाती थी, और....हां, एक या दो बार ऐसा सार्वजनिक रूप से हुआ, जब मेरे कुछ पड़ोसियों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में उनमें से कोई भी इस मामले में कुछ नहीं कर सका.....''

इसी प्रकार, दिल्ली के अमृत ने भी घरेलू हिंसा के एक मामले को लेकर इस बारे में बात की, जिसमें आदमी अपनी पत्नी को रोजाना पीटता था, जब वह नशे में धुत हो जाता था।

''उनके 2 बच्चे थे, जो अलग कमरे में बैठे थे, वे इतना ज्यादा डरे हुए थे कि वे कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, और पास के कमरे में उनके माता–पिता आपस में लड़ रहे थे। जब मैंने उनसे कहा किए ''आप लोग इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो पत्नी ने कहा, ''वह इसी तरह व्यवहार करता है।'' पति पूरी तरह से शराब के नशे में चूर था, और कमरे में हर कहीं शराब की बोतलें थीं, पत्नी ने कहा कि ''वह पिए हुए था, और फिर वह आते ही झगड़ने लगा....अगले दिन जब पति मुझे मिला, तो वह अपने सेंस में था, और कहा किए ''मुझमें यह बुरी आदत है, अगर मैं पी लूं तो ही इतना बहक जाता हूं कि यह सब हो जाता है, वरना आप देख ही रहे हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं करता।'' मैंने कहा, ''तो आप पीते ही क्यों हैं? आज आप ऐसा करते हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, कल जब वे बडे होंगे, तो वे भी यही तो करेंगे।''

हजारीबाग के विजय और निर्मल ने भी घरेलू हिंसा के मामले बताए और कहा कि शराब सेवन, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं को प्रेरित करने वाली एक प्रमुख वजह बन जाती है। घरेलू हिंसा के मामलों को पुरूषों द्वारा शराब पीने से जोड़ना यह दर्शाता है कि पुरूष अपने भागीदारों पर शारीरिक रूप से तभी हमला करते हैं जब वे नशे में होते

हैं, वरना तो वे 'भले पुरूष' होते हैं। हालांकि पुरूषों ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया.....जबकि हमारे प्रतिभागियों में ग्रामीण और शहरी दोनों परिवेशों के लोग शामिल थे, महिलाओं ने भी ऐसा ही बताया। दोनों मामलों में, इसे एक तरह का 'चरित्र का प्रमाणपत्र' माना गया। पुरूष इसे खुद को उससे अलग करने की कोशिश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसे शायद वे अपना स्वीकार्य व्यवहार नहीं मानना चाहते। हालाँकिए हमारा कहना है कि महिलाओं द्वारा ऐसा कहे जाने पर, इसे प्रायः इसका स्पष्टीकरण माना जाना चाहिए कि वे क्यों, और प्रायः अक्सर–...दुर्व्यवहारपूर्ण रिश्ते को खत्म नहीं कर सकतीं। यह उनको ऐसे रिश्ते में बने रहने का एक औचित्य या आधार दे देता है, जिसमें दुर्व्यवहार एक अभिन्न अंग के तौर पर शामिल होता है। यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि देश के विभिन्न भागों में शराब पर प्रतिबंध, किस तरह से महिला आंदोलनों में एक अभिन्न माँग के तौर पर शामिल रही है। उदाहरण के लिए, ऐतिहासिक रूप से आंध्र प्रदेश, और आज जो तेलंगाना है, वहां और हाल ही में बिहार में शराब पर प्रतिबंध, बड़ी संख्या में महिलाओं की ओर से की जाने वाली प्रबल माँग रही है।

हमारे डाटा से उभरने वाला एक अन्य रूझान, नियमित घरेलू हिंसा वाले घरों में बड़े होने वाले बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले मानसिक ट्रॉमा से संबंधित है। बच्चों पर इसके मानसिक बोझ को भामा के वर्णन में ज्वलंत रूप से देखा जा सकता है,

> *''.... इसकी गंध ही मेरी बहुत बुरी यादें जगा देती है और मैं कुछ विचलित हो जाती हूं। मुझे पता है कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए, मैं पार्टियों आदि में, कहीं भी ड्रिंक नहीं करती, वास्तव में मैंने कभी भी ड्रिंक नहीं किया क्योंकि इसकी गंध मुझे खुशनुमा एहसास नहीं कराती। इसकी गंध मेरे लिए जागकर काटी रातों से जुड़ी है, जब मैं अपनी मां को लेकर आशंकित रहती थी, पुलिस, यह मुझे उस सबकी याद दिला देती है.....मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे लोग उस एहसास को एक दिन या एक घंटे, या एक साल या महीने भर भी झेल पाएंगे जो हमने सात या आठ साल तक बर्दाश्त किया है।''*

पायल को उनके बचपन के दौरान, उनके पिता द्वारा मां की पिटाई होते देखने के गंभीर असर याद हैं।

> *''जब मैं बच्ची थी, तो ऐसा होता था.....मेरे डैडी, मेरी मम्मी को बुरी तरह मारते थे....मैं तब शायद* 10 *साल की रही हूंगी .....मुझे दरअसल घटनाएं बहुत बारीकी से याद नहीं हैं, लेकिन मुझे यह खूब याद है कि उन घटनाओं के बाद मेरी मां कैसी दिखती थीं। वह सब बहुत हृदयविदारक था, लेकिन मुझे पता तक नहीं था, कि ऐसा क्यों होता रहता है.....तो, यह मेरा अनुभव था....जब मेरी मां की आंखें पूरी तरह से सूज गईं, और मेरे डैडी ने उनको पाइप या ऐसी ही किसी चीज़ से मारा था, ...वह बहुत ही हिला देने वाला अनुभव था मेरे लिए, अब जब मैं सोचती हूं तो लगता है कि यह कितना दर्दनाक, कितना स्तब्ध करने वाला होता था, लेकिन उस समय तो मुझे पता तक नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है।''*

3.8.1. वे फिर भी संबंध क्यों नहीं तोड़तीं?

दुर्व्यवहारपूर्ण रिश्तों के मानसिक ट्रॉमा के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसे रिश्तों से बाहर नहीं निकल पातीं। यह महत्त्वपूर्ण है कि यह इस बारे में हमें बेहतर समझ प्रदान करता है कि किस तरह से जेंडरिंग और अतिव्याप्त पुरूष प्रधानता, महिलाओं के लिए ये बेड़ियां तोड़ना लगभग असंभव बना देते हैं। जैसा कि जेंडर कार्यकर्ता, नारीवादी या अवलोकनकर्ता एक सबसे बड़ी 'गलती' ये करते हैं कि घरेलू हिंसा/निजी भागीदार द्वारा हिंसा में हस्तक्षेप के बारे में बात करते समय लोग यह भूल जाते हैं कि ससुराल वाले घर में महिलाओं के पास 'बातचीत करने' के लिए वित्तीय शक्ति नहीं होती, भारत में परिवार को आर्थिक उत्पादन और उपभोग की इकाई और संकलित आर्थिक संसाधनों का स्थान माना जाता है, जहां महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। इसलिए उनके आर्थिक हित उसी में जुड़े रहते हैं और वास्तविक स्थितियां मायने रखती हैं।

भारतीय महिला अधिकारों की वकील फ्लेविया एग्नेस, वैवाहिक संबंधों में आर्थिक संस्थाओं के किसी व्यवस्थित कानूनी ढांचे के न होने को एक बड़ी कमी मानती हैं।'' हमने भारतीय वैवाहिक ढांचों में यह एक बड़ी निराशाजनक कमी देखी, जहां तलाक के बाद संपत्ति के विभाजन का प्रावधान नहीं है। अतः निर्धनता, असहायता, या आर्थिक दर्जे में गिरावट के भय महिलाओं को तलाक की दिशा में कदम उठाने से रोक देते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, जेंडर संबंधी प्रभुत्व वाली विचारधाराएं ही यह तय करती हैं कि इन कार्यवाहियों में महिलाओं को किस सीमा तक दंडित किया जाएगा या पुरस्कृत किया जाएगा।''[12]

अमर के अवलोकन में इसका उदाहरण स्पष्ट देखा जा सकता है:

> *''कारण ..... उदाहरण के लिए स्थानीय महिलाएं सोचती हैं कि अगर हमने अपने पति को छोड़ दिया .....तो हम कहां जाएंगे? घर की स्थिति.....बच्चों की स्थिति देखने के बाद .....कल्पना करें कि अगर बच्चे हों.....और एक बार उनके मन में यह ख्याल आता है कि अब वे अपने पति के खिलाफ मुकदमा कर देंगी, लेकिन फिर वे अपने बच्चों का मुँह देखती हैं और तभी उनका ख्याल बदल जाता है ..... । ऐसी एक घटना है.....एक महिला थी .....वह 18 साल की लड़की थी.....शायद..... घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था.....पति शराब पीकर घर आता था और उसे पीटता था .....तो हमें किसी से पता चला कि यह सब हो रहा है, फिर हमने उससे बात की.....पहली बार जब हमने बात की तो उसने कहा ''अरे नहीं .....कोई खास बात नहीं है .....यह तो मेरे साथ होता ही रहता है .....'' हमने उससे कहा कि अगर अगली बार ऐसा हो तो कृपया हमें बताएं.....यह एक बड़ा मामला बन गया .....पास की महिलाओं ने हमें कॉल किया और हम वहां गए.....उसे समझाने के बाद, हमने पुलिस को कॉल की .....उन्होंने रिकार्ड किया .....सब कुछ लिखा गया .....तो उस बार उसने कहा कि ''हाँ, मैं अपने पति से अलग होना चाहती हूं, ...उस पर केस करूंगी .....'' लेकिन जब वे दोनों वकील के सामने पहुंचे तो .....महिला ने खुद ही कहा .....कि ''मैं चाहती हूं कि हम दोनों में राजीनामा हो जाए'' तो हमने पूछा कि अब तक तो आप कुछ और कह रही थीं, और अब आप राजीनामा क्यों करना चाहती हैं? तो उसने कहा कि ''मेरी एक बेटी है .....अगर मैं अपने पति से अलग हो गई.....तो समाज हमें क्या कहेगा.....हमारा परिवार क्या कहेगा?'' यह मामला था जो मेरे सामने हुआ।''*

हजारीबाग के निर्मल ने भी ऐसा ही एक उदाहरण बताया

> *''दो–तिहाई लोग ऐसे थे जिनसे जब हमने कहा कि आप कोर्ट की मदद ले सकती हैं, पति को सबक सिखा सकती हैं.....तो उन्होंने यही जवाब दिया कि ''नहीं, परिवार कैसे चलेगा, ...कैसे रहेगा''.....हमने कहा कि ''आप ऐसा नहीं चाहतीं.....'' उनका कहना था कि उनके साथ समस्याएं हैं, उनको मार खानी पड़ती है, उनके साथ दुव्यर्वहार होता है .....लेकिन वे किसी को सबक सिखाने के लिए कोई कदम उठाना नहीं चाहतीं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर आप कदम बढ़ाने की कोशिश करें, तो आगे का रास्ता भी आपको दिखाई देगा।''*

इसके अलावा, इज्ज़त और पवित्रता की धारणाएं, जिसका बोझ महिलाओं के कंधों पर ही होता है, वह महिलाओं के लिए सामाजिक या आर्थिक स्वतंत्रता के रास्तों को और जटिल बना देती हैं। बदनाम होने के बाद किसी महिला के लिए उन नेटवर्कों तक पहुंच आसान नहीं रह जाती, जिनके सहारे वह अन्यथा अपनी आर्थिक स्वतंत्रता स्थापित कर सकती थी। कभी–कभी, हिंसा का चक्र इसलिए भी चलता रहता है क्योंकि महिलाओं का विनम्र लगाव बना रहता है और वे यह सोचती रहती हैं कि आदमी का स्वभाव बदला जा सकता है। हैदराबाद की 41 वर्षीया रेणुका ने बताया कि अपने 20 के दशक में उनको दुर्व्यवहारपूर्ण रिश्ते को ढोना पड़ा था। उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताया कि रिश्ते से बाहर हो जाना उनके लिए क्यों कठिन था–इसमें बरसों की ज़िंदगी, उनकी युवावस्था, और उस जीवन व भविष्य को बचाए रखने का हरसंभव प्रयास जुड़ा हुआ था, जिसका सपना कभी उन्होंने और उनके भागीदार ने मिलकर देखा था।

[12] Ray, R. (2012). Handbook of Gender (ed.), p. 52. Oxford University Press. ISBN: 9780198071471

''मेरा रिश्ता बहुत ही दुर्व्यवहारपूर्ण हो गया था, और तब मेरी उम्र 20 के आसपास थी। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी शादी उसी व्यक्ति के साथ हो जाएगी। हम विभिन्न मौकों पर एक–दूसरे के घर जाते थे और मेल–मुलाकातें करते रहते थे। जब आप किसी को गहराई से प्यार करते हों और वह व्यक्ति बदल जाए, तो पहली बार तो आप उस व्यक्ति को माफ कर देंगे, कोई पीड़ित इससे ज्यादा और क्या समझौता कर सकता है। पहली बार ऐसा हुआ, तो मैंने उस बात को भुला देने की कोशिश की। दूसरी बार ऐसा हुआ और फिर तीसरी बार भी यही हुआ, और फिर चौथी बार भी यह हुआ और फिर यह एक कड़वी सच्चाई बन गई, और फिर मैं सोचने लगी कि क्या कभी यह सब खत्म भी होगा? तो मैंने खुद से पूछा कि क्या यह इस रिश्ते के साथ ही खत्म होगा।''

राज के वर्णन से भी ऐसा ही कुछ पता चला, जिन्होंने इस बारे में बताया कि किस तरह से तब उनकी मां ने उनसे बोलना बंद कर दिया था जब वे अपने पिता के सामने इसलिए अड़ गए थे कि उन्होंने उनकी मां से दुर्व्यवहार किया था। उनको लगा था कि उनके पिता उनकी मां से जिस तरह का निंदनीय व्यवहार कर रहे थे, उसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता था। यह एक अंतरजातीय विवाह था, शायद इसलिए उनकी मां, अपने पति के सारे दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार के बावजूद उनका पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती थीं, क्योंकि उनको डर था कि यह शादी पहले से ही कमज़ोर धरातल पर टिकी हुई है।

''वह मेरी वजह से परेशान हो गईं ....मेरी मां को पता था कि मेरे पिता इसी तरह से व्यवहार करते हैं, हम इसे तब से देख रहे थे, जब से हम बच्चे थे, इसलिए वे इसकी आदी हो गई थीं। वह मेरे पिता के दुर्व्यवहारपूर्ण शब्दों की आदी हो गई थीं, वह परवाह नहीं करती थीं, लेकिन मैं परवाह करता था.....समाज में (बाहर के लोग) इस तरह की बातें कर सकते थे, मैं उनकी परवाह नहीं करता, लेकिन मेरे पिता भी वैसा ही व्यवहार करें, यह मुझे परेशान करता था। इसलिए मैंने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई।''

हमारे कुछ उत्तरदाताओं ने इस दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई की तरफ हमारा ध्यान दिलाया कि किस तरह से कोई 'अकेली' महिला, जो किसी पुरूष भागीदार के बिना–किसी पुरूष की अधीन बनकर न रहती हो, उसे 'उपलब्ध' माना जाता था और इसलिए वह लगातार एक असुरक्षित स्थिति में बनी रहती थी। सौम्या ने बताया कि,

''अंततः पूरा समाज यही निष्कर्ष निकालता किए ''उसके आदमी ने उसे छोड़ दिया है।'' मेरा मतलब यह है कि हर कोई इतना साहसी नहीं होता, कि वह यह कह सके, ''जो उस आदमी ने किया, वह गलत था, इसीलिए उस (महिला) ने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया।'' आदमी ने चाहे जो कुछ भी किया हो, जैसे ही किसी औरत पर से आदमी का साया हट जाता है, तो उसे उपलब्ध माना जाने लगता है? और अगर आप अच्छी तरह शिक्षित हैं, अच्छी नौकरी में हैं, और कोई आपको ऐसे दुर्व्यवहारपूर्ण रिश्ते में देखे और फिर सोचे कि आपके साथ क्या गलत है? आखिरकार वह दुर्व्यवहार झेलते रहने की आपकी क्या मज़बूरी है? तो मेरे ख्याल से वह उस शर्मिन्दगी का सामना नहीं करना चाहतीं। दूसरी बात यह कि रिश्ते के दुर्व्यवहारपूर्ण होने के बावजूद, मेरे ख्याल से उनको रिश्ता तोड़ देने के बजाय इसे किसी तरह बनाए रखने में ही सहूलियत महसूस होती है।''

3.9. बाल यौन शोषण

अनुसंधान के चरण 2 के अनेक प्रतिभागियों में से, कुल सात ने बचपन के दौरान यौन शोषण के बारे में बात की–जिसके लिए प्रायः परिवार के निकट के सदस्य या मित्र ज़िम्मेदार थे, जिन्होंने अपने बचपन पर इसके प्रभाव के बारे में बताया। मानसिक ट्रॉमा के अपने जो अनुभव उन्होंने बताए, वह इसकी झलक देते हैं कि किस तरह दुर्व्यवहार के इन निरंतर होने वाले अनुभवों ने उन पर स्थायी रूप से असर डाले, सड़कों पर अकेले चलने में भय महसूस होने से लेकर, भीड़ भरे स्थानों पर भयभीत होने तक, इस मानसिक ट्रॉमा के अनेक प्रभाव होते हैं। हमारे कुछ प्रतिभागियों ने यह भी बताया कि किस तरह से यह इंटरव्यू शायद पहला ऐसा मौका है, जब उन्होंने दुर्व्यवहार के अपने अनुभव के बारे में खुलकर

बात की है; हालाँकि कुछ लोगों ने अपने विगत अनुभवों को समझने और उनका सामना करने के लिए थेरेपी का सहारा लेने की कोशिश की थी। हमारी बातचीत के दौरान हम दृष्टांतों के प्रभाव को लेकर सजग हुए और दबे हुए मानसिक ट्रॉमा का सामना करने और उससे उबरने की प्रक्रिया को गहराई से महसूस किया।

हमारी एक प्रतिभागी, कोलकाता की 34 वर्षीया अनन्या ने हमें बताया कि किस तरह से जब एक व्यक्ति ने उनको अनुचित प्रकार से स्पर्श किया, तो वह किस तरह से 'जड़' हो गईं, और किसी तरह की प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो गईं:

> *''मैं मेट्रो में थी, और वहां काफी भीड़भाड़ थी। मुझे याद है, कि मैं दरवाजे के पास खड़ी थी, और एक आदमी था, उसने अचानक ही मेट्रो के अंदर मेरे निजी अंगों को छूना शुरू कर दिया। शुरूआत में तो मैं समझ ही नहीं सकी कि क्या हो रहा था। फिर मैंने उसका चेहरा देखा और जल्दी ही समझ गई कि क्या हो रहा है, और वास्तव में मैं हिल तक न सकी। उसके बाद मैंने भीड़भाड़ के समय मेट्रो का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, मैं दोबारा वैसा भयानक अनुभव नहीं चाहती थी। बाल यौन शोषण के अपने पूर्व अनुभव में, मैं मौके पर ही जड़वत रह गई थी, और मैं इस प्रतिक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकती थी.....तब से मुझे याद है कि मैं हमेशा ही भीड़भरी मेट्रो में सफ़र करने से बचती रही, हालाँकि यह आवागमन का ज्यादा तेज रफ्तार वाला साधन है, लेकिन मैं अधिक महंगे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करती हूं।''*

> *''थेरेपी की शुरूआत होने के बाद ही मैं सरल प्रतिक्रियाएं, जैसे कि बस में मेरे रास्ते में आने वाले किसी व्यक्ति को हटने के लिए कहना आदि कर सकती थी, और मैं ऐसी किसी ओछी हरकत के जवाब में इतनी जोर से बोलती थी कि अन्य लोग भी इसे सुन सकें। बीते वर्षों में, मैं बस यही प्रतिक्रिया करना सीख सकी हूं, बस किसी को स्पष्ट रूप से यह कह देना कि ''मुझे कम्फर्टेबल नहीं लग रहा है, इसलिए प्लीज हट जाओ।'' यह स्थिति थी एक साल पहले तक, पर यह बदला जब मैंने ऑफिस में यौन उत्पीड़न का सामना किया और मैं पूरी घटना की रिपोर्ट करने का साहस जुटा सकी थी। तब से, आवाज़ उठाने की क्षमता हासिल करने और अवांछित घटनाओं के प्रति अपना विरोध जताने की सामर्थ्य हासिल करने के लिए मैंने खुद से बड़ा संघर्ष किया है, और जेंडर आधारित किसी हिंसा को लेकर यह मेरी सामान्य समझ रही है, जहां मैं बहुत तीव्रता से प्रखर शारीरिक प्रतिक्रिया के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकती थी। मुझे उम्मीद है कि इस मामले में थेरेपी सचमुच कारगर साबित होगी।''*

हैदराबाद की 24 वर्षीया सुनीता ने बताया कि किस तरह से वयस्क होने पर अंतरंगता के एक मसले का सामना करने पर बचपन में झेले गए दुर्व्यवहार की उनकी छिपी और पुरानी स्मृतियां जाग उठीं:

> *''जब मैं बच्ची थी तो मेरा भाई मेरे साथ यौन दुर्व्यवहार करता था, इस तरह से यह सार्वजनिक परिवेश में नहीं होता था, लेकिन इससे मुझे गहरा मानसिक ट्रॉमा लगा, लंबे समय तक यह मेरी कड़वी याद बनी रही। और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता था, लेकिन हर बार जब मैं किसी आदमी के साथ शारीरिक तौर पर अंतरंग होती हूं, तो अपने शरीर को लेकर मैं बहुत सजग हो जाती हूं। मैं हमेशा लाइटें बंद कर देती हूं, और मुझे नहीं पता कि वह सारा एहसास कहां से उपजता है। लेकिन पिछले साल जब मैंने एक आर्ट थेरेपी या ऐसी ही किसी चीज़ का अनुभव लिया तो मेरी दबी यादें फिर से जाग उठीं और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाई वास्तव में मेरे साथ यौन दुर्व्यवहार करता था, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकी। यह*

हमारे कुछ प्रतिभागियों ने यह भी बताया कि किस तरह से यह इंटरव्यू शायद पहला ऐसा मौका है, जब उन्होंने दुर्व्यवहार के अपने अनुभव के बारे में खुलकर बात की हैय हालाँकि कुछ लोगों ने अपने विगत अनुभवों की कड़वी यादों से छुटकारा पाने के लिए थेरेपी का सहारा लेने की कोशिश की थी।

हर तरह से मेरे लिए दर्दनाक था। यह निजी अनुभव जो मैं अपने अंगों में, और हर कहीं, हर जगह महसूस करती थी, मैं उसे सहन नहीं कर पा रही थी, और मुझे लगता था कि यह मेरी गलती है। बचपन में यह जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, उससे मुझे यही महसूस होता रहा कि मैंने ही अपने साथ ऐसा होने दिया। मैं यह नहीं समझ सकी कि उस समय मैं एक छोटी बच्ची थी, कक्षा 6 में पढ़ती थी, और वह आदमी वयस्क था, और मैं इस तरह से खुद को दोषी ठहराती थी, कि खुद को दोषी ठहराने से ही मुझे संतुष्टि मिलने लगी, और जब मैंने थेरेपी का सहारा लिया तो मुझे कुछ बेहतर महसूस होना शुरू हुआ।''

यह पूछे जाने पर, कि क्या उन्होंने अपने इस अनुभव के बारे में किसी से बात की, उन्होंने बताया किए ''नहीं, मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती थी, जैसे कि मैंने कहा कि मैं खुद को ही दोषी ठहराती थी, और मुझे लगता था कि हर कोई भी सिर्फ मुझे ही दोषी ठहराएगा। मैं किसी से कुछ भी न कह सकी बल्कि बहुत सारी उथल–पुथल मैंने अपने मन में ही दबाए रखी। मैं अवसाद का शिकार रही हूं। चार साल पहले मैं अवसाद में थी। आत्महत्या करने के विचारों ने भी मुझे आंदोलित किया है, इसलिए पिछले साल जब मेरी दबी हुई कड़वी यादें मुझे फिर से परेशान करने लगीं तो मुझे लगा कि अब मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए, तब जाकर कहीं पहली बार मैंने सबसे पहले अपनी मां को यह सब बताया, उन्होंने सचमुच मुझे काफी सहारा दिया, और उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे थेरेपी लेनी चाहिए थी।''

हमारे कुछ प्रतिभागियों ने इस बारे में रोचक ढंग से बताया कि दुर्व्यवहार के उनके अनुभवों पर उनकी माताओं की प्रतिक्रियाएं, खुद को लेकर उनके एहसासों और समस्या से निबटने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले फैसलों के मामले में महत्त्वपूर्ण साबित हुईं। 32 वर्षीया सोनालिका ने अपनी माता की प्रतिक्रिया को लेकर अपनी निराशा के बारे में बताया, जब उन्होंने अपनी युवावस्था के शुरूआती दौर में अनुभव हुई दुर्व्यवहार की एक घटना के बारे में अपनी मां को बताया थाः

''मैं अपने एक मामा की शादी में गई थी, मेरे मामा के दोस्त ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मैंने अपनी पसंदीदा स्कर्ट पहन रखी थी, और तब तक मुझे यह भी पता नहीं था कि 13 वर्षीया लड़की के वक्ष भी सेक्सुअल चीज़ हो सकते हैं। उस आदमी ने मेरे वक्ष को छुआ और मैं खड़ी, सोचती रही ''वह ऐसा क्यों कर रहा है? यह क्या हो रहा है? मुझे लगा कि इसमें मेरी कोई गलती है.....मैं केवल यही सोच रही थी, वह ऐसा क्यों कर रहा है? 6-7 महीनों के बाद मेरी समझ में आया कि अरे, मेरे साथ ऐसा हुआ.....तब मैंने अपनी मां को इस बारे में सब बता दिया.....और उन्होंने कहा,''.....यह तुम्हारी गलती है। तुमने वैसी स्कर्ट और टॉप क्यों पहना हुआ था?'' और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसी दिन से मैंने अपनी पसंदीदा स्कर्ट और शर्ट पहननी छोड़ दी.....यह मेरे लिए एक भयानक सपना बन गया, जब भी मैं उनके पास जाती और उनको कुछ बताने की कोशिश करती.... तो मुझे हमेशा यही सुनने को मिलता, कि यह मेरी गलती थी ''तुम वहां गई ही क्यों थीं? फिर एक दिन एक पड़ोसी, जिसे मैं भाई बुलाया करती थी, यह तब की बात है जब मैं चीज़ों को गंभीरता से समझ नहीं सकती थी, कि शरीर के विभिन्न अंगों को किन–किन नज़रियों से देखा जा सकता है, इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो उस आदमी ने.....मैं खेलने जाया करती थी, और वह वहां आ जाता और मुझे अनुचित तरीके से छूने लगता, जिसे मैं बाद में समझ सकी'' ओह, यह हो रहा है .....'' तो इस बारे में मैंने अपनी मां को बताया और मेरी मां ने बात को हंसी में उड़ा दिया, और मुझे डांटा कि मैं वहां खेलने–कूदने जाती ही क्यों थी, मुझे ऐसा महसूस होता था..... ''यह क्या है .....और गलत क्या है?'' और फिर मुझे इससे उबरने में बरसों का वक्त लग गया.....उस समय, मुझे यही लगता था कि यह मेरी ही गलती है .....बाद में, कई वर्षों में मैं अपने दिलोदिमाग से उन जहरीली यादों का कचरा साफ कर सकी कि यह मेरी गलती नहीं थी, और बाद में, जब मैं 25-26 साल की थी, तब मैंने कई बार उनसे बातचीत की, और मैंने पाया कि उनको समझाया नहीं जा सकता, मैंने पाया कि किसी न किसी वजह से वे अत्यधिक डिफेंसिव थीं, क्योंकि वे भी इसमें एक पार्टी थीं... ....तो कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे भी इसके लिए कहीं न कहीं ज़िम्मेदार थीं, जो एक मां के तौर पर उनको गैरज़िम्मेदार बनाता था.....मैंने इसे समझा, और वे मुझसे सहमत नहीं थीं, उनका रवैया कुछ ऐसा था ''नहीं, मैंने कुछ नहीं किया .....''

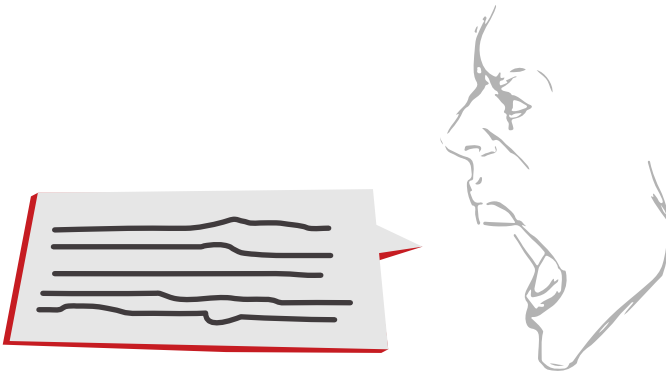

कोलकाता की साक्षी ने भी सपोर्ट न मिलने का ऐसा ही अनुभव बताया, विशेषकर अपनी मां की ओर से, जब उन्होंने अपने द्वारा सामना किए गए दुर्व्यवहार के बारे में अपनी मां को सब कुछ बताया था। उन्होंने भी अपनी मां की उस तरह की प्रतिक्रिया के संभावित कारणों पर चिंतन किया,

> *"बड़े होने के दौरान, मैंने इस हिंसा को सात–आठ साल की बेहद कम उम्र में ही देख लिया था, क्योंकि मेरे परिवार के ही एक सदस्य ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था और शुरूआत में मैं यह चीज़ें समझती नहीं थी। मैं उस व्यक्ति से एक बार मिलने गई थी और मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब सार्वजनिक रूप से भी ऐसा होने लगा, जैसे कि लोग मुझे पकड़ते और छूने की कोशिश करते, तो मैंने उन बातों का आपस में संबंध जोड़ लिया। और फिर मैंने इस बारे में अपनी मां को बताया, उस समय मैं बहुत छोटी बच्ची थी, सात–आठ साल की (रोष भरी आवाज़) जो अपनी मां को यह बता रही थी कि कोई सार्वजनिक रूप से उसे छूने की कोशिश करता है और मां ने मुझे बस यह कहा कि मुझे जींस और स्लीवलेस नहीं पहनने चाहिए, और एक काफी पढ़ी–लिखी महिला मुझे यह बता रही थी कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, तुम्हें वह नहीं करना चाहिए, अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो फौरन वहां से भाग जाओ। तुम्हें कभी विरोध नहीं करना चाहिए। अब मैं समझ सकती हूं, कि वे ऐसा सुझाव क्यों देती थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि अन्यथा मुझ पर और भी बुरी तरह से हमला किया जा सकता है, इसीलिए वे मुझे हमेशा बचकर भाग जाने की सलाह देती रहीं लेकिन उन्होंने वास्तव में मुझे कभी सशक्त बनाने का प्रयास नहीं किया और यह नहीं कहा कि यह मेरी गलती नहीं है। उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। तो, उस समय मैं काफी छोटी बच्ची थी, मैं खुद को लेकर बहुत सुरक्षा बरतने लगी, और मेरे अंदर बहुत सारा आक्रोश भरता गया, जिसे उस समय बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं मिला। और सार्वजनिक स्थानों पर भी, मेरी मां की मौजूदगी के साथ, आमतौर से मेरे पिता की मौजूदगी के साथ, ऐसा कभी नहीं हुआ इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती लेकिन सार्वजनिक रूप से, मेरी मां की मौजूदगी में ऐसा हुआ, तब मैं कुछ बड़ी हो गई थी, उन्होंने पूरी कोशिश की कि वे कभी अपनी आवाज़ न उठाएं। मेरे ख्याल से उनके अपने बुरे अनुभव रहे हो सकते होंगे, जिनकी वजह से ऐसी परिस्थितियों से निबटने के बारे में यह नकारात्मक उपाय उनके मन में आए, लेकिन मेरी मां ने जितना ही मुझे समझाया कि ऐसा न करो, वैसा न करो, मैं उतना ही ज्यादा मुखर विरोध करने लगी।"*

3.10. हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरणाएं (क्यों)

हस्तक्षेप करने वाले व्यक्तियों ने अपनी कार्यवाहियों के कई कारण बताए। उनमें से कुछ ने 'सही' कार्य करने की प्रेरणा के बारे में बात की, जो, आवाज़ उठाने में एक प्रबल नैतिक तत्व की मौजूदगी साबित करती है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, कुछ महिला प्रतिभागियों ने अपने अंदर दबे आक्रोश को प्रेरक वजह बताया। कुछ (पुरूषों और महिलाओं दोनों) लोगों ने बेहतर जेंडर संवेदीकरण की दिशा में अपनी सोच के बारे में भी बात की। हिंसा के कुछ विशेष प्रकारों को समझने में, और छिपी हुई जेंडर गतिशीलताओं और पुरूष प्रधान शक्तियों को इनकी मूल वजह के रूप में पहचानने में प्रायः उनको बरसों का समय लगा। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को लेकर अपनी समझ के इस विकास को उन्होंने जेंडर संबंधी अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों में स्वयंसेवियों, पूर्णकालिक कर्मचारियों के रूप में अपने जुड़ाव से, या उनसे प्रायः संपर्क से जोड़ा। कुछ प्रतिभागियों ने उनके स्कूलों/कॉलेजों, या कार्यस्थलों पर करा, गए आकस्मिक कोर्स या जेंडर संवेदनशीलता के लेक्चरों के बारे में, या सामाजिक कार्यों में सहभागिता को भी महत्त्वपूर्ण प्रेरक वजह माना। इन अनुभवों से वे इस मुद्दे के बारे में और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित हुए।

3.10.1. नैतिक तत्वः सही काम करना

हस्तक्षेप करने वाले अनेक पुरूषों और महिलाओं ने कहा कि सही और गलत की उनकी सशक्त सोच, उनके कदम उठाने की मुख्य प्रेरक वजह रही। कुछ ने इसका श्रेय अपने विशेष प्रकार के पालन पोषण को दिया, जिनको उनके अभिभावकों द्वारा यह सिखाया गया था कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, उनको आवाज़ उठाने से हिचकना नहीं चाहिए।

हजारीबाग के उल्लेश ने बताया किए ''इस तरह से, मैंने तो बस अपना काम किया और लोगों को सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया, और लोगों ने मेरी बात भी सुनी, और इस सबका श्रेय मेरे पिता को जाता है, जो अब.....85 वर्ष के हैं, वे एक बुजुर्ग शिक्षक हैं, जो निजी स्तर पर काम करते हैं, और उन्होंने हमेशा मुझे यही बताया, कि दमन का शिकार होने वालों को बचाना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है।''

इसी प्रकार, दिल्ली के शिखर ने हमें बताया किः

> *''मैं लोगों की परवाह नहीं करता.....मैं बचपन से ही परवाह नहीं करता .....लेकिन मैं अपने मौसा से अपने संबंध की परवाह करता हूं.....'क्रोधित होकर' मैं उनको बताऊंगा कि जो उन्होंने किया वह गलत था .....में अब भी इसके खिलाफ हूं। 'जोर से' मैं उन्हें बताऊंगा कि उस दिन मैंने जो किया वह .....मैं सही था ...यह सहज प्रतिक्रिया थी.....यह मेरे स्वभाव में समाई हुई चीज़ है.....यह मेरी गलती नहीं है 'जोर से' मैं गलत नहीं था, मैं गलत नहीं हूं ..... और मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। .....''*

गया के चमन ने भी अपनी कार्यवाही पर बात करते हुए 'सही' और सच्ची बात पर डटे रहने पर जोर दिया। ''मेरे आवाज़ उठाने का उद्देश्य यह था, कि मैं सच्चाई को आगे बढ़ा सकूं। आज की दुनिया में, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको बेकार व्यक्ति माना जाता है.....[जो] लोग गलत काम करते हैं उनको अच्छा माना जाता है।''

हजारीबाग के निर्मल ने बताया,

> *'' बचपन से ही .....मेरी यह सोच रही है .....कि अगर कोई मेरे से दुर्व्यवहार करता है, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, कुछ लोग होते हैं जो रूचि नहीं लेते,.....मैं उनको अनदेखा कर दूंगा.....मैं अपना काम करता रहूंगा.... ..मैं सही काम करने का प्रयास करता रहूंगा, ...अब लोग चाहे इसे ठीक समझें या गलत। [जो भी मैं करता हूं].....तो, वे अपने मन में सोच सकते हैं कि क्या वे सही कर रहे हैं या नहीं.....कुछ लोग दुर्व्यवहार करते हैं... ....कुछ हँसते हैं.....देखो, एक रिश्ता बनाना तो, भगवान के हाथ में होता है.....लोगों को उनके पथ से विचलित नहीं होना चाहिए।''*

3.10.2. महिलाओं का आक्रोश

दुर्व्यवहार या हिंसा की शिकार हुई महिलाओं को, आगे चलकर अन्य महिलाओं को दुर्व्यवहार का शिकार होते देखने पर हस्तक्षेप करने की प्रबल इच्छा होती है। अनेक महिला प्रतिभागियों ने बताया कि बचपन में या युवावस्था में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर अपनी असहायता के बारे में उनके मन में रोष भरा हुआ था।

30 वर्षीया कंटेंट राइटर और मेक–अप आर्टिस्ट साक्षी ने बताया किः

> *''.... बहुत कम उम्र से, खुद को लेकर मेरा रवैया काफी रक्षात्मक था, और बहुत सा रोष मेरे अंदर भरा हुआ था, क्योंकि इसे उस समय बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला था,....चूंकि मेरी मां उन लोगों का विरोध करने के पक्ष में नहीं थीं, जो सार्वजनिक स्थानों पर मुझसे यौन उत्पीड़न करते थे, उस समय एक बच्चे के तौर पर मैं महसूस करती थी कि अगर मैं अपने अभिभावकों को यह बताऊं कि परिवार का यह सदस्य मुझसे यौन उत्पीड़न करता है, तो मुझे लगता था कि वे मुझ पर ही दोषारोपण करेंगे, क्योंकि उनकी ऐसी ही सोच*

हस्तक्षेप करने वाले व्यक्तियों ने अपनी कार्यवाहियों के कई कारण बताए। कुछ ने 'सही' कार्य करने की प्रेरणा के बारे में बात की, जो, आवाज़ उठाने में एक प्रबल नैतिक तत्व की मौजूदगी साबित करती है।

थी, मेरी मां ने अन्य लोगों के मामले में पहले ऐसा ही किया था। तो, अब तक वे इस घटना के बारे में नहीं जानते। हालाँकि बाद में, एक थेरेपी में मैंने इसके बारे में बात की और इससे उबर सकी। लेकिन अपनी मां को यह बताने के मामले में काफी अनिच्छुक थी कि परिवार में ही कोई मेरे साथ उत्पीड़न कर रहा है, क्योंकि वह मुझे ही दोष देतीं और मुझे बार–बार उसी व्यक्ति का सामना करना पड़ता था। इसलिए मैंने इसे हर संभव उपेक्षित करने की कोशिश की और फिर आखिरकार जब यह सब बंद नहीं हुआ, और मुझे पता था कि मैं अपने अभिभावकों को बता नहीं सकती थी, तो एक दिन मैंने एक चाकू उठा लिया और उस आदमी को धमकी दी, जब वह ऐसी कोशिश कर रहा था, जबकि उस समय मैं केवल आठ या नौ साल की थी।''

कोलकाता से एक प्रतिभागी, 32 वर्षीया सोनालिका ने बताया कि,

''कभी–कभी आपको ऐसा लगता है, यह एक बात, कि आपके अपने अनुभव, वे जहां भी आपको हुए, आप उनके घटित होने के समय ठीक तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर सके, ...इसका एक छिपा हुआ क्रोध हो सकता है, जो आपको यह एहसास कराता है, कि ''आज मैं इसे खत्म कर ही दूंगी।'' कुछ इस तरह की सोच, और एक और बात जो मेरे मन में आती है, कि सामाजिक संपर्क और शिक्षा, यहां मायने नहीं रखते। आपको पता होता है कि आपकी एक आवाज़ होनी चाहिए। जिस समूह, जिन लोगों से हम व्यवहार करते हैं, जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, उससे भी काफी बदलाव आता है। यह भी मेरा मानना है।''

जैसा कि उक्त सारांश से स्पष्ट है कि हिंसा को लेकर व्यक्तियों के निजी अनुभव, वयस्क होने पर जेंडर आधारित हिंसा और दुर्व्यवहार की समस्याओं से निबटने के उनके तरीकों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अपनी खुद की असहायता को लेकर प्रायः एक क्रोध अंदर दबा हुआ होता है। कुछ प्रतिभागियों ने बताया कि जब उन्होंने अन्य महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होते देखी तो इससे उनके अपने अनुभवों की यादें ताज़ा हो उठीं और अतीत में ऐसी ही स्थितियों में जो असहायता उन्होंने महसूस की थी, उसी की अनुभूति फिर से जाग उठी।

3.10.3. जेंडर आधारित भेदभाव को समझना

जहां कुछ प्रतिभागियों ने विशेष घटनाओं, जैसे कि कॉलेज में किसी जेंडर संवेदीकरण कोर्स में भाग लेने, या किसी प्रिय चचेरे भाई–बहन की मृत्यु को, जेंडर आधारित भेदभाव के बारे में अधिक जागरूकता हेतु उनके सफ़र के तत्काल प्रेरक के रूप में बताया, वहीं ज्यादातर के लिए यह प्रक्रिया धीरे–धीरे आगे बढ़ने वाली, और सभी मामलों में, काफी जटिल रही। हस्तक्षेप का अनुभव रखने वाले बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने जेंडर संबंधी अधिकारों पर काम करने वाले संगठनों से अपने जुड़ाव, या स्कूलों या ऑफिस में आयोजित जेंडर संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी का उल्लेख किया। उनमें से ज्यादातर को जेंडर संबंधी अधिकारों और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के समाधान पर काम करने वाले संगठनों में कार्य का अनुभव था।[13] प्रतिभागियों ने बताया कि उनकी अपनी पढ़ी गई चीज़ों, या कुछ निश्चित कोर्सों के कारण वे यह समझ पाने में सक्षम हुए कि बचपन में उनके साथ वास्तव में क्या हुआ था, या जेंडर आधारित भेदभाव के प्रचलन के संरचनागत कारणों को समझ सके। हैदराबाद से हमारे कुछ प्रतिभागियों ने मनोविज्ञान में डिग्री भी ली हुई थी और उनको काउंसिलिंग का भी अनुभव था।

हैदराबाद से 28 वर्षीया अमीना ने बताया कि किस तरह से ब्रेकथ्रू (Breakthrough) के बेल बजाओ अभियान ने उनको घरेलू हिंसा के मुद्दे पर विचार करने में मदद की। मुम्बई से एक प्रतिभागी और सामाजिक कार्यकर्ता ओनिल ने हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने ऑफिस में यौन उत्पीड़न प्रकोष्ठ स्थापित करने की प्रक्रिया में भाग लिया और उनकी एक महिला सहकर्मी से बातचीत से उनको पहली बार 'सहमति' की धारणा पर विचार करने में मदद मिली। यह उनके लिए बहुत महत्त्वपूर्ण साबित हुआ क्योंकि इससे वे इस अवधारणा के बारे में, तथा जेंडर संबंधी समानता के लिए इसके महत्त्व के बारे में व्यापक

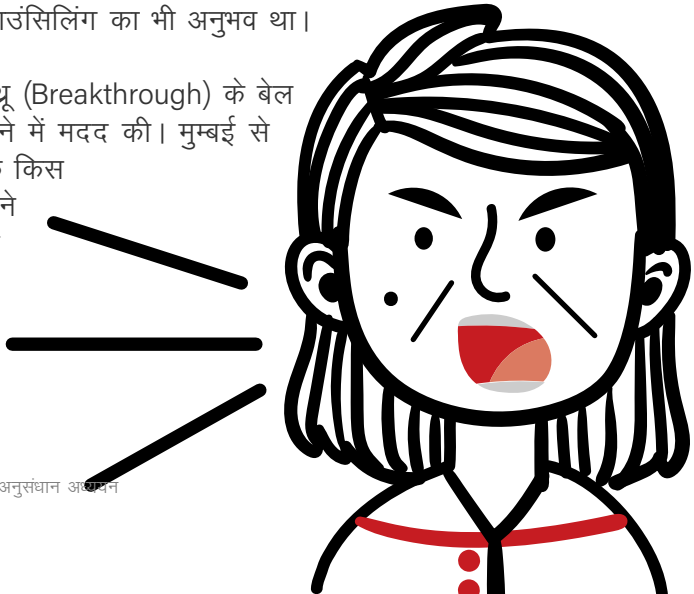

अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुए। इससे उनको अपनी कुछ पुरानी कार्यवाहियों की समीक्षा करने, और यह समझ पाने की क्षमता मिली कि उस समय उन लड़कियों से उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया था, वह संभावित रूप से दुर्व्यवहारपूर्ण कहा जा सकता था।

> *''जब मैं अपने बचपन, और पिछले 27-28 वर्षों पर विचार करता हूं, तो मैंने निजी तौर पर वास्तव में कभी भी किसी प्रकार के उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न के बारे में नहीं सोचता.....लेकिन कुछ साल पहले जब मैं कॉलेज में था, तो मैंने भी ऐसा किया था। मुझे यह कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से अपनी गलती मान लेने में कोई बुराई नहीं होती। हालांकि मैंने खुद को किसी पर थोपने की कोशिश नहीं की, लेकिन .....मैंने उस समय एक लड़की को राजी करने की कोशिश की थी और जब लड़की ने इनकार कर दिया तो मैंने उसकी बात मान ली क्योंकि वह मेरी मित्र थी। लेकिन जब यह घटना हुई (ऑफिस की घटना) तो सहमति का महत्त्व मेरी समझ में आया। मैंने उन लड़कियों को कॉल किया और अपने विगत व्यवहार के लिए मैंने उनसे क्षमा माँगी.....''*

कुछ लोगों ने इस बारे में बात की कि किस तरह से कॉलेज, उनके लिए महत्त्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करने की जगह बना, और इसने उनको सशक्त भी बनाया। ज़ैनब ने बताया किए ''जब मैंने कॉलेज ज्वॉइन किया तो मैंने अपने पूरे बचपन के जीवन पर नए सिरे से सोच–विचार करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी बहन से बात की। मैंने पाया कि वह इस बारे में अपनी किशोर आयु से ही जानती थी, वह मुझसे 10-15 कदम आगे थी लेकिन उसने ये बातें अपने तक ही सीमित रखी थीं और तब उसने मुझे बताया ''दीदी, आपको पता नहीं, लेकिन मैं अवसाद में हूं, मैं सो नहीं पाती और ठीक से खा नहीं पाती।''

कोलकाता की अनन्या ने हमें बताया कि किस तरह से कॉलेज में जेंडर से संबंधित एक पेपर ने यौन शोषण की ठीक से पहचान करने में उसकी मदद की थी, जिसका उन्होंने बचपन में सामना किया था।

> *''जब मैं केवल 11 साल की थी तभी मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया था। मैंने बस किशोर अवस्था में कदम रखा था, और यह दुर्व्यवहार की बहुत लंबी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया रही थी, और यह और कोई नहीं, मेरी अपनी चाची का पति ही था। मैं बहुत शर्मीली बच्ची थी और मुझे पता भी नहीं था कि यह क्या हो रहा है, और मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी और सोचने लगती थी कि, ''आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जो वह मुझे इतनी दर्दनाक सजा दे रहा है?''....वह इस तरह से व्यवहार करता था जिससे बहुत सारा असमंजस, पीड़ा और दर्द महसूस होता था। जो मेरे साथ हो रहा था, उसे ठीक से समझ पाने में नाकाम रहने के साथ मैं बड़ी हुई.....बहुत बाद में, जब कॉलेज के मेरे पहले साल में हम जेंडर पर एक पेपर पढ़ रहे थे, तब जाकर कहीं मेरी समझ में आया कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। मैं तब 19 साल की हो चुकी थी, इस तरह से बहुत सा समय ऐसा बीत चुका था, जिस दौरान मैं अपने साथ घटित सच्चाइयों को समझ भी नहीं सकी थी। जेंडर वाले पाठ पर पहुंचने पर मुझे इस विषय का महत्त्व पता चला। कक्षा में इसे बहुत अच्छी तरह पढ़ाया गया, खूब सारी चर्चाएं कराई गईं और वादविवाद हुए। कक्षा में जेंडर वाला एक ऐसा पाठ था, जिसे पढ़ाने की प्रक्रिया बहुत ही सक्रिय सहभागिता वाली थीय हमारे प्रोफेसर ने कक्षा में काफी चर्चाओं और बहसों को प्रोत्साहित किया। उस कक्षा को करने के बाद हमने हमारे समाज के ढांचे को बहुत ही अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। मेरे दिलो–दिमाग में ढेरों नए विचार, नए सवालों के साथ उमड़ने लगे। मेरे विचार में, मुझ पर इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि मैंने अपनी मां को केवल मेरी मां के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखना शुरू कर दिया।''*

हरियाणा की स्वरूप ने कहा कि ब्रेकथ्रू (Breakthrough) द्वारा आयोजित ट्रेनिंग सेशन और उनकी अपनी नौकरी की प्रकृति, जेंडर के बारे में उनकी समझ को ठोस बनाने में बड़ी वजह रही, उन्होंने बताया कि:

---

[13] संभावित प्रतिभागियों की पहचान के लिए ब्रेकथ्रू (Breakthrough) सहित संगठनों पर हमारे निर्भर होने की वजह से, कई लोग ऐसे मिले जिनको जेंडर संबंधी समानता और महिला अधिकारों पर चर्चाओं के कुछ न कुछ अनुभव थे, चाहे वे इन मुद्दों पर सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहे थे।

''मैंने ब्रेकथ्रू (Breakthrough) द्वारा घरेलू हिंसा के बारे में आयोजित कुछ ट्रेनिंग सेशनों में भाग लिया। मैंने ज्यादातर अपने वर्कप्लेस पर ट्रेनिंग प्राप्त की। मैं महिला और बाल विकास मंत्रालय में एक ब्लॉक में सुपरवाइजर के पद पर काम करती हूं....हम खासतौर से पोषण, बाल कल्याण के क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कई सारी गतिविधियां चलाते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए योजनाओं का संचालन करते हैं, अन्य योजनाएं जैसे कि ''आपकी बेटी, हमारी बेटी''; ''कन्या समृद्धि योजना।''

मुम्बई के 30 वर्षीय कबीर के लिए भी, संगठन से जुड़ाव एक प्रमुख वजह रही। उन्होंने इस बारे में बात की कि किस तरह से हालाँकि वे वर्तमान संगठन से जुड़ने से पहले अपने द्वारा पढ़ी गई चीज़ों के कारण महिलाओं की समानता के बारे में कुछ विचारों से परिचित थे, लेकिन जुड़ने के बाद ही उन्होंने भेदभाव और जेंडर सीमांतीकरण के बड़े मामले को बारीकी से समझना शुरू किया।

''इन मुद्दों को लेकर मेरा कोई गहरा अनुभव नहीं था। लेकिन [संगठन] से जुड़ने के बाद मुझे काफी अनुभव और ज्ञान मिलाए और मैंने देखा है कि कई चीज़ों के बारे में मेरा नज़रिया बदल गया है। मैं बहुत सारी बातों को लेकर जागरूक हो गया हूं, मध्यम वर्गीय परिवार होने के कारण हमारा परिवार भी पुरूष प्रधान विचारों वाला है, जहां पुरूषों को श्रेष्ठ और लड़कियों को कमतर माना जाता है। यही विचार हमारे परिवार में भी प्रचलित है.....यह सोच, यह सोच वास्तव में बहुत ही पिछड़ी हुई है।''

कुछ के लिए जेंडर को लेकर बेहतर संवेदनशीलता का सफ़र कई वजहों की देन रहा। पारिजाद ने बताया कि उनके घर में सशक्त महिलाओं का आना होता था, सीमांत समुदायों में उनके मित्र थे (उनका एक मित्र समलैंगिक है जबकि एक मुस्लिम है), और मुम्बई में बार डांसर वाला मामला उठने, और इस कारण से प्रेरित बहसें, जेंडर को लेकर विचार प्रक्रिया प्रेरित करने वाले महत्त्वपूर्ण शुरूआती बिंदु रहे।

''मैं ऐसे स्पेस में बड़ी हुई, जहां मेरी मां बहुत ही सशक्त थीं। मेरी मां एक बहुत ही सशक्त महिला थीं, और मेरे ख्याल से, मुझे भी बचपन से ही उन्होंने आत्मनिर्भर होना सिखाया और इस पर काफी जोर दिया कि मुझे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहिए। मुझे अपनी खुद की शख्सियत की पहचान करनी चाहिए, मुझे स्वतंत्र, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आर्थिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। मुझे लगता है कि शुरूआत से ही ऐसा ही माहौल था। हमारे यहां ज्यादातर लड़कियां ही थीं, मेरी सारी कजन भी लड़कियां ही थीं..... जब मैंने पढ़ाई शुरू की, तो मेरी नारीवादी समझ विकसित होनी शुरू हुई। स्कूल में मेरा एक घनिष्ठ मित्र समलैंगिक था, वह एक लड़का है, और वह पहला अल्पसंख्यक था मैं जिसके संपर्क में आई, तो तब पहली बार मैंने जाना कि कोई, किस तरह अलग होता है.....आपको इसलिए टार्गेट बनाया जाता है, क्योंकि आप अलग हैं। मेरा एक बचपन का मित्र मुस्लिम था, एक बार टीचर ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे सांप्रदायिकता की बू आती थी। यह कुछ ऐसे उदाहरण रहे, जिन्होंने मुझे कड़वी सच्चाइयों को लेकर अधिक जागरूक बनाया। इन अनुभवों से गुजरते हुए, मैंने और अधिक पढ़ना, अध्ययन करना शुरू कर दिया.... अगर आपको याद हो, कि एक बार मुम्बई में बार डांसर वाला मुद्दा जोरशोर से उठा था, और उस समय फ्लेविया एग्नेस चर्चा में आई थीं, उस समय बहुत सारे लोग, जो भिन्न और यूनिक माने जाते थे, वे मेरे लिए सचमुच रूचि का विषय बन गए थे। उनको हमारे कॉलेज में इस मुद्दे पर एक पैनल चर्चा के लिए बुलाया गया। और फिर मैंने इसके बारे में अधिक पढ़ा, और फिर मैंने मजलिस संबंधी कार्य के बारे में पढ़ा।''

19 वर्षीय राज के लड़कपन के दौरान उनके एक युवा कज़न की दुखद आत्महत्या की घटना, जेंडर आधारित भेदभाव को समझने की दिशा में उनके लिए आगे बढ़ने की वजह बनी। यह देखकर उनको बहुत अधिक हैरानी हुई कि उनकी बहन को किस तरह बार–बार कलंकित किया गया–यहां तक कि मृत्यु के बाद भी, उत्सुक लोगों ने उसके 'चरित्र' को लांछित किया। वे कहते हैं कि लड़कपन की उस कमउम्र में ही उनको यह एहसास हो गया था कि इस पूरे सिस्टम में बुनियादी तौर पर कोई खोट है, जो इस तरह के व्यवहार की गुंजाइश बनाता और इसे स्वीकृति देता है।

''मुझे उसकी मृत्यु की वजह नहीं पता थी..... उस स्थिति में मैं असहाय था, जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता था, जिसके बिना मेरा बचपन अधूरा था, वह मुझे छोड़कर चली गई थी। और मैं उसकी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सका था। बाद में मुझे पता चला, कि उसके साथ उसके ब्वॉयफ्रेंड ने दुर्व्यवहार किया था। उसने उससे संबंध खत्म कर लिया था और यही उसके द्वारा यह कदम उठाने की वजह बन गई थी। अफवाहें फैली थीं, खासतौर से वे लोग इन्हें सबसे ज्यादा फैला रहे थे जो उत्सुकता से पूछते थेए ''क्या हुआ था? उस लड़की ने ऐसा क्यों किया?' तब वजह मेरी समझ में आई, मैंने खुद वजह समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरा दिल अंदर से टूट गया था, ...लेकिन अफवाहों से वजह का पता चल रहा था, ...कि उसे यह नहीं करना चाहिए था, लोग लड़की को दोष दे रहे थे ''यह ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन गलती लड़की की थी, ...यह उसकी सजा है।''*

कुल मिलाकर इन प्रक्रियाओं ने प्रतिभागियों को जेंडर संबंधी तौर–तरीकों की पहचान करने और नामकरण करने में सक्षम बनाया और इस बारे में बात करने के लिए उनको एक शब्दावली प्रदान की। हमारी चर्चाओं से यह स्पष्ट हुआ कि खुद के लिए, और दूसरों के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम बनने में उनको काफी वक्त लगा। इसलिए यह इस अनुसंधान में अनेक प्रतिभागियों के लिए बुनियादी तौर पर एक महत्त्वपूर्ण चरण है, जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा देखने पर हस्तक्षेप हेतु उनको प्रेरित करता है।

3.10.4. सकारात्मक रोल मॉडल

हमारी कुछ महिला उत्तरदाताओं ने ऐसे सशक्त रोल मॉडल खोजने और उनका अनुकरण करने के महत्त्व पर बात की, जो उनको खुद के लिए तथा दूसरों के लिए आवाज़ उठाने हेतु प्रेरित करते हों। अनन्या ने बताया कि किस तरह से उसके सहयोगी सहकर्मी ने ऑफिस में उत्पीड़न करने वाले का सामना करने के मामले में उसे सशक्त बनाने में काफी मदद की।

'' मेरे साथ दुर्व्यवहार के मामले में परिस्थिति का सामना करने के लिए मेरी एक घनिष्ठ दोस्त ने मेरी काफी मदद की। वह पहली व्यक्ति थी जिससे मैंने कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार के बारे में बात की, और उसने मुझे रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया। पहली बार ऐसा हुआ जब उत्पीड़न के समय मेरे आसपास कोई ऐसा था जो मुझे यह कह रहा था कि ''तुम्हें रिपोर्ट करना चाहिए और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे।'' और मेरे ख्याल से, इस सक्षम बनाने वाले माहौल ने मुछे कदम आगे बढ़ाने में काफी मदद की।''

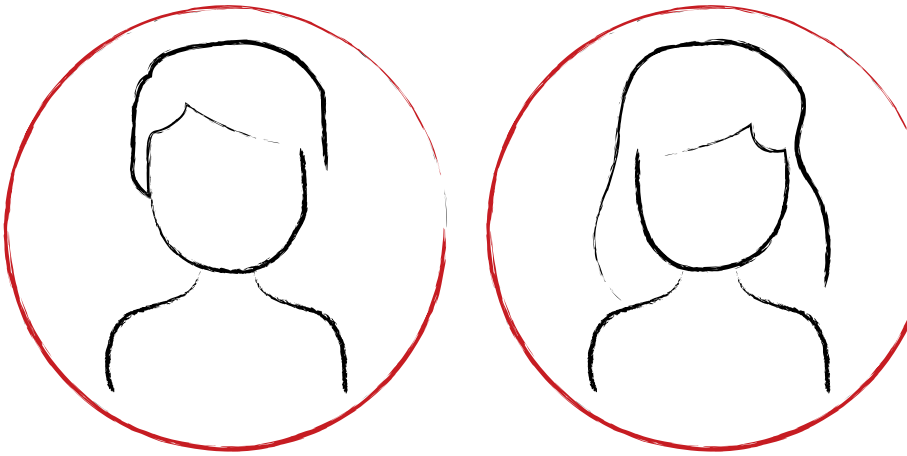

हैदराबाद की 28 वर्षीया श्रद्धा ने हमें बताया कि किस तरह से उसकी एक मित्र ने, जो उसकी तुलना में अधिक तेजतर्रार थी, उसने उन्हें खुद के लिए खड़े होने का साहस प्रदान करने में काफी मदद की:

> *''यह मेरा बी.टेक. इंटर था। शायद मैं इंटर में थी। हमारा सोलह सदस्यों का दल था और ब्रतिति नामक मेरी एक दोस्त थी।*[14] *मैं उसे कैसे भूल सकती हूं। मेरे ख्याल से वही ऐसी थी, जिसने मेरा मनोबल काफी बढ़ाया था.... कुछ खास मौकों पर वह अड़ जाया करती थी, जैसे कि, अगर कोई बात ठीक न हो, चाहे फैकल्टी ही क्यों न हों, पढ़ाई या ऐसे ही किसी दूसरे मामले में भी, वह खुलकर अपनी बात रखने वालों में से थी। वह बहुत ज्यादा मुखर थी और वह हर कहीं आत्मविश्वास से भरपूर नज़र आती थी। और वह फैकल्टी का भी मजाक बनाने की हिम्मत कर सकती थी। वह हमेशा बहुत ही मुखर रहती थी, और हर किसी का सामना करने के लिए एकदम तैयार। मेरे ख्याल से, उसने अपनी सहायता खुद करने का मूलमंत्र हमें सिखाया, कि हमें पहले अपनी मदद खुद करनी सीखनी चाहिए, और फिर किसी और के बारे में सोचना चाहिए।''*

हमारे कुछ प्रतिभागियों जैसे कि नीता, पारिजाद और प्रसाद–जिनके वर्णन हमने पहले प्रस्तुत किए हैं–ने भी यह बताया कि उनकी माताएं, उनके लिए महत्त्वपूर्ण रोल मॉडल रहीं और उनकी शक्ति ने किस तरह से उनको खुद के लिए उठ खड़े होने तथा दूसरों के लिए आवाज़ उठाने का साहस उनमें भर दिया।

> *''मेरी मां बहुत साहसी थीं ....1992 के मुम्बई दंगों के समय का हिंदू–मुस्लिम तनाव हमें याद है। तब मेरी मां ने अकेले सफ़र किया था, वह भी कर्फ्यू के समय। मैंने अपनी मां को देखा और उनसे बहुत कुछ सीखा। यह कि अगर वे बिंदास (निर्भय) हो सकती हैं, तो मैं भी बन सकती हूं। जब मेरी मां बाहर जातीं, तो सड़क पर पुलिस कांस्टेबल उनको रोकते और कहते ''बाई, आपको डर नहीं लगता कि कर्फ्यू लगा हुआ है? अगर आपको कुछ हो गया तो, आपको गोली मारी जा सकती है।''मेरी मां कहा करती थीं किए ''सर, अगर मुझे घर में अपने चार बच्चों के साथ भूखा मरना पड़े, तो उससे तो यह बेहतर ही है कि बाहर मैं अकेली ही मर जाऊं।'' यह सुनने के बाद पुलिसवाले मेरी मां को रोज ट्रेन तक छोड़ने जाते। इस तरह से, मैंने ये सब अपनी मां से सीखा और मैं वही सोच अपनी बच्चियों को भी देने की कोशिश करती हूं।'' ऐसा नीता ने बताया।*

भामा ने यह भी कहा कि हाल ही में चला मी टू (MeToo) अभियान उनको आवाज़ उठाने की शक्ति देने के मामले में काफी महत्त्वपूर्ण रहा:

> *''मेरे ख्याल से आपको मीटू (MeToo) अभियान ज़रूर ही याद होगा, जब ये अभियान शुरू होते ही लोग सामने आकर अपने–अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बात करने लगे थे। लेकिन जब लोगों ने यह शुरू किया, तो उनको सपोर्ट करने वाले भी थे। अगर कोई अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार को उजागर करे और फिर लोगों से उसे यह सुनने को न मिले कि*[14] *तब आपने क्या पहन रखा था, और यह कौन सा समय था, या यह कि क्या आप किसी पुरुष के साथ थीं। मुझे पता है कि ये सारे प्रश्न मुझसे नहीं होंगे। इसलिए, मैं अपनी बात बताने में ज्यादा सहज हूं, लेकिन पहले, मेरे दोस्त के साथ मेरा ऐसा अनुभव, जो कुछ ऐसा था, कि मैं बस वहां से चली जाना चाहती थी। इस बारे में रिपोर्ट करने वगैरह का इरादा भी छोड़ दिया। मानसिक रूप से, मैं ये सब कुछ भूल जाना चाहती थी, और अगर कुछ लोग पूछते कि क्या हुआ है तो मैं तब भी न बोलती। क्योंकि मैं तब वैसा नहीं चाहती थी।''*

[14] This is a pseudonym to protect the person's identity.

4. खामियों को उजागर करना : क्या किया जाना चाहिए

इस अनुभाग में उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में बात की गई है जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के किसी मामले में हस्तक्षेप करने पर बाइस्टैण्डर्स के सामने आती हैं। सपोर्ट का स्पष्ट तौर पर अभाव होना, और यह डर कि परिस्थिति तेजी से बिगड़ सकती थी, तथा और अधिक हिंसक हो सकती थी, ये लगभग सभी इंटरव्यूज में देखा गया। ''किसी ने परवाह नहीं की, कोई नहीं रूका।'' ''यह तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है'' ऐसी टिप्पणियां हमने बार–बार सुनीं। दिल्ली से हमारी एक प्रतिभागी जया ने हमें बताया कि एक बस स्टैंड पर लड़कों के झुंड द्वारा परेशान की जाती एक लड़की के मामले में दखल देने और मदद करने की कोशिश करने पर उनको और उनके टीचर को एसिड अटैक की धमकी दी गई थी। फिर भी, आसपास से कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया था। इस प्रकार की घटनाएं, हमारे अधिकांश महिला प्रतिभागियों को उत्पीडन करने वालों का डटकर सामना करने से रोकती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा है कि अधिकांश लोगों को किसी अन्य के साथ हो रही ऐसी घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता।

सिस्टम से संबंधित विशिष्ट मुद्दे, पुष्टि के लिए व्यापक सामाजिक दबाव और सेक्स और माहवारी संबंधी स्वास्थ्य के बारे में किसी सकारात्मक जानकारी का पूर्णतया अभाव के मुद्दे भी हमारी बातचीत में बारम्बार उभरे। 'चुप्पी की संस्कृति' जिसके बारे में हमने इस रिपोर्ट में पहले बारीकी से बात की है, सिस्टम की ऐसी प्रमुख विशेषताएं उजागर करती है जो सर्वाइवर के लिए किसी तरह का न्याय या समाधान, एक सपना बना देती हैं। इसके अलावा, यह तथ्य कि मामले को प्रमाणित करने का भार, अनुचित रूप से सदैव केवल महिलाओं के ऊपर ही डाला जाता है, (मीटू आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में बहस में यह तथ्य प्रमुखता से उजागर हुआ है) जिससे उनके लिए हिंसा के इस दुश्चक्र को तोड़ सकना लगभग असंभव हो जाता है। लोगों को उनकी आवाज़ उठाने से कौन सी वजहें रोकती हैं, और उनका किस तरह समाधान किया जा सकता है, इसके बारे में हमने अगले उपभागों में बारीकी से पड़ताल की है।

4.1. सक्षम बनाने वाले माहौल को विकसित करना

सर्वाइवर को सपोर्ट करने लायक, सक्षम बनाने वाला माहौल न होना हस्तक्षेप करने के रास्ते की एक बड़ी रूकावट है। इसमें, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की घटनाओं के मामले में परिवार के सदस्यों और उसके साथ व्यापक समाज द्वारा भी दोषी ठहरा, जाने व कलंकित किए जाने को लेकर महिलाओं के भय, उनकी अपनी 'सुरक्षा' के प्रति चिंताओं के कारण उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध, और एक उदासीन और अमानवीय औपचारिक 'सिस्टम' आदि चीज़ें शामिल हैं। हमारे अनेक प्रतिभागियों ने 'सिस्टम' से जुड़े अपने भयानक अनुभव बताए।

हैदराबाद की एक 32 वर्षीया सामाजिक कार्यकर्ता राधा यह देखकर स्तब्ध रह गई, कि एक 3 वर्षीया बाल यौन शोषण की सर्वाइवर के मामले में शोषण करने वाला उसका अपना पिता ही था। सरकारी अस्पताल में लापरवाह रवैये वाले चिकित्सा कर्मचारियों से लेकर क्रूर पुलिस अधिकारियों तक, सिस्टम के पास एक मासूम बच्चे के लिए कोई सहानुभूति, समय, या न्याय नहीं था, जिसे बुरी तरह से हमले का शिकार बनाया गया था, इसे राधा ने अपने वर्णन में स्पष्ट किया:

> *''एक और आदमी आया था, मेडिकल जांच करने के लिए, कि यह मामला बलात्कार और यौन हमले में से किस श्रेणी में आता है और उन्होंने इसे हर संभव बुरे से बुरे तरीके से हैंडल किया, और वह बच्ची बस नज़रें झुकाए हुए थी, और वह फिर से अस्पताल आने के लिए काफी डरी हुई थी।''*

अधिकारियों की ओर से रूचि या सहानुभूति के अभाव को इंटरव्यूज में बारम्बार रेखांकित किया गया। अनेक प्रतिभागियों ने बताया कि किस तरह से कई मामलों में सिस्टम ने शोषणकर्ता को ही बचाने की कोशिशें कीं या हिंसा के मामलों में रूढ़िवादी धारणाओं का सहारा लिया। गया के एक युवक चमन ने बताया कि किस तरह से उनके इलाके की पुलिस ने बलात्कार सहित यौन हमलों के गंभीर अपराधों के मामले दबाने के लिए सक्रियता से काम किया जिससे औपचारिक सिस्टम पर से शिकायतकर्ताओं का विश्वास ही उठ गया। उन्होंने बार–बार इसे रेखांकित किया कि किस तरह से पैसे के बल पर शोषणकर्ता, गंभीर से गंभीर अपराध करने के बावजूद स्वच्छन्द घूमते हैं। उन्होंने बताया कि,

> *''फैसले पंचायत में लिए जाते हैं,.....लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि शराब की बिक्री नहीं होगी, लेकिन यह बेची जाती है, बाल विवाह हो रहे हैं, क्योंकि अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, पुलिस ने पैसे खा लिये और थाने में उन्होंने लड़की के बाप को, चाचा को पीटा,.....जिसने जुर्म किया था उसके साथ उन्होंने कुछ भी नहीं किया....आज की तारीख में, पैसे की ताकत के आगे लोग सारी बातें भूल जाते हैं.....आपने चाहे कितने भी गलत से गलत काम किए हों, लेकिन अगर आपकी गांठ में पैसा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ''*

हरियाणा से, 20 के आसपास की आयु वाले एक युवा पत्रकार सुनील ने घरेलू हिंसा का एक मामला बताया जिसमें लड़की की मृत्यु हो गई थी–यह मामला, जिसे पंचायत और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से दबा दिया गया था। ग्राम पंचायत ने धौंस–धमकी और डर का एक माहौल कायम करके रखा हुआ कि जो कोई भी इस मामले की रिपोर्ट करेगा उसे गंभीर अंजाम भुगतने पड़ेंगे।

> *''इस बारे में, लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए घटना हुई लेकिन लोग इसे भूल गए, पैसे ले–देकर मामला सलटा लिया गया, उन्होंने इसे दबा दिया....ग्राम पंचायत की भी मिलीभगत थी, उन्होंने कहा कि जिसने भी इसके बारे में ज्यादा बात की उसे बख्शा नहीं जाएगा, हम पत्रकार हैं, इसलिए हमने इन सारी बातों का पता लगाया, उसके बाद बैठकें की गईं, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम करने और कदम उठाने की बात की गई।''*

इस प्रकार औपचारिक न्याय व्यवस्थाओं को उपेक्षित करने या उनसे बचाव करने के आसान उपाय निकाल लिए जाते हैं। पैसा इसमें प्रायः बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन अन्य वजह जैसे कि पुत्रोचित रिश्ते या जाति और वर्ग के सामाजिक नेटवर्क भी इसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं।

दुर्व्यवहार और हिंसा के मामलों में रिपोर्ट करने वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शामिल किए गए बेनामी शिकायत के प्रावधान भी सामाजिक और राजनैतिक दबदबे के आगे निरर्थक हो जाते हैं। हरियाणा की स्वाति, जिन्होंने अपने गांव में घरेलू हिंसा के एक मामले में पुलिस को गुमनाम सूचना दी थी, पुलिस से संपर्क करने के कारण खुद उनको ही खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ गया। डिस्ट्रेस कॉल प्राप्त करने पर पुलिस स्थानीय नेता के मकान पर पहुंची, और यह पूछती रही कि कॉल किसने की थी, इस तरह से घनिष्ठ ग्रामीण समुदाय के नेटवर्क में अनाम शिकायतकर्ता को आसानी से पहचाना जा सकता है।

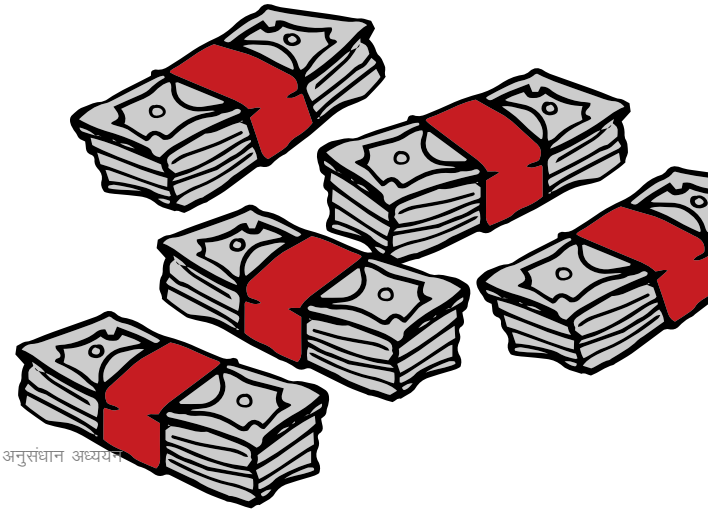

''जब अपनी नई–नई शादी होने के बाद मैं ससुराल में रहने के लिए आई, तो हमारे पड़ोस के एक घर में काफी लड़ाई होती थी। उस भयानक लड़ाई को देखकर मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद यह किसी की मौत के साथ ही खत्म होगी। इसलिए, मैंने हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से इस मामले की रिपोर्ट करने की सोची, क्योंकि उनकी लड़ाई के बीच में पड़ जाने के भय से मैं घर से बाहर कदम रखने से भी डरती थी। फिर मैंने 100 (पुलिस) हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके रिपोर्ट किया। कुछ ट्रेनिंग सेशनों में, जिनमें मैंने भाग लिया था, उनमें यह बताया गया था कि अगर हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करें तो ऐसे मामलों को गोपनीय रखा जाता है। हालाँकि जब पुलिस आई तो वह सीधे एमएलए के घर पर पहुंची और एमएलए से पूछा कि मामले की रिपोर्ट किसने की थी। इसके बाद वे मेरी पहचान का पता लगाने के लिए मेरे नंबर पर कॉल करने लगे। मैं काफी डर गई और अपने पति को बताया कि मैंने क्या किया था, और मैंने पुलिस वालों की कॉल नहीं उठाई। मैं पुलिस द्वारा मेरे नंबर पर वापस कॉल किए जाने पर इसलिए डर रही थी क्योंकि मेरे इलाके में दूसरों के निजी मामलों में दखल देने को ठीक नहीं माना जाता।''

ग्रामीण गया की निवासी माला द्वारा बताई गई घटना में भी यही परिलक्षित होता है, जिस घटना में गांव के एक निवासी ने बाल विवाह की घटना की रिपोर्ट कर दी थी और उसे भय था कि उसके पड़ोसी यह अनुमान लगाएंगे कि शिकायत उसने की थी, और इसलिए बहिष्कार करने के लिए उसे निशाना बनाया जाएगा और परिस्थितियां गंभीर हो सकती हैं। उक्त संक्षिप्त विवरण ये दिखाते हैं कि किस तरह से प्रायः यौन हमले के गंभीर मामले, कानून लागू करने वालों की सांठ–गांठ के साथ दबा दिए जाते हैं, हालाँकि तब इसका एक अन्य पहलू भी प्रकट होता है जब शोषणकर्ता खुद पुलिसवाला ही होता है।

मुम्बई की 28 वर्षीया ट्रांसजेंडर प्रतिभागी और फोटोग्राफर जीनत ने हमें उस हिंसक हमले के बारे में बताया, जिसका उनको पुलिस वालों की ओर से शिकार होना पड़ा था। सादे कपड़ों में पुलिस द्वारा उनको मरीन लाइन्स स्टेशन में ले जाया गया। निर्वस्त्र करके उनकी क्रूरतापूर्वक पिटाई की गई और एक आदमी से सेक्स करने के लिए मज़बूर किया गया, जिस दौरान आसपास खड़े पुलिस वाले फिल्म बनाते रहे और उनके साथ मारपीट करते रहे। बाद में उनको लगभग 3 बजे सुबह छोड़ा गया, जब पुलिस की शिफ्ट खत्म हुई।

''.... वे मुझे चौकी में ले गए .....उन्होंने मेरे सारे कपड़े फाड़कर अलग कर दिए और पहले तो मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा, और बाद में एक आदमी के साथ मुझे सेक्स करने के लिए कहा..... और वे मेरा वीडियो भी बना रहे थे और मुझे पीट भी रहे थे.....उन्होंने मुझे इतना ज्यादा मारा, कि मेरे हाथ सूज गए और कोई मुझे घूंसा मार रहा था, तो कोई मुझे डंडे से पीट रहा था, और कोई मुझे पट्टे से पीट रहा था....उन्होंने मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा था, और वे लोग मेरे साथ बुरी तरह मारपीट कर रहे थे, और वे उस आदमी को भी मार रहे थे, उसने कुछ गलत नहीं किया था, ...लेकिन वह भी पीटा जा रहा था, और कोई अपने मोबाइल से इसका वीडियो बना रहा था, ...उन्होंने ये सब मेरे साथ किया, और मैं बार–बार इसकी वजह पूछती रही, फिर लगभग 3 बजे सुबह के समय, जब उनकी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, तो वे मुझे छोड़कर चले गए। मुझे यह भी पता नहीं था कि साड़ी कैसे पहनते हैं, क्योंकि अक्सर मेरी मां ही मुझे साड़ी बांधने में मदद करती थीं, लेकिन किसी तरह से मैंने एक साड़ी लपेटी और बाहर आई.....मैं चुपचाप सार्वजनिक शौचालय में गई और अपने कपड़े बदले.....मैंने सलवार कमीज पहनी.....उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे पास के सारे पैसे भी उन लोगों ने मुझसे छीन लिए थे।''

भारत में, न्याय की अनौपचारिक प्रणालियां और प्रक्रियाएं, स्थानीय, विशेषकर ग्रामीण समुदायों में मज़बूत पकड़ रखती हैं।

कानून लागू करने वाले अधिकारियों जैसे कि पुलिस और अन्य द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना, और फिर इससे साफ बच निकलने के जो रास्ते उनके पास हैं, उनका जमकर दुरूपयोग किया जाना एक महत्त्वपूर्ण वजह है जो देश में महिलाओं के सक्रियतावाद की दिशा तय करती है, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामले में। 1972 का मथुरा बलात्कार कांड और 1978 में रमीजा बी वाला मामला, बलात्कार के खिलाफ ये दो शुरूआती सार्वजनिक अभियान थे, जो आज भी विशेष संदर्भ में चर्चा का विषय बनते हैं। बी की कानूनी लड़ाई के मामले में प्रतिवादी वकील (डिफेंस) ने व्यवस्थित रूप से एक आक्रामक अभियान चलाते हुए बी को सेक्स वर्कर साबित करने की कोशिश करते हुए इस पर जोर दिया था कि उसके साथ बलात्कार का वास्तव में कोई 'मुद्दा' ही नहीं था। मथुरा के मामले में न्यायालय ने ऐसा मंतव्य प्रकट किया गया था, कि वह लड़की, सेक्स की आदी थी और इसलिए 'वह इतना भयभीत नहीं हो सकती थी कि विरोध न कर सकती थी।'15 ये दोनों मामले ये दिखाते हैं कि किस तरह से जनता की विचारधारा को छिपे तौर पर प्रभावित करने के लिए, घटना के साथ सर्वाइवर के चरित्र को जोड़ दिया गया और यह साबित करने का प्रयास किया गया कि ये 'लूज/खराब चरित्र वाली' और पथभ्रष्ट महिलाएं हैं, जो जेंडर आधारित मान्य व्यवहार नहीं अपनातीं, और इसलिए ये न्याय की हकदार नहीं हैं (इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था)। यही परिपाटी, निर्भया के मामले तक देखने को मिलती है—जब यह कहा गया, कि एक जवान लड़की इतनी रात को अपने पुरूष मित्र के साथ घर से बाहर क्यों थी, और पार्क स्ट्रीट के सुजेट जोर्डन सामूहिक बलात्कार के मामले को कैसे भुलाया जा सकता है, जिसमें जोर्डन की 'पार्टी गर्ल' वाली इमेज को उनके खिलाफ बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल किया गया था। सर्वाइवर की जाति, वर्ग और सामुदायिक स्थिति एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू होती है जो यह रेखांकित करता है कि किस तरह से अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लिए न्याय मुश्किल हो सकता है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि जेंडर आधारित हिंसा के मुद्दों पर कोई सार्थक सहभागिता सुगम बनाने के लिए सिस्टम की खामियां, उदासीनता, और दंड के अभाव आदि चीज़ों के समाधान किए जाएं।

कानूनी, आपराधिक न्याय आदि औपचारिक निवारण प्रणालियों तक पहुंच में कठिनाई भी लोगों को न्याय के अनौपचारिक उपायों का सहारा लेने के लिए प्रेरित करती है। भारत में अनौपचारिक न्याय प्रणालियां और प्रक्रियाएं जैसे कि खाप पंचायतें, स्थानीय, विशेषकर ग्रामीण समुदायों में और उन पर अत्यधिक पकड़ रखती हैं। उनको कभीकभार सकारात्मक परिवर्तन लाने की भी शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन वे मोटे तौर पर रूढ़िवादी, और सामंती, पुरूष प्रधान और जातिगत हितों की यथस्थिति को बनाए रखने की कोशिश करने वाली संस्थाओं के तौर पर ही काम करती हैं। स्थानीय सरकारी संस्थाओं में भी विभिन्न प्रकार की सामाजिक और सामुदायिक रूढ़िवादिता की झलक मिलती है। हरियाणा के सुनील और स्वरूप द्वारा साझा किए गए अनुभव इसी तथ्य का चित्रण करते हैं।

महिलाओं के लिए हिंसा, विशेषकर घरों में हिंसा से निबटने में मदद के लिए एक अन्य अनौपचारिक लेकिन शायद सबसे प्रभावी संस्था महिला मंडल है। मुम्बई की अमानत ने हमें बताया कि किस तरह से स्थानीय महिला मंडल जैसे महिला संगठनों में उनकी भूमिका ने उनको महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, विशेषकर घरेलू हिंसा के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए विश्वसनीयता, और कुछ सीमा तक प्राधिकार भी प्रदान किया। एक महत्त्वपूर्ण महिला अधिकार संगठन से कई दशकों से उनके जुड़ाव ने भी उनको आत्मविश्वास दिया है।

> *''उसके बाद वह महिला चली गई और आदमी उसके पीछे चला गया। लेकिन, फिर उसने उसके साथ कुछ नहीं किया। शायद हम पहले पहुंच गए थे, इसलिए कोई विशेष घटना नहीं हो सकी थी, जैसा कि हमें अनुमान था। पूरी भीड़ हमें देख रही थी। वे शायद इसलिए ध्यान से देख रहे थे क्योंकि उनको पता था कि ये महिला मंडल की महिलाएं हैं, जो महिलाओं के लिए अपनी आवाज़ उठाती हैं। कोई हमारे साथ नहीं आया। वे बस खड़े थे और तमाशा देख रहे थे। आदमियों के साथ औरतें भी।''*

[15] Gangoli, G. (1996). The Right to Protection from Sexual Assault: The Indian Anti-Rape Campaign. Development in Practice (Taylor & Francis), 6(4), 334-340

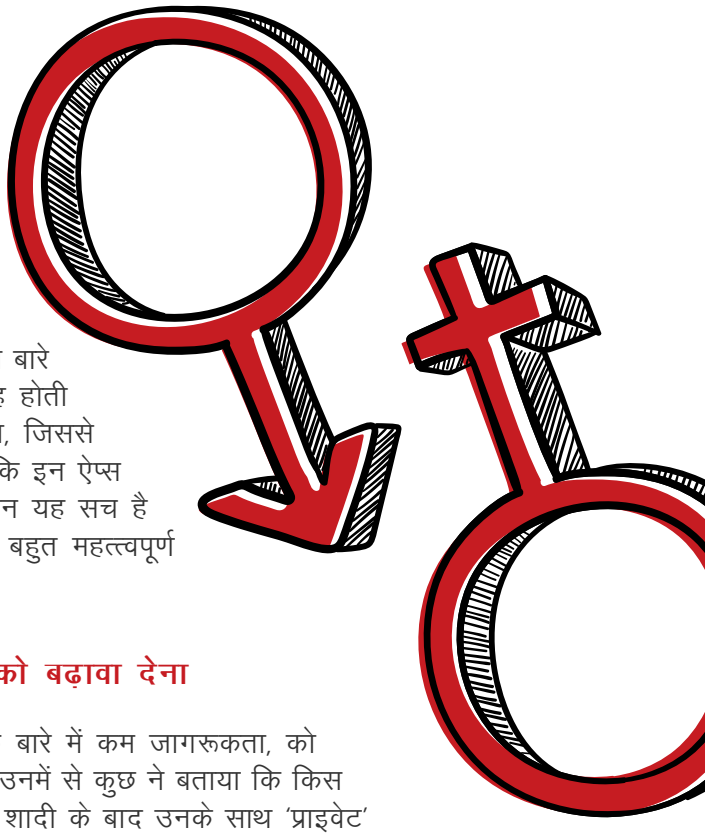

अनेक प्रतिभागियों ने बताया कि क्या करें, किससे संपर्क करें, इस बारे में जानकारी न होना भी उनके हस्तक्षेप न करने की एक वजह होती है। हैदराबाद के प्रतिभागियों ने मोबाइल ऐप्स के बारे में बताया, जिससे उनको मदद माँगने के लिए एक सम्पूर्ण प्लेटफार्म मिला। हालाँकि इन ऐप्स की प्रभावशीलता को अभी ठीक से समझा जाना बाकी है, लेकिन यह सच है कि उनका होना, हमारी कुछ महिला प्रतिभागियों के लिए एक बहुत महत्त्वपूर्ण मानसिक संसाधन साबित हुआ।

4.2. परिवारों में यौन शिक्षा और जेंडर संवेदीकरण को बढ़ावा देना

यौन शिक्षा का अभाव, माहवारी, और प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य के बारे में कम जागरूकता, को हमारी महिला प्रतिभागियों द्वारा एक गंभीर समस्या बताया गया। उनमें से कुछ ने बताया कि किस तरह से सेक्स को लेकर उनकी अस्पष्ट जानकारी के कारण ही शादी के बाद उनके साथ 'प्राइवेट' की 'सेफ्टी' में उनके पति द्वारा खराब और हिंसक व्यवहार किया गया।

मुम्बई की 40 वर्षीया अमानत ने बताया किए ''उसने बलपूर्वक मुझसे संबंध बनाया। मैं न तो ठीक से चल पाती थी, न ही बैठ पाती थी। लेकिन फिर भी मैं यह बात घर में नहीं बता सकी। मैं अपना दुखदर्द अपनी मां को बताती थी कि वह नंगा था, और मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था.....और मेरी मां मुझे लताड़ने लगती। मेरी बात पर कोई ध्यान दिए बिना, वह यही कहती कि क्या तुमको शर्म नहीं आती? इसके बाद क्या बचा! और तब से अब तक मैं इस बारे में अपने घर में बात नहीं कर पाई। ''

मुम्बई की 38 वर्षीया खदीजा ने हमें बताया कि जब पहली बार उनको माहवारी आई, तो उनकी मां ने किस तरह से उनको कुछ भी नहीं बताया कि उनके शरीर के साथ यह क्यों हो रहा था।

> *''.... 7 बजे सुबह अचानक मुझे अपने शरीर से कुछ गर्म तरल रिसता हुआ महसूस हुआ। तो मैंने अपनी मां को बताया कि लगता है कि मेरे अंदर कुछ जख्म हो गया है, खून निकल रहा है.....मेरी मां ने डांटा कि अपना मुँह बंद रखो, तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो मैंने पूछा कि आखिर ये क्या हो रहा है? अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मैं आपको नहीं बताऊंगी तो और किसको बताऊंगी। मैं अम्मा को ही बता सकती थी, क्योंकि बाकी सब लोग तो मुझसे छोटे थे।''*

आगे उन्होंने बताया

> *''उसी तरह से, जब मैंने अपनी शादी के बारे में बात की, उस समय मुझे कोई आइडिया नहीं था कि शादी के बाद क्या होता है, और सुहागरात को सुहागरात क्यों कहा जाता है, उस सुहागरात में क्या होता है। आपने हमेशा हमें यही सिखाया कि खुद को ढंक कर और छिपाकर रखो, कि हमको खुद को बचाकर रखना है, कि हमको खुद को लड़कों से, आदमियों से बचाकर रखना है। सबसे पहले तो जब ''माहवारी'' के कारण हमारा खेलकूद बंद हो जाता था, तो इससे मुझे बड़ा क्रोध आता था। यह सब क्या है। हमें ही सारी असुविधाओं, सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और फिर ऊपर से हमीं पर तरह–तरह के प्रतिबंध थोप दिए जाते हैं। ये बातें मुझे आक्रोश से भर देती थीं! दूसरी बात यह कि आपने हमें सिखाया कि खुद को हमेशा ढंक कर और छिपाकर रखना है और उसके बाद अचानक ही आप हमारी शादी कर देते हो और फिर एक आदमी के सामने हमें हमारे सारे कपड़े उतार देने के लिए कहा जाता है। वह आदमी हमसे हमारे कपड़े हटाने को कहता है और हमको ये हटाने होते हैं, क्योंकि हम उसकी बीवी हैं।''*

खदीजा और अमानत दोनों की ही शादी कम उम्र में हुई जिनके पति उनसे काफी बड़े थे, उस समय उनको कोई ज्ञान नहीं था कि सेक्स क्या होता है, या यह कब शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण बन जाता है। दोनों ने ही व्यवस्थित वैवाहिक बलात्कार को अपनी शादियां तोड़ देने की एक प्रमुख वजह बताया। अमानत की शादी उसके मामा से हुई थी, जो उससे दोगुनी उम्र का था, उसने बताया कि किस तरह से उसके पति के साथ बीती उसकी पहली रात निहायत ही डरावनी और क्रूर थी।

''पहली रात वह आया और मुझसे पूछा कि क्या उन्होंने तुमको कुछ बताया है, तो मैंने कहा कि हां, आपकी भाभी आई थीं और कहा कि जैसा तुम्हारा आदमी कहे, वैसा करती जाना, और जब उसने ये शब्द सुने, तो वह मुझ पर टूट पड़ा, और उसने मुझसे विभिन्न प्रकार से सेक्स किया। हर बार वह मुझे यही कहता कि जब मेरी भाभी ने तुम्हें बताया है कि जो भी पति कहे, तुमको वह करते जाना है, और उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि मुझे इसका पालन करना ही होगा.....और इस तरह से उसने मुझे बहुत ही दर्द दिया।''

बाल यौन शोषण की एक सर्वाइवर पायल, जिनका अनुभव हमने इस रिपोर्ट में पहले दिया है, उन्होंने भी इस बारे में बताया कि किस तरह से सेक्स और शरीर से संबंधित मामलों के बारे में कोई ज्ञान न होना, कई वर्षों तक उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार से निबटने में उनकी अक्षमता की वजह बना रहा।

''मुझे हमेशा यही लगता रहा कि मुझे यह करना पड़ेगा, यह इतने लंबे समय तक इसलिए होता रहा क्योंकि मैं इसे रोक नहीं सकती थी। मुझे याद नहीं कि इसकी शुरूआत कैसे हुई थी....मुझे लगता था कि ऐसा ही होता होगा.....दरअसल किसी ने भी मुझे इस बारे में नहीं बताया था।''

महिलाओं को सामर्थ्यहीन बनाने में परिवार की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती। ज्यादातर इंटरव्यूज में, महिलाओं के शरीर से जुड़ी इज्ज़त, की सोच को मज़बूत बनाने में परिवार की बुनियादी भूमिका पर बारम्बार जोर दिया गया, जिसके साथ यह धारणा बन जाती है कि मर्यादा से जरा सा भी विचलित होना शर्मिन्दगी, और निंदा तथा दंड की वजह बन सकता है। उदाहरण के लिए, ज़ैनब ने इस बारे में विस्तार से बताया कि किस तरह से उनकी मां ने महिला शरीर को लेकर 'पाप' की धारणाएं उनके मन में गहरे तक बिठाने की भरसक कोशिशें कीं, और वह इनका सामना आज तक कर रही हैं।

''कुछ भी, जो हमारे परिवार में नहीं होता रहा था, अगर हम वह करते तो उसे पाप माना जाता, या यह कहा जाता कि ''लड़की बिगड़ जाएगी।'' उदाहरण के लिए, एक साल पहले मैंने यौन शोषण वाला एक फोटो अपलोड किया और फोटो में कुछ घरेलू हिंसा की झलक दिखाई गई थी, उसमें वक्ष तक मेरा चेहरा दिखता था, लेकिन मैंने टॉवल पहनी हुई थी, और मेरा अकाउंट सार्वजनिक था, और कुछ रिश्तेदारों ने इसे देखा और मेरी मां को यह सब बताया, और उसके बाद अगले छह महीने तक मुझ पर लानतें भेजी जाती रहीं, मेरे पिता ने मुझे डांटा, मेरी मां ने मुझे डांटा, उन्होंने कार में, मेरी बहन के सामने, मेरी 24-25 साल की उम्र के समय, मुझे 'वेश्या' कहा, उन्होंने कहा कि ''तुम एक वेश्या हो, क्या तुम बेदाग हो? वह फोटो डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?'' यह उनके सवाल थे....मुझे माफी माँगनी पड़ी, ...मुझे अपना अकाउंट बंद करना पड़ा, मेरा फोटो हटाना पड़ा, और मेरा कजिन जिसने यह शिकायत की थी, जो मुझसे छोटा था, उसने यह भी कहा कि ''देखो, वह डॉक्टर बनने के बाद एक वेश्या बन गई है।'' ''उसने यह मेरी आंटी से कहा, जिन्होंने नमकमिर्च लगाकर फोन पर मेरी मां को यह सब बताया और मेरी मां ने मुझसे कहाए ''देखो, वह बच्चा भी तुम्हें वेश्या कह रहा है।'' हालाँकि मैंने अपना अकाउंट बंद कर दिया था, लेकिन मेरी आंटी ने तब भी यह कहाए ''तुमने हमें भी शर्मसार कर दिया है।'' और मैं बस यह सोच रही थी कि क्या कोई मेरा भी पक्ष सुनेगा? क्या मैं आपको समझाऊं कि वह फोटो किस बारे में था, ताकि आपको एहसास हो, कि आप जो सोच रहे हैं, वैसा नहीं था? लेकिन, मैं अपने परिवार को नहीं समझा सकती थी, वहां तो बस एकतरफा संवाद था, उनको कहना था और मुझे सुनना होता था। मैं बोल नहीं सकती थी, क्योंकि इसके लिए अभी मेरी उम्र नहीं थी। मुझे अनुभव नहीं था और एक औरत के तौर पर मैं इस बारे में अपनी बात रखने के योग्य नहीं मानी गई थी। मैंने पाप कर दिया था, इसलिए मुझे बस चुप ही रहना चाहिए।'' [कांपती आवाज़ के साथ]

हमारे कुछ (हालांकि बहुत कम) प्रतिभागियों ने बताया कि उनके परिवारों ने उनको खुद में विश्वास करने की ताकत प्रदान की। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सकारात्मक ढंग से पालन–पोषण का विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण प्रभाव, मुम्बई के शर्मिला और हैदराबाद की अनुश्री द्वारा साझा किए गए अनुभवों में दिखता है। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके अभिभावक, और उनके घर, ऐसे सकारात्मक स्पेस थे जहां यौवनारंभ, माहवारी, सेक्स आदि विषयों पर खुलकर बात की जाती थी, और वह शुरूआत से ही ज्यादातर मुद्दों को लेकर जागरूक बन गई थीं। यह सक्षम बनाने वाला परिवेश, अमानत, खदीजा, साक्षी, सोनालिका, ज़ैनब और अन्य अनेक लोगों द्वारा बताए गए अनुभवों के विपरीत था, जिनके लिए परिवार कभी भी ऐसा सुरक्षित स्पेस नहीं बन सका था जहां वे अपने उद्वेगों और चिंताओं को खुलकर बता सकतीं।

अंत में, इस अनुभाग में उन विभिन्न वजहों को संक्षेपित करने का प्रयास किया गया है जो बाइस्टैण्डर्स को कदम उठाने से रोकती हैं। प्रभावशाली निवारण प्रणालियों का अभाव, और सिस्टम की बेरूखी, प्रमुख रूकावटें हैं। कानूनी सिस्टमों की विफलता इसलिए है क्योंकि या तो उनको लागू करने के तरीके निष्प्रभावी होते हैं, या फिर अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करने वाले इसकी कमियों का लाभ उठाते हैं और मामलों को दबा देते हैं–जैसा कि जीनत के अनुभव से स्पष्ट है, जिसके मामले में अनुचित आचरण करने वाले पुलिसवाले आज भी बेदाग घूम रहे हैं। कलंकित किए जाने, और हिंसा के लिए खुद ही दोषी ठहराए जाने का भय भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो महिलाओं को खुद के लिए, या दूसरों के लिए आवाज़ उठाने से रोक देता है। प्रभावशाली सामाजिक नियम, जो आक्रामक जेंडर मानदंडों और रूढ़ियों को तय करते हैं, वे हिंसा के सामान्यीकरण में बुनियादी भूमिका निभाते हैं, और महत्त्वपूर्ण रूप से, जैसा कि अधिकांश प्रतिभागियों ने उल्लेख किया, कि परिवार प्रायः निगरानी और जेंडर अनुकूलन की प्राथमिक इकाई के तौर पर कार्य करता है।

5. चिंतनः घटनाएं बनाम रोज की ज़िंदगी

इस रिपोर्ट में, बाइस्टैण्डरों और सर्वाइवरों के नजरियों से, उनके कदमों को तय करने वाली प्रक्रियाएं उजागर करने का प्रयास किया गया है। विस्तृत विवरण वाला जो स्वरूप हमने प्रयोग किया वह इसका स्पष्ट, सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करता है कि किस तरह से जेंडर आधारित भूमिकाओं और तौर–तरीकों को दैनिक मान्यता देते हुए जेंडर की व्यवस्थित ढंग से रचना की जाती है। यह जेंडर आधारित विचारधाराओं की उन सीढ़ियों को स्पष्ट करता है जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा वाली गतिविधियों में स्पष्ट होती है और उन विचारधाराओं को मज़बूती प्रदान करती है। इसका अर्थ है कि हिंसा के रोजमर्रा के स्वरूपों का सावधानी से अध्ययन किया जाना चाहिए, जो हिंसा पर प्रतिक्रियाएं निर्धारित करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। हस्तक्षेप का अर्थ केवल शोषणकर्ताओं का सामना करना ही नहीं है, बल्कि इसका अर्थ गहराई तक जड़ें जमाने वाले उन तौर–तरीकों को चुनौती देना भी है, जो महिलाओं को जेंडर के खांचे में इस तरह से बांध देते हैं जहां उनके लिए ये बंधन तोड़ना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक बनावट और शक्तिशाली संरचनाओं के बारे में व्यापक सवाल खड़े किए बिना, सार्थक तथा दूरगामी प्रभावों वाले हस्तक्षेप संभव नहीं हैं। दिल्ली की एक पत्रकारिता की छात्रा सितारा ने अपने अनुभव के माध्यम से इसे बेहतरीन तरीके से व्यक्त किया,

> *''....लोगों ने हिंसा को इस तरह सामान्यीकृत बना दिया है, कि किसी लड़की के साथ कुछ भी हो रहा हो, आपसे यही उम्मीद की जाती है कि आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, बस इसे खुद तक ही रखेंगे और भुला देंगे। हमें क्यों भुला देना चाहिए? आपको सवाल क्यों नहीं खड़े करने चाहिए? परिवार की इज्ज़त, समाज का प्रभाव, हमारी आज़ादी छीन लेते हैं, मुझे लगता है कि भारत में हमने इतना जटिल प्रकार का समाज निर्मित किया है जहां हम माताओं बहनों को गालियों में ही इस्तेमाल करते हैं। हमने हर चीज़ को सामान्य बना दिया है, रेप कल्चर आदि को भी। अगर हम कुछ बदलना चाहें, तो हमें कहानियां बदलनी पड़ेंगी, लेकिन जब हम तेरे नाम (फिल्म) जैसी कहानियां देखते हैं, तो हम वे गाने देखते हैं जहां महिलाओं को केवल आंखें सेंकने की चीज़ों की तरह माना जाता है.....कोई भी कदम उठाने से पहले एक लड़की को कितनी सारी बातों पर विचार करना होता है, उसे अपने माता–पिता की इज्ज़त का ख्याल करना होता है, अपने परिवार के सम्मान का ध्यान रखना होता है। यह सब सोचने की ज़िम्मेदारी हमारी ही क्यों?''*

अंत में, हम इस बारे में कुछ विचार करेंगे कि स्पेस की विचारधाराएं, तथा 'दूसरों को अन्य के नज़रिए से देखने' की प्रक्रियाएं जो सामाजिक पहचानों से प्रभावित होती हैं, वे महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को समझने के मामले में किस तरह से महत्त्व रखती हैं। हमने महिलाओं की सुरक्षा के प्रश्न को लेकर वर्तमान संरक्षणवादी तरीके के बजाय, जिसमें कि महिलाओं को रक्षा करने लायक वस्तुओं की तरह देखा जाता है, एक निर्णायक बदलाव लाने का दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया है, जो महिलाओं की अधिकारिता, तथा स्पेसों में उनकी पूरी पहुंच के अधिकार को मान्यता देता है।

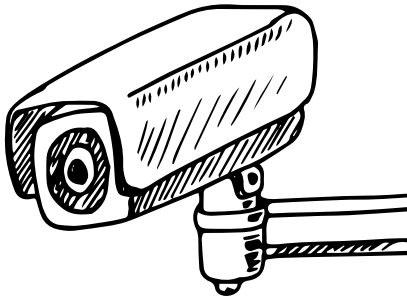

5.1. लड़कियां केवल आनंद से रहना चाहती हैं: महिलाओं की सुरक्षा के मसले का 'संरक्षण' से 'आनंद' की ओर बदलाव

सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक परिवहन में हिंसा के प्रति राज्य का नज़रिया हमेशा ही संरक्षणवादी रहा है। केवल महिलाओं के स्पेशल बसों और मेट्रो कम्पार्टमेन्ट्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने आदि जैसे संरक्षणवादी उपाय, समस्या का केवल आंशिक समाधान करते हैं। बाद में प्रचलित नई तकनीकों वाले हस्तक्षेप उपायों जैसे कि सेफ्टी ऐप, जिनका हैदराबाद से हमारे कुछ प्रतिभागियों द्वारा उल्लेख किया गया, उनको बहुत प्रशंसनीय मानते हुए उन पर जोर दिया गया है। हालाँकि, मोटे तौर पर, ये विधियां, हिंसा की घटनाएं हो जाने के बाद प्रतिक्रियास्वरूप किए जाने वाले उपाय ही हैं। इसके अलावा, वे सुरक्षा का दायित्व महिलाओं और लड़कियों पर डालती हैं। कुछ मामलों में, जैसे कि सेफ्टी ऐप्लिकेशनों के मामले में, जनसंख्या का बड़ा वर्ग बाहर हो जाता है, जो स्मार्टफोन से वंचित है, जबकि यह ज्यादातर तकनीक आधारित समाधानों के लिए एक पूर्वआवश्यकता बन चुकी है। इसके अलावा, ऐसे प्रयास उन मानसिकताओं में बदलाव लाने के लिए कुछ नहीं करते, जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को जायज मानती हैं। इसलिए ऐसे पूर्वसक्रिय उपायों पर विचार करना अनिवार्य हो जाता है जो महिलाओं की आज़ादी और पहुँच की क्षमताओं को बाधित किए बिना उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हों।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आधिकारिक और जनप्रिय बहसों में महिलाओं के लिए आनंद के विचार को शामिल किए जाने की ज़रूरत है–मुक्त विचरण करने और दुनिया से स्वतंत्र ढंग से व्यवहार करने के उनके अधिकार, और आनंद प्राप्त करने व खुशी अनुभव करने के उनके अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए। विशेषकर युवा माहिलाओं से हमारे इंटरव्यूज में, नैतिक प्रतिबंधों और टोकाटाकियों से परे, सभी स्पेसों में समान पहुंच की उनकी यह चाहत उभरकर सामने आई। शकील द्वारा साझा किया गया विवरण (अनुभाग 3.4.7, पेज. 28) कि किस तरह से निगरानी करने से लड़कों के छेड़छाड़ वाले व्यवहार पर लगाम लगाने में मदद मिली, यह हमें दूसरे पहलू के बारे में नहीं बताता: कि इसके बाद किसी लड़के से संभावित व्यवहार को लेकर लड़कियां भी निगरानी में आ गई थीं। संरक्षण के जाल तैयार करने वाले परिवार और समाज, महिलाओं को सांस्कृतिक और समाज स्वीकृत जेंडर आधारित तौर–तरीकों के दायरों में बांध देते हैं।

इसके अलावा, सुरक्षा को लेकर बहस मोटे तौर पर सामान्यतः मध्यवर्गीय महिलाओं पर केंद्रित हैं, जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वे उच्च जाति की सक्षम परिवारों की, प्रायः युवा और सदैव इतरलिंगकामी (हेटेरोसेक्सुअल) होती हैं, इस बंधे–बंधाए सांचे में फिट न होने वाली महिलाओं को छोड़ दिया जाता है। इसका उप–परिणाम यह है कि उनके लिए, ऐसे पुरूषों से हिंसा का जोखिम उत्पन्न हो जाता है जो उसी सामाजिक समूह के नहीं होते, अर्थात वह 'निम्न–वर्ग' के होते हैं, और हिंसक माने जाते हैं। इस धारणा में एक बात छोड़ दी जाती है, जिसे हमारे डाटा में स्पष्ट किया गया है, वह यह है कि हिंसा, बाहर के स्पेस में अज्ञात अजनबियों द्वारा तो की ही जाती है, लेकिन उसके साथ यह ज्यादातर 'घर' के भौतिक और सामाजिक संरचित स्पेस में निरंतर दैनिक गतिविधि के रूप में की जाती है, और जिसमें मध्य–वर्गीय घर भी शामिल हैं।

और उन महिलाओं का प्रश्न अपनी जगह है, जो पिछले पैराग्राफ में दिए आदर्श खांचे में फिट नहीं होतीं। उदाहरण के लिए, प्रसाद ने अपनी बातचीत में हमें बताया कि उन्होंने किस तरह से एक प्रवासी महिला और सड़कों पर रहने वाली एक महिला को नियमित हिंसा का शिकार होते देखा। महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य की व्यवस्थाओं में इन दो प्रकार की महिलाओं के विषय में कदाचित ही बात की गई है–प्रवासी श्रमिक और सड़को पर भटकने वाली महिलाएं, जो निर्धनता के कारण असुरक्षा के दुश्चक्र में जीवनयापन करती रहती हैं। कोलकाता से एक प्रतिभागी तारिणी, जिनकी मां एक पेशेवर सेक्स वर्कर हैं, ने हमें बताया कि किस तरह से उनकी मां के पेशे की वजह से उनको समाज में हर कहीं तिरस्कार और उपहास का पात्र बनना पड़ा। उनको उनके घर से काफी दूर स्थित स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया था, ताकि कलंक से भी बचाव हो सके और उनकी पृष्ठभूमि की वजह से पुरूषों द्वारा उनको भी गलत इरादों से देखे जाने से सुरक्षा हो सके। जब हमारे इंटरव्यूज का दूसरा चरण चल रहा था, उसी समय हाथरस

[16] https://www.indiatoday.in/india/story/dead-tribal-woman-gave-consent-for-sterilisation-227441-2014-11-17

में कथित तौर पर एक प्रभुत्वशाली जाति के लोगों द्वारा एक युवा दलित लड़की के बलात्कार का मामला चर्चित हुआ था, और हमारे कुछ प्रतिभागियों ने इसका उल्लेख किया कि वे इस घटना की क्रूरता से किस तरह से विचलित हुए, और किस तरह से सरकारी तंत्र ने इस मामले को बेहद खराब तरीके से हैंडल किया। कोलकाता की दो प्रतिभागियों सोनालिका और अनन्या ने, जो विकास क्षेत्र में कार्य करती हैं, जनजातीय/आदिवासी समुदायों की महिलाओं की स्थिति की तरफ ध्यान खींचा, जिनसे उन्होंने अपने कार्य के दौरान संपर्क किया था। सोनालिका ने राज्य द्वारा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में की गई जबरन नसबंदी का वर्णन किया; ये घटनाएं, सीमांत आदिवासी समुदायों में महिलाओं के शरीर के बारे में उनके अपने दृष्टिकोण को उपेक्षित करते हुए, उनके जीवन और अधिकारों का नियमित रूप से अवमूल्यन करती हैं।[16]

इसी प्रकार से, भारत में वर्ग, जाति, नृजातीयता, जेंडर, और निःशक्तता आदि व्यापक शक्तिशाली गुणों द्वारा निर्धारित किए जाने के कारण स्पेस, मौलिक रूप से बहिष्कारवादी है। स्पेस मूल रूप से सुरक्षित या असुरक्षित नहीं होता,—बल्कि सामाजिक—राजनैतिक गतिशीलताएं इसे ऐसा बनाती हैं। हमारे इंटरव्यूज से यह उजागर हुआ कि किस तरह से 'निजी' और 'सार्वजनिक' का स्पष्ट प्रतीत होने वाला विभाजन, काफी धुंधला हो जाता है, यह एक विशेष बात है, जिस पर घरेलू हिंसा के मामलों में हस्तक्षेप के अनेक उदाहरणों में जोर दिया गया। अनेक शोषणकर्ताओं द्वारा बाइस्टैण्डरों की ओर से हस्तक्षेप से बचाव के लिए 'निजी' की धारणा को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। किसी सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के स्पष्ट मामले को दो लोगों के बीच नातेदारी या (रोमांटिक) साझेदारी का संबंध बताते हुए सरलता से निजी मामला घोषित किया जा सकता है। निजी की यह धारणा, देखने वाले को तत्काल यह अहसास कराती है कि मामले में उसका हस्तक्षेप उचित नहीं है।

इसके अलावा, नैतिक नियमों का पहलू, कुछ निश्चित महिलाओं को अन्य की अपेक्षा अधिक तिरस्कृत बनाता है। महिलाओं को संरक्षित करने, और उन्हें सुरक्षित रखने की धारणा से सदैव यह बात भी जुड़ी रहती है कि किस तरह की महिलाओं को संरक्षित किए जाने की ज़रूरत है, या वे इसके योग्य हैं। यह तय करने वाले नियम, व्यापक सामाजिक—राजनैतिक और सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। इसलिए, संरक्षण और बचाव की भाषा, जो कि पुरूष प्रधान मूल्यों के साथ बुनी हुई है, के बजाय ऐसी समावेशी सोच की दिशा में बदलाव बहुत मायने रखता है, जहां हम सभी लोगों के लिए स्पेस खुले होने और सुलभ होने की कल्पना कर सकें।[17]

5.2 अंत में: बाइस्टैण्डर के हस्तक्षेप की रिफ्रेमिंग

इस अनुसंधान के तीन मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए, जो नीचे दिए गए हैं:

- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे में बाइस्टैण्डर्स की जानकारी की पड़ताल करना, अर्थात वे किन कदमों और घटनाओं को हिंसा मानते हैं और इसलिए उनमें प्रतिक्रिया की ज़रूरत महसूस करते हैं।
- उन वजहों की पड़ताल करना जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होते देखने पर बाइस्टैण्डर्स को हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित या हतोत्साहित करती हैं।
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की किसी घटना में हस्तक्षेप के लिए बाइस्टैण्डर्स के कदमों के प्रभावों की पड़ताल करना।

इस अनुभाग में हमने इनमें से हर एक मुद्दे के बारे में बारी—बारी से लाए गए डाटा को संक्षेपित किया है।

5.2.1. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे में समझ

इस अनुसंधान का डाटा सर्वप्रथम इंगित करता है कि प्रतिभागियों ने कई प्रकार की घटनाओं का वर्णन करने के लिए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा शब्द का प्रयोग किया, जिनमें उनके विचार में हिंसा हुई थी, अर्थात यह केवल शारीरिक

[17] Phadke, S. (2013). Unfriendly Bodies, Hostile Cities: Reflections on Loitering and Gendered Public Space; Why Loiter. Economic and Political Weekly, 48(39), 50-59.

हिंसा तक ही सीमित नहीं था। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि कई प्रतिभागियों ने कभी न कभी थोड़ा–बहुत जेंडर संवेदीकरण प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इसके बावजूद महिलाओं के विरुद्ध देखी गई हिंसा का वर्णन करने के लिए कहने पर ज्यादातर ने घरेलू हिंसा की प्रचलित गतिविधियों का हवाला दिया। इससे प्रतीत होता है कि सोचने का एक निश्चित तरीका है जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को सर्वप्रथम शारीरिक हिंसा से जोड़ता है, चाहे व्यक्ति महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की व्यापक प्रकृति को समझते हों।

डाटा से प्राप्त दूसरा महत्त्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्रायः हिंसा होती देखने पर लोगों ने तत्काल इसे गलत माना, चाहे इसे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा साबित करने, और हिंसा के बिना महिलाओं के जीवन जीने के अधिकार के बारे में वर्णन करने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। इस तरह से, हस्तक्षेप के लिए बाइस्टैण्डर्स को प्रेरित करने के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कम करने के प्रयासों में, बाइस्टैण्डर्स को विशिष्ट भाषा से भी लैस किया जाना ज़रूरी है, ताकि वे इसकी पहचान कर सकें कि वे किस बात के खिलाफ कदम उठा रहे हैं।

5.2.2. हस्तक्षेप की वजहें

लोगों को हस्तक्षेप करने या न करने के लिए कौन सी बात प्रेरित करती है, इसका उत्तर आसान नहीं है क्योंकि इस बारे में प्रतिभागियों के वर्णन जटिल हैं। मुख्य बिंदु यह निकलकर सामने आता है कि व्यक्ति सही कार्य करना चाहते हैं, प्रायः वे ऐसे मामलों में कदम उठाना अपना कर्तव्य मानते हैं। हालांकि सही गलत की उनकी सोच, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे में उनकी जानकारी के आधार पर पहले से तय होती है।

हस्तक्षेप को प्रायः महिलाओं के संरक्षण के विचार से जोड़कर देखा जाता है, और हालाँकि यह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की किसी घटना का समाधान करने के मामले में कारगर हो सकता है, लेकिन यह पुरुष प्रधान धारणाओं को मज़बूत बना सकता है। अतः एक प्रभावी हस्तक्षेप और जेंडर आधारित भूमिकाओं के पारंपरिक स्वरूपों की अस्वीकृति के बीच कोई सीधी रेखा नहीं होती, अर्थात वे समतुल्य नहीं हैं।

महिलाओं के संरक्षण की भावना से प्रेरित हस्तक्षेप के प्रकार, महिलाओं के शरीर पर आधारित होते हैं, जिनको परिवार और समाज की इज्ज़त का वाहक माना जाता है, जैसा कि साहित्य समीक्षा अनुभाग में वर्णन किया गया है। इस तरह से, हस्तक्षेप करने वाला काफी हद तक उससे प्रभावित होता है जिसे वह कदम उठाने के लिए 'सुयोग्य' पाता है, अर्थात महिलाओं को दूसरों से सपोर्ट के लिए नैतिक रूप से सुयोग्य माना जाता है, जैसा कि अनुभाग 5.1 में वर्णन किया गया है। यह उन प्रतिभागियों, अधिकांशतः महिलाओं, के एकदम विपरीत है, जो स्वयं सहन की गई हिंसा और अन्याय के कारण आक्रोश से भरी हुई थीं, और दूसरों के साथ ऐसा होते देखने पर उनका क्रोध उबल पड़ा। यह प्रेरणा, सपोर्ट हेतु महिलाओं के सुयोग्य या अयोग्य होने में भेद नहीं करती, और हस्तक्षेप को सुरक्षित रहने के एक अधिकार के रूप में देखती है।

इस अनुभाग में वर्णित अंतिम महत्त्वपूर्ण मुद्दा, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कदम उठाने से संबंधित है। अनेक प्रतिभागियों ने खुद अकेले होने की स्थिति में हस्तक्षेप की कठिनाई का वर्णन किया; उन सबने कहा कि सामूहिक रूप से कदम उठाना काफी अधिक सुरक्षित रहता है। हालाँकि इससे यह प्रश्न खड़ा होता है कि अचानक हिंसा का कोई मामला होते देखने पर स्वतः प्रेरित समूह कैसे तैयार किया जाए। इसमें एक समस्या यह भी थी कि अनेक प्रतिभागियों ने हस्तक्षेप के नकारात्मक परिणामों का भय भी प्रकट किया। क्या सार्वजनिक है और क्या निजी है, इस बारे में धारणाएं इस मुद्दे को और भी जटिल बना देती हैं। हमारे इंटरव्यूज से यह पता चला कि किस तरह से 'निजी' और 'सार्वजनिक' को स्पष्ट दिखने वाली विभाजन रेखा, खासतौर से घरेलू हिंसा के मामले में काफी धुंधली हो जाती है। अनेक शोषणकर्ताओं द्वारा बाइस्टैण्डरों की ओर से हस्तक्षेप से बचाव के लिए 'निजी' की धारणा को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया।

किसी सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के स्पष्ट मामले को दो लोगों के बीच नातेदारी या (रोमांटिक) साझेदारी का संबंध बताते हुए सरलता से निजी मामला घोषित किया जा सकता है। निजी की यह धारणा, अवलोकन करने वाले को तत्काल यह संकेत देती है कि मामले में उसका हस्तक्षेप वांछित नहीं है।

अंत में यह रिपोर्ट उन्हीं तथ्यों पर बल देती है, जिनको इस रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार से कहा गया है। तत्काल हस्तक्षेप के साथ ऐसे दूरगामी संस्थागत उपायों की भी ज़रूरत है, जो हिंसा का सामना करने वालों, तथा हस्तक्षेप करने वालों को सपोर्ट कर सकें। इन संस्थागत प्रणालियों में औपचारिक के अलावा अनौपचारिक सामाजिक प्रणालियां भी शामिल हैं। हस्तक्षेप करने या न करने के कोई नियम बदलने की ही नहीं, बल्कि स्थायी प्रभाव के लिए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और जेंडर आधारित भेदभाव की गहरी समझ विकसित करना आवश्यक है, जो हस्तक्षेप वाली गतिविधियों को प्रेरित करती है।

संदर्भ सूची

1. Abraham, J. (2010). Veiling and the Production of Gender and Space in a Town in North India: A Critique of the Public/Private Dichotomy. *Indian Journal of Gender Studies, 17(2)*, pp.191-222. Sage publications. 10.1177/097152151001700201
2. Agarwal, B. (1994). *A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia.* Cambridge University Press. ISBN: 0521429269, 9780521429269
3. Agnes, F. (1992). Protecting Women against Violence? Review of a Decade of Legislation, 1980-89. *Economic and Political Weekly, Vol. 27(17)*, pp. WS19-WS21+WS24-WS33. https://www.jstor.org/stable/4397795
4. Agnes, F. (2008). Family Courts: From the Frying Pan into the Fire? In The Lawyers 4, reprinted in Mary E John (ed), *Women's Studies in India: A Reader.* Penguin Books.
5. Agnes, F. (2013). No Shortcuts on Rape: Make the Legal System Work. *Economic and Political Weekly, 48(2)*, 12-15. Jstor. https://www.jstor.org/stable/23391173
6. Arora, K., & Jain, S. (2020, August 303). *Locked-down: Domestic Violence Reporting in India during COVID-19. Oxfam India.* https://www.oxfamindia.org/blog/locked-down-domestic-violence-reporting-india-during-covid-19
7. Arunima, G. (1995). Matriliny and its Discontents. *India International Centre Quarterly, 22(2/3)*, 157-167. Jstor. https://www.jstor.org/stable/23003943
8. Bailey, F. G. (1960). *Tribe, Caste, and Nation: A Study of Political Activity and Political Change in Highland Orissa*. Manchester University Press.
9. Bannerji, H. (2000). Projects of Hegemony: Towards a Critique of Subaltern Studies' 'Resolution of the Women's Question.' *Economic and Political Weekly, Vol. 35(11)*, 902-920. Jstor. -
10. Bharat, S. (1991). Research on families with problems :Utility, limitations and future directions. In *M.Desai (Ed.), Research on families with problems in India, Vol.2.* Bombay: TISS.
11. Bharat, S. (1991). Research on family structure and problems. In S. Bharat (Ed.), *Research on families with problems in India, Volume I.* Mumbai: TISS.
12. Bhattacharya, N. (1996). Remaking custom: The discourse and practice of colonial codification. In *Tradition, dissent and ideology: essays in honour of Romila Thapar (pp. 20-51).* New Delhi: Oxford University Press.
13. Bhattacharyya, R. (2014). Understanding the spatialities of sexual assault against Indian women in India. *Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography,* 22(9), 1340-1356. Taylor and Francis. DOI: 10.1080/0966369X.2014.969684
14. Bhattacharyya, R. (2016). Street Violence against Women in India: Mapping Prevention Strategies. *Asian Social Work and Policy Review, 10(3),* 311-325. Wiley online library. DOI: 10.1111/aswp.12099
15. Butalia, S. (2002). *The Gift of A Daughter: Encounters with Victims of Dowry.* Penguin UK. ISBN 9352141490, 9789352141494

16. Chakrabarty, D. (1995). Radical Histories and Question of Enlightenment Rationalism: Some Recent Critiques of "Subaltern Studies". *Economic and Political Weekly,* 30(14), 751-759. https://www.jstor.org/stable/4402598

17. Chakravati, U. (1989). Whatever happened to the Vedic Dasi? Orientalism, nationalism and a script for the past. In *Recasting women: Essays in colonial history* (pp. 27-87). Kali for Women.

18. Chaudhuri, M. (2012). Feminism in India: the Tale and its Telling. *Revue Tiers Monde,* (1), 19-36.

19. Chowdhry, P. (1997). Enforcing cultural codes: Gender and violence in northern India. *Economic and Political Weekly,* 1019-1028.

20. Das, T. K., Alam, M. F., Bhattacharyya, R., & Parvin, A. (2015). Causes and Contexts of Domestic Violence: Tales of Help-Seeking Married Women in Sylhet, Bangladesh. *Asian Social Work and Policy Review,* 9(2), 163-176. DOI: 10.1111/aswp.12055

21. Das, V. (1993). Sociological Research in India: The State of Crisis. *Economic and Political Weekly,* 28(23), 1159-1161. Jstor. https://www.jstor.org/stable/4399815

22. Despande, S. (1994). Crisis in Sociology: A Tired Discipline? *Economic and Political Weekly,* 9(10), 575-576. Jstor. https://www.jstor.org/stable/4400900

23. Devika, J. (2005). The Aesthetic Woman: Re-Forming Female Bodies and Minds in Early Twentieth-Century Keralam. *Modern Asian Studies,* 39(2), 461-487.

24. Dyahadroy, S. (2009). Exploring Gender, Hindutva and Seva. *Economic and Political Weekly,* 44(17), 65-73. Jstor. https://www.jstor.org/stable/40279187

25. Fenster, T. (2005). The Right to the Gendered City: Different Formations of Belonging in Everyday Life. *Journal of Gender Studies,* 14(3), 217–231. Taylor & Francis. DOI: 10.1080/09589230500264109

26. Forbes, G. H. (2005). *Women in Colonial India: Essays on politics, medicine, and historiography.* Orient Blackswan.

27. Gangoli, G. (1996). The Right to Protection from Sexual Assault: The Indian Anti-Rape Campaign. *Development in Practice (Taylor & Francis),* 6(4), 334-340. Jstor. https://www.jstor.org/stable/4028840

28. Geetha, V. (2007). *Patriarchy. Stree* - Samya books.

29. Ghosh, D. (2004). Household Crimes and Domestic Order: Keeping the Peace in Colonial Calcutta, c. 1770-c. 1840. *Modern Asian Studies,* 38(3), 599-623. https://www.jstor.org/stable/3876683

30. Ghosh, S. (2000). Hum Aapke Hain Koun...!: Pluralizing Pleasures of Viewership. *Social Scientist,* 28(3/4), 83-90.

31. Gupta, R. (2012, November 29). *Sexual violence in Indian cities.* Open Democracy. https://www.opendemocracy.net/en/5050/sexual-violence-in-indian-cities/

32. Jain, D., & Banerjee, N. (1985). *Tyranny of the household: Investigative essays on women's work.* Shakti Books.

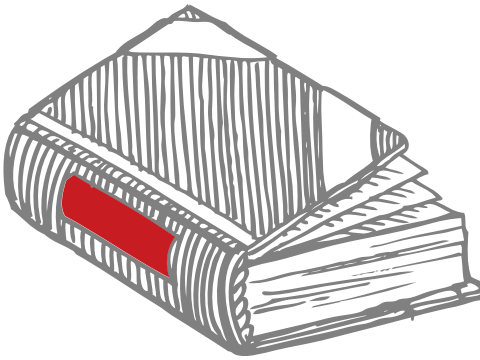

33. Jain, D., Rajput, P., & Oo, Z. M. (2003). Narratives from the Women's Studies Family Recreating Knowledge. *Gender, technology and Development,* 7(2), 265-270. DOI: 10.1080/09718524.2003.11910086

34. John, M. E. (2008). Introduction. In *Women's studies in India:* A reader (pp. 1-19). New Delhi: Penguin.

35. John, M. E., & Nair, J. (1998). *A Question of Silence: The sexual economies of modern India.* Kali for Women. ISBN: 81-86706-08-9

36. Kannabiran, K. (2006). Three-Dimensional Family: Remapping a Multidisciplinary Approach to Family Studies. *Economic and Political Weekly,* 41(42), 4427-4433. Jstor. -

37. Kannabiran, K. (2009). The Law, Gender and Women. *Economic and Political Weekly,* 44(44), 33-35. Jstor. https://www.jstor.org/stable/25663730

38. Kannabiran, K., & Kannabiran, V. (1996). Gendering Justice. *Economic and Political Weekly,* 31(33), 2223-2225. Jstor. -

39. Kapur, R. (2001). Imperial parody. *Feminist Theory (SAGE Publications),* 2(1), 79-88. DOI: 10.1177/14647000122229389

40. Karlekar, M. (1998). Domestic Violence. *Economic and Political Weekly,* 33(27), 1741-1751. Jstor. https://www.jstor.org/stable/4406963

41. Karlekar, M. (2005). Encountering Violence. In *Writing the Women's Movement–a Reader* (pp. 296-99). Zubaan.

42. Kodoth, P. (2001). Courting Legitimacy or Delegitimizing Custom? Sexuality, Sambandham, and Marriage Reform in Late Nineteenth-Century Malabar. *Modern Asian Studies,* 35(2), 349-384. Jstor. https://www.jstor.org/stable/313121

43. Kolenda, P. (1967). Regional differences in Indian family structure. *Regions and Regionalism in South Asian Studies: An Exploratory Study, Duke University Monographs and Occasional Papers Series 5.*

44. Krishnaraj, M. (1990). Women's Work in Indian Census: Beginnings of Change. *Economic and Political Weekly,* 25(48/49), 2663-2672. Jstor. https://www.jstor.org/stable/4397066

45. Kumar, R. (1993). *The history of doing: An account of women's rights and feminism in India.* New Delhi: Zubaan.

46. Loomba, A. (1993). Dead Women Tell No Tales: Issues of Female Subjectivity, Subaltern Agency and Tradition in Colonial and Post-Colonial Writings on Widow Immolation in India. *History Workshop Journal (Oxford University Press),* 36(Colonial and Post-Colonial History), 209-227. Jstor. https://www.jstor.org/stable/4289259

47. Madan, M., & Nalla, M. K. (2016). Sexual Harassment in Public Spaces: Examining Gender Differences in Perceived Seriousness and Victimization. *International Criminal Justice Review,* 26(2), 80-97. DOI: 10.1177/1057567716639093

48. Mani, L. (1987). Contentious Traditions: The Debate on Sati in Colonial India. *Cultural Critique (University of Minnesota Press),* No. 7(The Nature and Context of Minority Discourse II), 119-156. DOI: 10.2307/1354153

49. McDowell, L. (1999). *Gender, Identity, and Place: Understanding Feminist Geographies.* University of Minnesota Press.

50. Menon, N. (2009). sexuality, caste, governmentality: contests over 'gender' in India. *Feminist Review (Sage Publications), south asian feminisms: negotiating new terrains (2009)*(91), pp. 94-112. Jstor. DOI: 10.1057/fr.2008.46

51. Menon, S. V., & Allen, N. E. (2018). The Formal Systems Response to Violence Against Women in India: A Cultural Lens. *American Journal of Community Psychology,* 62(1-2), 51-61. DOI: 10.1002/ajcp.12427

52. Mohanty, C. T. (1984). Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses. *Boundary 2, 12/13,* 333-358. Jstor. DOI: 10.2307/302821

53. Nair, J. (1994). Kannada and Politics of State Protection. *Economic and Political Weekly,* 29(44), 2853-2854. Jstor. http://www.jstor.org/stable/4401962

54. Palriwala, R. (1993). Economics and Patriliny: Consumption and Authority within the Household. *Social Scientist,* 21(9/11), 47-73. https://www.jstor.org/stable/3520426

55. Pandian, M. S. S. (2002). One Step outside Modernity: Caste, Identity Politics and Public Sphere. *Economic and Political Weekly,* 37(18), 1735-1741. Jstor. https://www.jstor.org/stable/4412071

56. Phadke, S. (2003). Thirty Years On: Women's Studies Reflects on the Women's Movement. *Economic and Political Weekly,* 38(43), 4567-4576. Jstor. https://www.jstor.org/stable/4414191

57. Phadke, S. (2013). Unfriendly Bodies, Hostile Cities: Reflections on Loitering and Gendered Public Space; Why Loiter. *Economic and Political Weekly,* 48(39), 50-59.

58. Phadke, S., Khan, S., & Ranade, S. (2011). *Why Loiter?: Women and Risk on Mumbai Streets.* Penguin Books. ISBN: 0143415956

59. Rai, N. (2007). Geographies of Indian women: A tale of contesting spaces. *Social Change (Sage Publications),* 37(3), 78-91. DOI: 10.1177%2F004908570703700305

60. Rajan, R. S. (1998). Is the Hindu Gooddess a Feminist? *Economic and Political Weekly,* 33(44), WS34-WS38. Jstor. https://www.jstor.org/stable/4407322

61. Rajan, R. S. (1999). *Signposts: Gender Issues in Post-independence India.* Rutgers University Press. ISBN: 0813529123, 9780813529127

62. Rao, N. (2015). Marriage, Violence, and Choice: Understanding Dalit Women's Agency in Rural Tamil Nadu. *Gender and Society (Sage Publications),* 29(3), 410-433. Jstor. https://www.jstor.org/stable/43669978

63. Ray, R. (2012). *Handbook of Gender (ed.).* Oxford University Press. ISBN: 9780198071471

64. Sangari, K., & Vaid, S. (1989). *Recasting Women. Essays in Colonial history.* Zubaan (Kali for Women).

65. Sarkar, T. (1993). Rhetoric against age of consent: Resisting colonial reason and death of a child-wife. *Economic and Political Weekly*, 28(36), 1869-1878.

66. Sarkar, T. (2001). *Hindu wife, Hindu nation, community, religion, and cultural nationalism.* Indiana University Press.

67. Sarkar, T. (2008). Wicked Widows: Law and Faith in Nineteenth-Century Public Sphere Debates. In *Behind the Veil* (pp. 83-115). Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/9780230583672_4

68. Sarkar, T., & Sarkar, S. (2008). *Women and Social Reform in Modern India: A Reader.* Indiana University Press. ISBN: 025335269X, 9780253352699

69. Sen, R. (2010). Law Commission Reports on Rape. *Economic and Political Weekly,* 45(44/45), 81-87.

70. Shah, A. M. (1968). Changes in the Indian Family: An Examination of Some Assumptions. *Economic and Political Weekly,* 3(1/2), 127+129+131+133-134. Jstor. https://www.jstor.org/stable/4358128

71. Shah, A. M. (1973). *The Household Dimension of the Family in India : A Field Study in a Gujarat Village and a Review of Other Studies.* Orient Longman.

72. Shah, A. M. (1988). The Phase of Dispersal in the Indian Family Process. *Sociological Bulletin (SAGE Publications),* 37(1-2), 33-47. Jstor. DOI: 10.1177/0038022919880103

73. Sharma, U. (1989). Studying the household: individuation and values. *Society from the Inside Out: Anthropological Perspectives on the South Asian Household (SAGE Publications),* 35-54.

74. Sinha, M. (2000). Refashioning Mother India: Feminism and Nationalism in Late-Colonial India. *Feminist Studies,* 26(3), 623-644. Jstor. DOI: 10.2307/3178643

75. Sinha, M. (2006). Specters of Mother India: *The Global Restructuring of an Empire.* Zubaan. ISBN: 818988400X, 9788189884000

76. Srivastava, H. C., & Murugesan, P. (2001). Violence against women in Andhra Pradesh: region-wise analysis based on NFHS-2. *Paper presented at the XXIVth Annual Conference of Indian Association for Studies on Population, Visakhapatnam, India.*

77. Starkweather, S. (2007). Gender, Perceptions of Safety and Strategic Responses among Ohio University Students. *Gender, Place & Culture,* 14(3), 355-370. DOI: 10.1080/09663690701325000

78. Sundar, N., Deshpande, S., & Uberoi, P. (2000). Indian Anthropology and Sociology: Towards a History. Economic and Political Weekly, 35(24), *Economic and Political Weekly.* Jstor. https://www.jstor.org/stable/4409380

79. UN General Assembly. (1993, December 20). Declaration on the Elimination of Violence against Women. https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.21_declaration%20elimination%20vaw.pdf

80. Vaid, S., & Sangari, K. (1991). Institutions, Beliefs, Ideologies: Widow Immolation in Contemporary Rajasthan. *Economic and Political Weekly,* 26(17), WS2-WS18. Jstor. https://www.jstor.org/stable/4397984

81. Verma, R. K., & Mahendra, V. S. (2004). Construction of masculinity in India: A gender and sexual health perspective. *Journal of Family Welfare,* 50, 71-78.

82. Verma, R. K., & Mahendra, V. S. (2004). Construction of masculinity in India: A gender and sexual health perspective. *Journal of Family Welfare,* 50, 71-78.

83. Zietz, S., & Das, M. (2017). 'Nobody teases good girls': A qualitative study on perceptions of sexual harassment among young men in a slum of Mumbai. *Global Public Health,* 13(9), 1229–1240. Taylor & Francis. DOI: 10.1080/17441692.2017.1335337

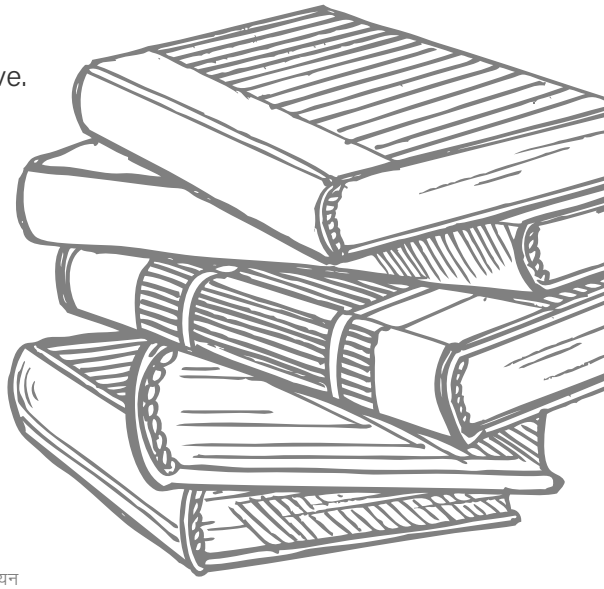

परिशिष्ट १

मात्रात्मक सर्वेक्षण के परिणाम

जैसा कि विधि के अंतर्गत बताया गया है, कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के सामान्य स्थानों, और हस्तक्षेप के प्रकारों और चुनौतियों को समझने के लिए स्वयं भरे जाने वाले सर्वेक्षण को तैयार किया गया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य निम्न के बारे में डाटा प्राप्त करना था:

- महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की हिंसा का प्रचलन
- वे स्पेस, जहां महिलाओं को हिंसा के अनुभव होते हैं
- वे ऐसी घटनाओं की खुद रोकथाम करने के लिए ध्यान आकर्षित करने, या बाइस्टैण्डर्स से मदद माँगने में सक्षम होती हैं या नहीं
- सार्वजनिक रूप से, हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए बाइस्टैण्डर्स आगे आते हैं या नहीं, और अगर वे कदम उठाते हैं तो ऐसा वेअपने आप करते हैं या सर्वाइवर द्वारा इस तरफ ध्यान दिलाए जाने की वजह से करते हैं
- क्या सर्वाइवर, हिंसा वाली घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं, और उनमें से कितने प्रतिशत लोग ऐसा करते हैं।

सर्वेक्षण को इस तरह तैयार किया गया था कि प्रतिभागियों के जेंडर. महिलाए अन्य और पुरूष. के अनुसार, उनके लिए प्रश्नों के विशेष सेट दिए गए थे। चूंकि यह समझना हमारा प्रमुख उद्देश्य था कि महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर (अनुभाग 4) जिनमें परिवहन (अनुभाग 5) भी शामिल है, क्या और कैसे हिंसा का अनुभव करती हैं इसलिए इन दोनों स्पेसों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के निजी अनुभवों से संबंधित प्रश्न ऐसे प्रतिभागियों के लिए निर्धारित किए गए जिन्होंने खुद को महिलाओं या अन्य केरूप में चिन्हित किया। व्यापक गतिशीलताएं और हस्तक्षेप का आकलन करने के लिए प्रश्न सभी जेंडर के लोगों के लिए थे (अनुभाग 6)।

सर्वेक्षण में कुल 721 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इसने रोचक, लेकिन विभाजित उत्तर प्रदान किए, जिनको हमने नीचे प्रस्तुत किया है।

सार्वजनिक स्थान

सर्वेक्षण के प्रयोजन से, लोगों के घरों से बाहर के सभी तरह के स्पेस को हमने 'सार्वजनिक स्थान' माना है, जिनमें सार्वजनिक परिवहन शामिल नहीं है। सार्वजनिक परिवहन में अनुभव की जाने वाली महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को अलग से समझना, इस विभाजन का उद्देश्य है।

प्रश्नों का हमारा पहला सेट, इस बारे में था कि हमारे कितने महिला और अन्य प्रतिभागियों ने सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा का अनुभव किया

- 78.4% उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने हिंसा का अनुभव किया
- 21.6% ने कहा कि उन्होंने हिंसा का अनुभव नहीं किया

हिंसा का अनुभव करने वाले 78.4% में से - 50% लोग अपनी आवाज़ उठा सके या उन्होंने शोषणकर्ता का सामना किया। इनमें से 62% ने कहा कि उनके आवाज़ उठाने के कारण हिंसा की रोकथाम हो सकीए 17% ने बताया कि परिस्थिति और भी गंभीर हो गई और 20% ने कहा कि उनको मामला अधिकारियों तक ले जाना पड़ा।

सार्वजनिक परिवहन

सार्वजनिक परिवहन को आवागमन हेतु नियमित रूप से प्रयोग किए जाने वाले परिवहन साधनों जैसे कि बसों, रेलगाड़ियों, आटो/साझा आटो, कैब आदि के रूप में निर्धारित किया गया है।

यहां भी, हमारा प्रश्नों का पहला सेट इस बारे में था कि हमारे कितने महिला और अन्य प्रतिभागियों ने सार्वजनिक परिवहन में हिंसा का अनुभव किया

- 68% ने हिंसा का अनुभव किया
- 32% ने कहा कि उन्होंने किसी हिंसा का अनुभव नहीं किया

हिंसा का अनुभव करने वाले 68% में से - 60% लोग अपनी आवाज़ उठा सके या उन्होंने शोषणकर्ता का सामना किया। इनमें से 73% ने कहा कि उनके आवाज़ उठाने के कारण हिंसा की रोकथाम हो सकीए 12% ने बताया कि परिस्थिति और भी गंभीर हो गई और 14% ने कहा कि उनको मामला अधिकारियों तक ले जाना पड़ा।

आवाज़ उठाना और इसके विभिन्न पहलू

यह सर्वेक्षण, हिंसा की स्थिति में किसी सर्वाइवर द्वारा आवाज़ उठाने या शोषणकर्ता का सामना करने के संभावित परिणामों (जैसा कि अनुभाग 1 और अनुभाग 2 में उत्तरों से संकलित किया गया) की झलक प्रदान करता है। चित्र 1 में उन लोगों का प्रतिशत दर्शाया गया है जिन्होंने आवाज़ उठाई या शोषणकर्ता का सामना किया, जबकि चित्र 2 में उनके कदम उठाने के परिणाम दिखाए गए हैं।

चत्र 1: हिंसा का अनुभव

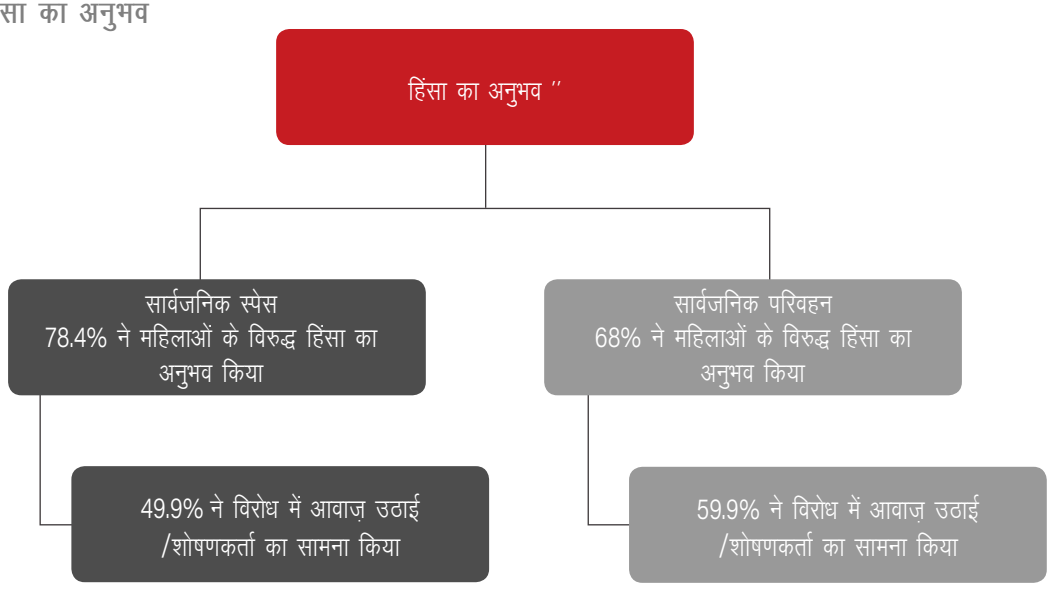

चित्र 2: आवाज़ उठाने /शोषणकर्ता का सामना करने के परिणाम **

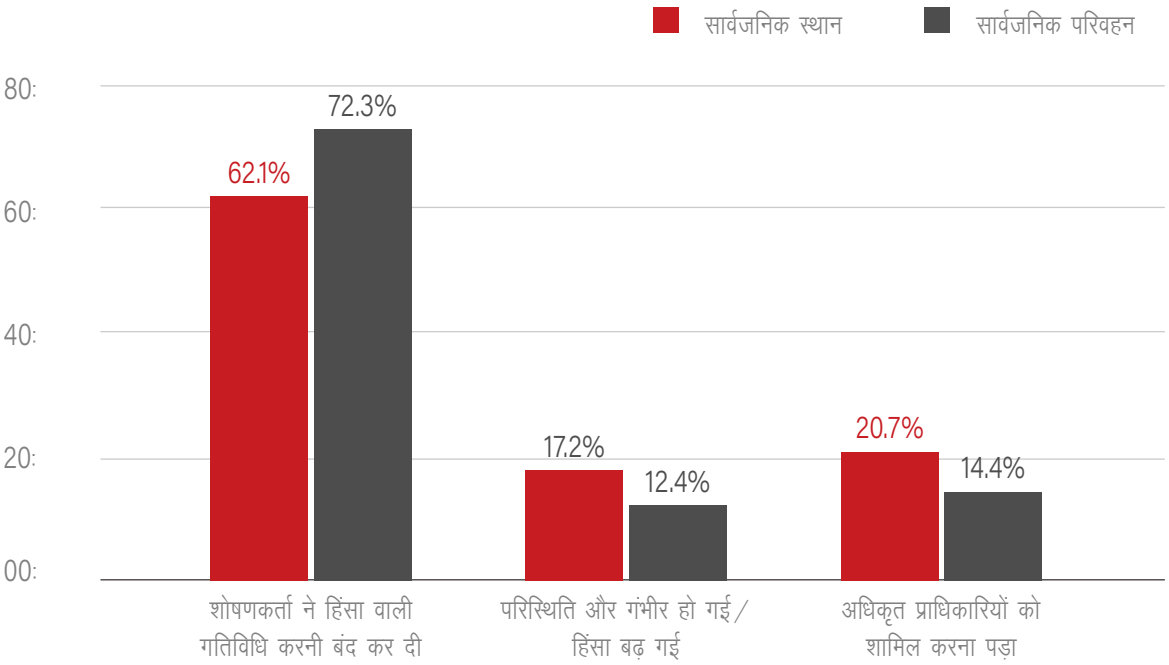

**यह उत्तर, स्वयं को महिला या अन्य बताने वाले प्रतिभागियों के, हिंसा और इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने या शोषणकर्ता का सामना करने के अपने अनुभवों पर आधारित हैं।

उत्तरदाताओं (महिला और अन्य) द्वारा हिंसा का सामना किए जाने पर बाइस्टैण्डर्स ने क्यों हस्तक्षेप किया, इस बारे में गहराई से समझने के लिए हमने सर्वेक्षण में तीन संभावित वजह पेश की और उनसे इनमें से चुनने के लिए कहा।

- सर्वाइवर ने ध्यान आकर्षित किया
- बाइस्टैण्डर ने हिंसा होते देखी और खुद ही कदम बढ़ाया
- बाइस्टैण्डर ने सर्वाइवर को परेशान होते देखा और कदम बढ़ाया

* ये परिणाम स्वयं को महिला या अन्य जेंडर के रूप में चिन्हित करने वाले प्रतिभागियों के हैं जो महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा में बाइस्टैण्डर्स के हस्तक्षेप की वजहों को लेकर उनकी समझ पर आधारित हैं।

चित्र 4: सार्वजनिक परिवहन में हस्तक्षेप करने की वजहें*

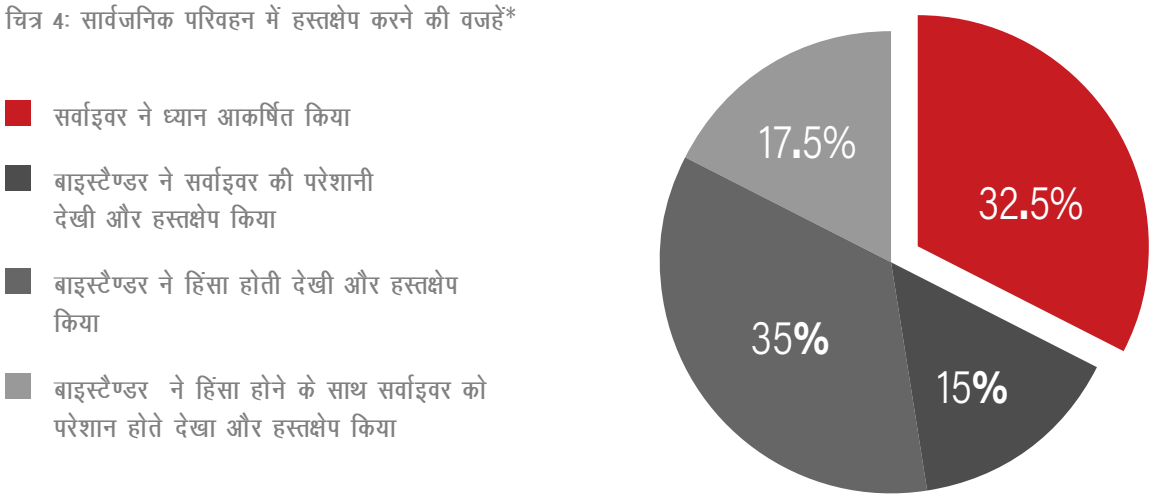

चित्र 3: सार्वजनिक स्थानों पर हस्तक्षेप करने की वजहें*

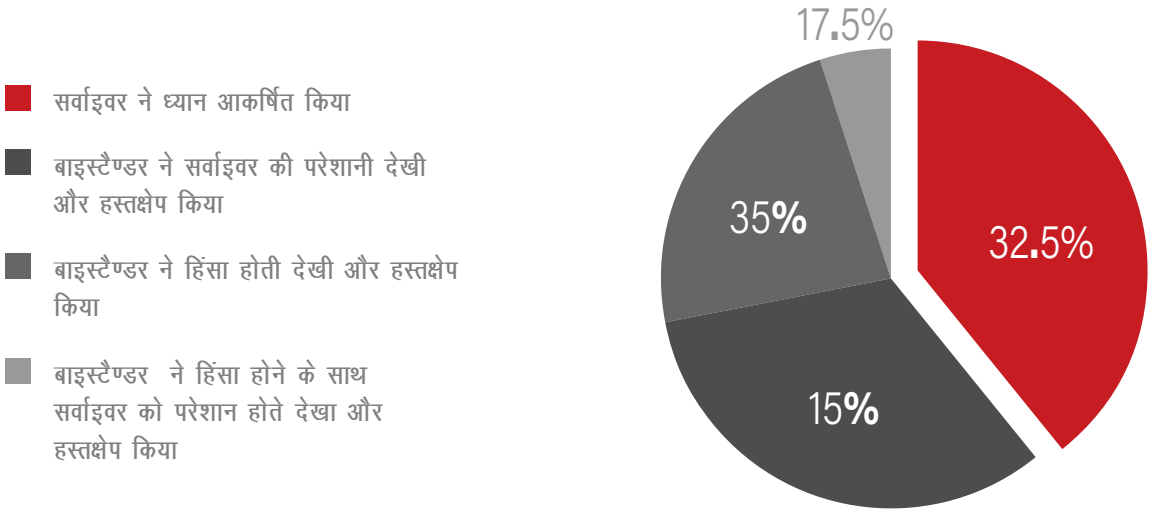

* सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक परिवहन में भिन्न प्रकार से अनुभव की गई हिंसा के वर्गीकृत आंकड़े और अंतर, पाई चार्ट के रूप में नीचे प्रस्तुत किए गए हैं।

हस्तक्षेप के कारण:

हमारे प्रश्नों का अगला सेट (अनुभाग 6) हस्तक्षेप के अनुभवों से संबंधित था और सभी प्रकार के प्रतिभागियों के लिए खुला था, उनका जेंडर चाहे जो भी हो। हस्तक्षेप को हिंसक कृत्य रोकने के किसी प्रयास के रूप में पारिभाषित किया जाता है, जैसे कि शारीरिक प्रयास द्वारा इसे समाप्त करना, आवाज़ उठाना या इसकी ओर ध्यान दिलाना, या अधिकृत प्राधिकारियों को इसमें शामिल करना, आदि।

513 प्रतिभागियों ने अनुभाग 6 में उत्तर दिए। उनमें से 55% के हस्तक्षेप के अनुभव रहे जबकि 45% ने ऐसा नहीं किया। इसमें भी, संभावित वजहों के रूप में तीन विकल्प दिए गए थे और उत्तरों का प्रतिशतवार विभाजन नीचे दिया गया है:

सर्वाइवर ने ध्यान आकर्षित किया	**16%**
बाइस्टैण्डर ने घटना होते देखी और मदद के लिए आगे आये	**29%**
बाइस्टैण्डर ने सर्वाइवर की परेशानी देखी और मदद के लिए आगे आये	**55%**

हस्तक्षेप न करने की संभावित वजहों के बारे में, प्रतिभागियों को छह विकल्प दिए गए। विकल्पों के साथ उत्तरों का प्रतिशतवार विभाजन नीचे दिया गया है:

महिला/लड़की के विरुद्ध हिंसक घटना हेतु मुझे दोषी ठहराया जाता	**3%**
मुझे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता थी	**31%**
मुझे कानूनी/पुलिस के पचड़े में फंसने का डर था	**12%**
इसका मुझसे कोई लेना–देना नहीं था	**9%**
महिला ने मदद के लिए नहीं कहा	**11%**
मुझे नहीं पता था कि क्या करना है (जानकारी का अभाव)	**39%**

सर्वेक्षण के अंतिम अनुभागए अनुभाग 7 में प्रतिभागियों से इस बारे में एक खुले विकल्प वाला प्रश्न पूछा गया कि उनके विचार में, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की स्थिति में एक आदर्श बाइस्टैण्डर की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। 721 प्रतिभागियों में से केवल 137 लोगों - 119 महिलाओं और 18 पुरूषों– ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। कुछ प्रतिभागियों के उत्तर नीचे दिए गए हैं। ये टिप्पणियां, रिपोर्ट में विस्तृत रूप से दी गई कुछ थीमों को अध्यारोपित (ओवरलैप) करती हैं।

महिला का आक्रोशः

मैं चाहती हूं कि लोग पुरूषों की श्रेष्ठता दिखाने वाली घटनाओं की निंदा करें, जो पुरूष प्रधानता के कारण परिवार के मुखिया माने जाते हैं। उनको फाँसी पर टाँग दिया जाना चाहिए। उनकी इस बीमार मानसिकता को ठीक करने वाला कोई सरल इलाज नहीं है, जो समाज में आतंक उत्पन्न करती है।

सिस्टम और संस्थाओं की विफलताः

मेरा विचार है कि ऐसी परिस्थितियों में, लोगों को महिलाओं की मदद के लिए आगे आना चाहिए, और इसके अलावा अधिकारियों को भी महिलाओं को परेशान किए बिना उचित कदम उठाने चाहिए। एक घटना में मैंने महिलाओं को बहुत परेशानी की हालत में देखा और जब अधिकारी आए तो उन्होंने महिला से ही इस तरह सवाल–जवाब किए जैसे कि वही दोषी हो। उनकी निगाह में सबसे ज्यादा दोष महिला का ही था।

जानकारी न होनाः

मैंने जो मामला देखा था उसमें पीड़ित महिला को उसके पति द्वारा पीटा गया था। जब मैंने उस महिला से पूछा कि क्या उसे मेरी मदद चाहिए, तो उस आदमी ने मारपीट बंद कर दी। हालांकि मुझे पूरा विश्वास था कि जब वे अपने घर के अंदर चले गए होंगे तो यह हिंसा फिर से शुरू हो गई होगी। मुझे पता नहीं कि ऐसी स्थिति में बाइस्टैण्डर्स क्या कर सकते हैं।

हस्तक्षेप न करने के लिए परिवार/समाज का दबावः

मूकदर्शक रहने के बजाय हस्तक्षेप करना ठीक है। हालाँकि हर जगह मैं भी अपने मनचाहे ढंग से हस्तक्षेप नहीं कर सका। कई बार, जब मैं अपने परिवार के सीनियर लोगों के साथ सफ़र कर रहा था, तो आवाज़ उठाने के बारे में फैसला करने का अधिकार उन्होंने ले लिया। ऐसे में उन्होंने मुझसे जो अपेक्षा की, उसका मुझे अफसोस है। मैंने हमेशा ही महिलाओं को उनकी आवाज़ उठाने में मदद की है। मैं अब हर बार अपनी आवाज़ उठाता हूं।

नैतिक पहलूः हिंसा गलत है

सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा के मामले में, पुरूषों या महिलाओं सभी को न केवल अपने लिए, बल्कि अपने आसपास के अन्य लोगों के साथ भी उचित व्यवहार को लेकर जागरूक रहना चाहिए। नतीजों के बारे में सोचकर डरने से कुछ नहीं होगा। हालाँकिए एक बाइस्टैण्डर के तौर पर अगर आप दुर्व्यवहार की रोकथाम कर सकें, तो यह आपको एक शक्ति और साहस का एहसास कराएगा कि आपने अपने सामने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होने दिया या अगर ऐसा पहले से हो रहा था तो आपने इसकी रोकथाम की।

उदाहरण के लिए, मुम्बई लोकल में अनेक महिलाओं को घूरने से परेशानी होती है। ऐसे में, बाइस्टैण्डर द्वारा या पीड़ित द्वारा खुद भी आँखों में आँखें डालकर कड़ी निगाह से देखने का उपाय भी काम कर सकता है। आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, तो किसी को मदद नहीं मिलेगी। कुछ मामलों में आपको कुछ करना नहीं होता, बल्कि केवल वहां खड़े हो जाना होता है। अगर इससे काम न बने तो आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। चाहे हम जेंडर आधारित हिंसा को पूरी तरह से रोक न सकते हों, लेकिन हम इसे कम तो कर ही सकते हैं।

परिशिष्ट २

मात्रात्मक सर्वेक्षण

सर्वेक्षणः महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, और बाइस्टैण्डर के हस्तक्षेप के अनुभव

परिचय

हम कौन हैं?
ब्रेकथ्रू (Breakthrough) एक संगठन है जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा' का खात्मा करने की दिशा में काम करता है। हम जेंडर.आधारित हिंसा और भेदभाव के मुद्दों पर अभियानों और सीधे हस्तक्षेपों के माध्यम से लोगों से जुड़ते हैं। महिलाओं के हिंसा के अनुभवों को समझने में हमारी रूचि है और उसके साथ हम यह भी समझना चाहते हैं कि लोगों को सामान्य सार्वजनिक स्थानों में तथा सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से हिंसा वाली गतिविधि का गवाह बनने पर इसके विरोध में कदम उठाने या बोलने के लिए क्या प्रेरित करता है या क्या प्रेरित करेगा। क्या आप इस मुद्दे पर अधिक जानकारी प्राप्त करने में हमारी मदद करना चाहेंगे?

आप कौन हैं?
क्या आप ऐसी महिला हैं जिसने किसी सार्वजनिक स्थान पर हिंसा का अनुभव किया है? क्या आपने किसी महिला या लड़की के विरुद्ध हिंसा के सार्वजनिक कृत्य को रोकने का प्रयास किया है या इसके विरोध में आवाज़ उठाई है? क्या आप अपना अनुभव हमारे साथ बांटना चाहते हैं?

हमारा क्या उद्देश्य है?
अगर आप अपने अनुभव बताना पसंद करें तो उनके बारे में सुनकर हमें प्रसन्नता होगी। हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने कभी किसी 'सार्वजनिक' स्पेस में, जैसे कि सड़क, बाज़ार, या सार्वजनिक परिवहन जैसे कि बसों और रेलगाड़ियों में हिंसा का सामना किया, और उसके बाद क्या हुआ। हम यह भी जानना चाहेंगे कि क्या आपने हिंसा के उस कृत्य की रोकथाम के लिए हस्तक्षेप किया जिसके आप गवाह थे या इसके विरोध में किसी प्रकार से अपनी आवाज़ उठाई, और उसके बाद क्या हुआ।

एक अभियान के माध्यम से पक्षसमर्थन (जनपैरवी) के लिए इस डाटा का उपयोग किया जाएगा, जो बाइस्टैण्डर्स को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के गवाह बनने पर हस्तक्षेप हेतु प्रेरित करने के लिए है।

इस सर्वेक्षण में आपकी भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक है।

'हिंसा का अर्थ शारीरिक, शाब्दिकए यौन या मानसिक दुर्व्यवहारध हमले ध्उत्पीड़न से है।

सहमति

मैं इसे समझता/समझती हूं कि:

- यह कि मेरे द्वारा दिए गए उत्तर केवल अनुसंधान और पक्षसमर्थन के प्रयोजन से उपयोग किए जाएंगे।
- मेरी स्पष्ट सहमति के बिना मेरी पहचान कहीं भी उजागर नहीं की जाएगी।

1. आय

2. लिंग

1. महिला	2. पुरूष	3. अन्य

3. निवास का शहर/कस्बा

4. क्या आपने कभी किसी सार्वजनिक स्थान पर हिंसा का अनुभव किया? (बसों, रेलगाड़ियों, आटो, मेट्रो, टैक्सियों में नहीं)? (केवल तभी, यदि प्रश्न 2 का उत्तर 1 या 3 दिया गया हो।)

1. नही	2. हाँ

4.1. अगर हाँए तो क्या आप अपनी आवाज़ उठा सके या उस व्यक्ति का विरोध/सामना कर सके? (केवल तभी, यदि प्रश्न 4 का उत्तर 2 दिया गया हो।)

1. नहीं	2. हाँ

4.2. अगर हाँ, तो उसके परिणामस्वरूप क्या हुआ? (केवल तभी, यदि प्रश्न 4-1 का उत्तर 2 दिया गया हो।)

1. शोषणकर्ता ने हिंसा की गतिविधि रोक दी।	2. परिस्थिति और गंभीर हो गई/हिंसा बढ़ गई	3. प्राधिकृत अधिकारियों को शामिल किया गया।

4.3. क्या कोई आपकी मदद करने के लिए आगे आया?

1. नहीं	2. हाँ

4.4. अगर हाँए तो किस बात ने उनको कदम उठाने के लिए प्रेरित किया? (केवल तभी, यदि प्रश्न 4-3 का उत्तर 2 दिया गया हो।)

1. मैंने ध्यान आकर्षित किया।	2. व्यक्ति ने घटना होते देखी और आगे आये।	3. व्यक्ति ने मेरी परेशानी को समझा और आगे आये।

Cont...

5. क्या आपने सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते समय हिंसा का सामना किया है? (केवल तभी, यदि प्रश्न 2 का उत्तर 1 या 3 दिया गया हो।)

1. नहीं	2. हाँ

5.1. अगर हाँए तो क्या आप अपनी आवाज़ उठा सके या उस व्यक्ति का विरोध/सामना कर सके? (केवल तभी, यदि प्रश्न 5 का उत्तर 2 दिया गया हो।)

1. नहीं	2. हाँ

5.2. अगर हाँए तो उसके परिणामस्वरूप क्या हुआ? (केवल तभी, यदि प्रश्न 5-1 का उत्तर 2 दिया गया हो।)

1. शोषणकर्ता ने हिंसा की गतिविधि रोक दी।	2. परिस्थिति और गंभीर हो गई/हिंसा बढ़ गई।	3. प्राधिकृत अधिकारियों को शामिल किया गया।

5.3. क्या कोई आपकी मदद करने के लिए आगे आया?

1. नहीं	2. हाँ

6. क्या आपने किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी महिला या लड़की के विरुद्ध हिंसा की किसी घटना का गवाह बनने पर हस्तक्षेप' किया?
'हस्तक्षेप का अर्थ हिंसक कृत्य को रोकने वाले किसी प्रयास से है, उदाहरण के लिए, बीचबचाव करके इसे खत्म करना, आवाज़ उठाना, या इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना, या प्राधिकृत अधिकारियों को इसमें शामिल करना, आदि।. (केवल तभी, यदि प्रश्न 2 का उत्तर 2 दिया गया हो।)

1. छव	2. ल्मे

6.1. किस बात ने आपको हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया? (केवल तभी, यदि प्रश्न 6 का उत्तर 2 दिया गया हो।))

1. महिला/लड़की ने ध्यान आकर्षित किया।	2. मैंने घटना देखा और हस्तक्षेप किया।	3. मैंने महिला/लड़की की परेशानी समझी और हस्तक्षेप किया।

6.2. आपके हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप क्या हुआध (केवल तभी, यदि प्रश्न 6 का उत्तर 2 दिया गया हो।)

1. शोषणकर्ता ने हिंसा की गतिविधि रोक दी।	2. परिस्थिति और गंभीर हो गई/हिंसा बढ़ गई।	3. प्राधिकृत अधिकारियों को शामिल किया गया।

6.3. अगर आपने हस्तक्षेप नहीं किया तो इसकी वजह क्या थी? (केवल तभी, यदि प्रश्न 6 का उत्तर 1 दिया गया हो।) ;उन सभी उत्तरो ंपर निशान लगाएं जो लागू हों)

1. महिला/लड़की के विरुद्ध हिंसक घटना हेतु मुझे दोषी ठहराया जाता।	2. मुझे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता थी।	3. मुझे कानूनी/पुलिस के पचड़े में फंसने का डर था।	4. इसका मुझसे कोई लेना–देना नहीं था।	5. महिला ने मदद के लिए नहीं कहा।	6. मुझे नहीं पता था कि क्या करना है।

7. जेंडर आधारित हिंसा की स्थितियों में आदर्श रूप में आप किसी बाइस्टैण्डर से किस तरह का हस्तक्षेप/सहायता पसंद करेंगे?

परिशिष्ट 3

प्रतिभागियों की सूची – चरण 1 और २

क्रम संख्या	प्रतिभागी का नाम	आयु/आयु समूह	जेंडर	स्थान	ग्रामीणश्शहरी	पेशा/व्यवसाय	इंटरव्यू की तारीख	व्यक्तिगत/सामूहिक इंटरव्यू
1	महीर	20	पुरूष	दिल्ली	शहरी	विद्यार्थी	3 जुलाई 2020	ग्रुप
2	देवेश	20	पुरूष	दिल्ली	शहरी	विद्यार्थी	3 जुलाई 2020	ग्रुप
3	शांतनु	20	पुरूष	दिल्ली	शहरी	विद्यार्थी	3 जुलाई 2020	ग्रुप
4	अपूर्व	18	पुरूष	दिल्ली	शहरी	विद्यार्थी	3 जुलाई 2020	ग्रुप
5	प्रशांत	19	पुरूष	दिल्ली	शहरी	विद्यार्थी	3 जुलाई 2020	ग्रुप
6	राजमाला	18	महिला	दिल्ली	शहरी	विद्यार्थी	3 जुलाई 2020	ग्रुप
7	अश्मिता	18	महिला	दिल्ली	शहरी	विद्यार्थी	3 जुलाई 2020	ग्रुप
8	स्वीटी	18	महिला	दिल्ली	शहरी	विद्यार्थी	3 जुलाई 2020	ग्रुप
9	पिंकी	19	महिला	दिल्ली	शहरी	विद्यार्थी	3 जुलाई 2020	ग्रुप
10	निशा	18	महिला	दिल्ली	शहरी	विद्यार्थी	3 जुलाई 2020	ग्रुप
11	सितारा	19.25	महिला	दिल्ली	शहरी	विद्यार्थी	1 अगस्त 2020	ग्रुप
12	जया	19	महिला	दिल्ली	शहरी	विद्यार्थी	1 अगस्त 2020	ग्रुप
13	बबली	25	महिला	दिल्ली	शहरी	समाजिक कार्यकर्ता	1 अगस्त 2020	ग्रुप
14	अमर	25	पुरूष	दिल्ली	शहरी	समाजिक कार्यकर्ता	23 अगस्त 2020	व्यक्तिगत
15	शिखर	19.25	पुरूष	दिल्ली	शहरी	विद्यार्थी	23 अगस्त 2020	व्यक्तिगत
16	श्रवण	31	पुरूष	दिल्ली	शहरी	व्यवहारगत अर्थशास्त्री	2 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
17	रूपमाला	21	महिला	दिल्ली	शहरी	विद्यार्थी	2 नवम्बर 2020	ग्रुप
18	अमृत	27	पुरूष	दिल्ली	शहरी	विद्यार्थी	2 नवम्बर 2020	ग्रुप
19	सायरा	25	महिला	दिल्ली	शहरी	विद्यार्थी	6 नवम्बर 2020	व्यक्तिगत
20	शकील	30	पुरूष	दिल्ली	शहरी	थ्नजी ट्यूटर	6 नवम्बर 2020	व्यक्तिगत
21	चमन	19.25	पुरूष	गया	ग्रामीण	विद्यार्थी	16 जुलाई 2020	व्यक्तिगत
22	कस्तूरबा	25	महिला	गया	ग्रामीण	समाजिक कार्यकर्ता	22 जुलाई 2020	ग्रुप
23	माला	25	महिला	गया	ग्रामीण	सामाजिक कार्यकर्ता	22 जुलाई 2020	ग्रुप
24	प्रतिष्ठा	25	महिला	हरियाणा	ग्रामीण	प्रोफेसर	1 अगस्त 2020	ग्रुप
25	नीलू	19.25	महिला	हरियाणा	ग्रामीण	स्कूली शिक्षक	28 अगस्त 2020	व्यक्तिगत
26	नज़र	19.25	पुरूष	हरियाणा	ग्रामीण	विद्यार्थी	28 अगस्त 2020	व्यक्तिगत
27	सोनम	25	महिला	हरियाणा	ग्रामीण	स्रकारी कर्मचारी	21 अगस्त 2020	व्यक्तिगत
28	भावना	19.25	महिला	हरियाणा	ग्रामीण	विद्यार्थी	21 अगस्त 2020	व्यक्तिगत
29	विनय	19.25	पुरूष	हरियाणा	ग्रामीण	स्रकारी कर्मचारी	22 अगस्त 2020	व्यक्तिगत
30	जगदीप	25	पुरूष	हरियाणा	ग्रामीण	स्रकारी कर्मचारी	27 अगस्त 2020	व्यक्तिगत
31	रागिनी	25	महिला	हरियाणा	ग्रामीण	विद्यार्थी	1 अगस्त 2020	ग्रुप
32	मधूलिका	19.25	महिला	हजारीबाग	ग्रामीण	विद्यार्थी	8 जुलाई 2020	व्यक्तिगत

क्रम संख्या	प्रतिभागी का नाम	आयु/आयु समूह	जेंडर	स्थान	ग्रामीणश्शहरी	पेशा/व्यवसाय	इंटरव्यू की तारीख	व्यक्तिगत/सामूहिक इंटरव्यू
33	विजय	19.25	पुरूष	हजारीबाग	ग्रामीण	पत्रकार	8 जुलाई 2020	व्यक्तिगत
34	उल्लेश	25	पुरूष	हजारीबाग	ग्रामीण	पी.आर.आई. सदस्य	8 जुलाई 2020	ग्रुप
35	बहादुर	25	पुरूष	हजारीबाग	ग्रामीण	स्कूली शिक्षक	8 जुलाई 2020	ग्रुप
36	शिवानी	19.25	महिला	हजारीबाग	ग्रामीण	गृहिणी	10 जुलाई 2020	व्यक्तिगत
37	काजल	25	महिला	हजारीबाग	ग्रामीण	गृहिणी	9 जुलाई 2020	व्यक्तिगत
38	सूफियान	19.25	पुरूष	हजारीबाग	ग्रामीण	विद्यार्थी	9 जुलाई 2020	ग्रुप
39	रजत	19.25	पुरूष	हजारीबाग	ग्रामीण	विद्यार्थी	9 जुलाई 2020	ग्रुप
40	निर्मल	25	पुरूष	हजारीबाग	ग्रामीण	भूस्वामी	10 जुलाई 2020	व्यक्तिगत
41	शिशिर	25	पुरूष	हजारीबाग	ग्रामीण	समाजिक कार्यकर्ता	22 जुलाई 2020	ग्रुप
42	सौम्या	43	महिला	हैदराबाद	शहरी	गृहिणी	12 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
43	कल्याणी	23	महिला	हैदराबाद	शहरी	कानून की विद्यार्थी	14 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
44	राज	19	पुरूष	हैदराबाद	शहरी	विद्यार्थी	15 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
45	राधा	32	महिला	हैदराबाद	शहरी	मनोचिकित्सक	16 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
46	पायल	29	महिला	हैदराबाद	शहरी	विद्यार्थी	16 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
47	ज़ाफिरा	25	महिला	हैदराबाद	शहरी	विद्यार्थी	16 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
48	उमा	29	महिला	हैदराबाद	शहरी	विकास पेशेवर	20 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
49	भामा25	महिला	हैदराबाद	शहरी	चार्टर्ड	एकाउंटेंट	22 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
50	ज़ैनब	25	महिला	हैदराबाद	शहरी	डॉक्टर	23 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
51	श्यामलाल	35	पुरूष	हैदराबाद	शहरी	सामाजिक कार्यकर्ता	24 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
52	हैदरअली	19	पुरूष	हैदराबाद	शहरी	विद्यार्थी	26 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
53	अनुश्री	61	महिला	हैदराबाद	शहरी	सलाहकार	27 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
54	श्रद्धा	28	महिला	हैदराबाद	शहरी	इंजीनियर	27 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
55	रेणुका	41	महिला	हैदराबाद	शहरी	इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर	1 नवम्बर 2020	व्यक्तिगत
56	सुनीता	24	महिला	हैदराबाद	शहरी	प्रमाणित सलाहकार	1 नवम्बर 2020	व्यक्तिगत
57	अमीना	28	महिला	हैदराबाद	शहरी	डिजिटल मार्केटर	17 अक्टूबर 2020 .24 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
58	अनिता	21	महिला	कोलकाता	शहरी	विद्यार्थी	26 सितम्बर 2020	व्यक्तिगत
59	तारिणी	31	महिला	कोलकाता	शहरी	समाजिक कार्यकर्ता	26 सितम्बर 2020	व्यक्तिगत
60	अनिंदिता	33	महिला	कोलकाता	शहरी	कंटेंट राइटर	27 सितम्बर 2020	ग्रुप
61	साक्षी	30	महिला	कोलकाता	शहरी	कंटेंट राइटर और मेक–अप आर्टिस्ट	27 सितम्बर 2020	ग्रुप
62	राकेश	31	पुरूष	कोलकाता	शहरी	समाजिक कार्यकर्ता	27 सितम्बर 2020	ग्रुप
63	सबीहा	34	महिला	कोलकाता	शहरी	समाजिक कार्यकर्ता	27 सितम्बर 2020	ग्रुप
64	उमंग	29	पुरूष	कोलकाता	शहरी	समाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता	27 सितम्बर 2020	ग्रुप
65	शरण्या	30	महिला	कोलकाता	शहरी	समाजिक कार्यकर्ता/पेशेवर लेखक	27 सितम्बर 2020	ग्रुप
66	शरद	40	पुरूष	कोलकाता	शहरी	अनुसंधान वैज्ञानिक	30 सितम्बर 2020	व्यक्तिगत

क्रम संख्या	प्रतिभागी का नाम	आयु/आयु समूह	जेंडर	स्थान	ग्रामीणश्शहरी	पेशा/व्यवसाय	इंटरव्यू की तारीख	व्यक्तिगत/सामूहिक इंटरव्यू
67	अवनि	28	महिला	कोलकाता	शहरी	अनुसंधान वैज्ञानिक	2 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
68	अनन्या	34	महिला	कोलकाता	शहरी	विकास	2 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
69	अंकित	28	पुरूष	कोलकाता	शहरी	उद्यमी	3 अक्टूबर 2020	ग्रुप
70	सुभाष	27	पुरूष	कोलकाता	शहरी	उद्यमी	3 अक्टूबर 2020	ग्रुप
71	अरूणा	22	महिला	कोलकाता	शहरी	विद्यार्थी और लेखक	3 अक्टूबर 2020	ग्रुप
72	श्रावणी	28	महिला	कोलकाता	शहरी	फ्रीलांसर	4 अक्टूबर 2020	ग्रुप
73	देबज्योति	29	महिला	कोलकाता	शहरी	कल्याण	4 अक्टूबर 2020	ग्रुप
74	रानी	35	महिला	कोलकाता	शहरी	फ्रीलांसर	4 अक्टूबर 2020	ग्रुप
75	फारूक	24	पुरूष	कोलकाता	शहरी	एपैरेल (परिधान)डिजाइनर	15 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
76	सुमन	33	महिला	मुम्बई	शहरी	गृहिणी	7 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
77	पारिजाद	32	महिला	मुम्बई	शहरी	वकील	7 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
78	जागृति	20	महिला	मुम्बई	शहरी	विद्यार्थी	9 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
79	अमानत	40	महिला	मुम्बई	शहरी	सलाहकार	13 अक्टूबर 2020	ग्रुप
80	खदीजा	38	महिला	मुम्बई	शहरी	सलाहकार	13 अक्टूबर 2020	ग्रुप
81	ओनिल	28	पुरूष	मुम्बई	शहरी	प्रशिक्षक .सामाजिक क्षेत्र	13 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
82	जीनत	26	ट्रांसजेंडर	मुम्बई	शहरी	फोटो जर्नलिस्ट	15 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
83	शर्मिला	28.29	महिला	मुम्बई	शहरी	उद्यमी	17 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
84	वैशाली	40	महिला	मुम्बई	शहरी	गृहिणी	19 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
85	नंदिता	35	महिला	मुम्बई	शहरी	मछली विक्रेता	21 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
86	तेजस्विनी	44	महिला	मुम्बई	शहरी	सेल्सपर्सन	24 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
87	परमान	27	पुरूष	मुम्बई	शहरी	फिल्म उद्योग	28 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
88	कबीर	30	पुरूष	मुम्बई	शहरी	सामाजिक कार्यकर्ता	29 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
89	प्रसाद	38	पुरूष	मुम्बई	शहरी	आर्किटेक्ट	3 नवम्बर 2020	व्यक्तिगत
90	रोमिता	55	महिला	मुम्बई	शहरी	फेरी वली	19 अक्टूबर 2020. 28 अक्टूबर 2020	व्यक्तिगत
91	सोनालिका	32	महिला	रांची	शहरी	विद्यार्थी	30 सितम्बर 2020	व्यक्तिगत

परिशिष्ट ४

गुणात्मक इंटरव्यू की निर्देशिका

सहमतिः
नामः
आयुः
लिंगः
वैवाहिक स्थितिः
पताः
प्रखंड और जिलाः
इंटरव्यू लेने वाले का नामः

1. आपने किस प्रकार की हिंसा का सामना किया?
2. आपके समुदाय में लोग प्रायः हिंसा के गवाह बनने पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं?
3. आपके विचार में वे उस तरह से प्रतिक्रिया क्यों करते हैं?
4. आपके विचार में, लोगों को हिंसा के गवाह बनने पर किस तरह प्रतिक्रिया करनी चाहिए?
5. बड़े होने के दौरान आपको हिंसा पर किस तरह से प्रतिक्रिया करना सिखाया गया?
6. आप कोई हिंसक कृत्य होते देखने पर प्रायः किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं?
7. आपके सामने कोई घटना हो रही होने पर आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं?
8. क्या आपके विचार में, हिंसा पर आपकी प्रतिक्रिया, और हिंसा पर अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं के बीच कोई अंतर है?

8.1 अगर कोई अंतर हैए तो आपके विचार में उस अंतर की क्या वजह है?

9. क्या आप हिंसा होते देखने पर हमेशा इसी तरह से प्रतिक्रिया करते थे?

9.1 अगर नहीं, तो हिंसा की घटनाओं पर आप की वर्तमान प्रतिक्रियाएं, आपकी अतीत की प्रतिक्रियाओं से किस प्रकार भिन्न हैं?

9.2 क्या आप हिंसा के गवाह बनने पर हमेशा एक ही प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं?

9.3 अगर नहीं, तो किस कारण से अन्य की अपेक्षा कुछ परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करना आसान हो जाता है?

10. अगर कोई बदलाव हुआ है, तो आपके विचार में उस बदलाव का क्या कारण है? क्या किसी विशेष घटना ने यह बदलाव प्रेरित किया?
11. जब आपने हिंसा के गवाह बनने पर प्रतिक्रिया की, तो आपके तरीकों को लेकर आपके आसपास के लोगों ने क्या कहा?

11.1 उनकी टिप्पणियों से आपको कैसा महसूस हुआ?

12. हिंसा का गवाह बनने पर अपनी प्रतिक्रियाओं/कदमों के बारे में दूसरों से आपका क्या कहना है?
13. आपके विचार में, अन्य लोगों को हिंसा का गवाह बनने पर कौन सी बातें हस्तक्षेप के लिए प्रेरित करती हैं?
14. क्या हिंसा पर महिलाओं और पुरूषों की प्रतिक्रियाओं के तौर–तरीकों में कोई अंतर होता है?
15. क्या हिंसा पर बुजुर्गों और युवाओं की प्रतिक्रियाओं के तौर–तरीकों में कोई अंतर होता है?

सहायक संरचनाएंः

16. क्या आपके आसपास आपके हस्तक्षेप को सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद थे?
17. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं में समुदाय (समग्र रूप में) किस तरह प्रतिक्रिया करता है?
18. अगर आपके समुदाय में कहीं हिंसा हो तो क्या ऐसा कोई सपोर्ट ग्रुप/सामुदायिक समूह है जो हिंसा का सामना करने वाले या/हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति की सहायता के लिए आगे आएगा?

Breakthrough

Act. End Violence Against Women.

डाटा संकलन भागीदार
रंगीन खिड़की फाउंडेशन
माय चॉइसेज फाउंडेशन
हैबिटेट एंड लाइवलीहुड वेलफेयर एसोसिएशन

रिपोर्ट का डिजाइनरू
अनीस सैयद

Supported by:

Uber | IKEA Foundation

समर्थनकर्तारू
+91-11-41666101-06 | contact@breakthrough.tv | प्लॉट 3, DDA कम्युनिटी सेंटर, ज़मरूदपुर,
नयी दिल्ली, दिल्ली - 110048
Breakthrough India